₹ 20

www.kewalsach.com

निर्भीकता हमारी पहचान

सितम्बर 2024

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

RNI NO.- BIHBIN/2006/18181, DAVP NO.-129888, POSTAL REG. NO. :- PS/35

दहशत में जीने को बेबस

बिहार

VISIT FOR THE ATTRACTIVE
SCHEMS & FEATURES AT BSCB Ltd.

The Bihar State Cooperative Bank Ltd.
Head Office: Ashok Rajpath, Patna 800004
www.biharscb.co.in | helpdesk@biharscb.co.in

बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड

The Bihar State Cooperative Bank Ltd. **(BSCB Ltd.)**

Loan Facilities & Schemes at BSCB Ltd.
ऋण सुविधाएं और योजनाएं

"सपनों को साकार करने का सही ऋण विकल्प आपके लिए।"

- Loan Against Property - संपत्ति पर ऋण
- SHG-Self Help Group - स्वयं सहायता समूह
- JLG-Joint Liability Group - संयुक्त देयता समूह
- NSEL- महिला सशक्तिकरण ऋण (Nari Shakti Empowerment Loan)
- Home Loan - गृह ऋण
- Vehicle Loan - वाहन ऋण
- Education Loan - शिक्षा ऋण
- Gold Loan - गोल्ड लोन
- Kissan Credit Card - किसान क्रेडिट कार्ड
- Personal Loan - व्यक्तिगत कर्ज़
- Over Draft - ओवर ड्राफ्ट

BSCB Ltd. बैंकिंग सुविधाएं सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं, ताकि विभिन्न वर्गों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध हो सकें।

Deposit & Saving Schemes
जमा और बचत योजनाएं

- सभी जमा योजनाओं पर आकर्षक लाभ (R.D. , F.D. , L.D. , S.T.D. , M.I.S.)
- PACS as DMA
- मोबाइल ऐप से एजेंटो के माध्यम से दैनिक जमा योजना
- जमा राशि पर 75% ऋण की सुविधा
- जमा राशि की जानकारी SMS से
- बाल बचत योजना (BBY)

Other Schemes & Facilities
अन्य योजनाएँ एवं सुविधाएँ

- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- अटल पेंशन योजना
- प्रधानमंत्री जन धन योजना
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
- बुजुर्गों को F.D. पर लाभ
- ई-स्टाम्पिंग और ई-कोर्ट सुविधाएँ
- प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना
- QR Code सुविधाएँ

"हर जमा के साथ मिले वित्तीय स्थिरता और बेहतर लाभ का भरोसा।"
"सही योजना के साथ सुरक्षित भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।"

-: OUR BRANCHES :-
BANKIPUR | NEW SACHIVALAYA | NEW MARKET | MAURYALOK | KANKARBAGH | NALA ROAD
MUSSALAHPUR HAAT | MOTIHARI | BIHAT | DARBHANGA | CHAPRA | SAHARSA | MADHEPURA

* For all 'Terms & Conditions' and information/guidelines please visit BSCB branch | सभी 'नियम एवं शर्तों' और सूचना/दिशानिर्देशों के लिए कृपया BSCB शाखा पर जाएँ

HOTEL KING'S PALACE

BANQUET HALL | ROOMS | CONFERENCE HALL

Facility We Offers :-

- Capacity Upto 500+ People
- Can Hold For All Occasion Like Birthday Parties
- Reception, Marriages, Ring Ceremoney Etc.
- Full Dj & Sound System With Dance Floor.
- Proper Lighting Facilities.
- Veg. Menu, Non Vet And Catering Facilities.

Book Now

+919939513081, +919430002772, +919097008486

Narhat Complex, In Front of Sai Mandir. Gaya Road, Nawada

Hero Hero

D.V. MOTORS

Gaya Road, Hisua

M/S HOTEL SAMBHAVI

Proposed Location :
At. Gaya Road, Hisua, P.O. + P.S.-Hisua
Distt. - Nawada (Bihar)

प्रोपराइटर:
उमेश कुमार विश्वकर्मा
सह प्रदेश संयोजक
लोहार संघर्ष मोर्चा
(नवादा) बिहार

Mob. : 9939710078

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

विवेक ओबेरॉय
03 सितम्बर 1976

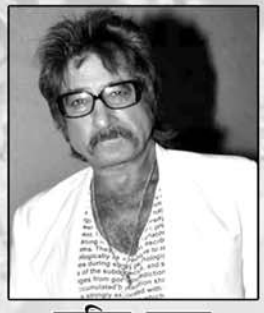

शक्ति कपूर
03 सितम्बर 1952

ऋषि कपूर
04 सितम्बर 1952

यशवंत सिन्हा
06 सितम्बर 1937

आशा भोसले
08 सितम्बर 1933

अक्षय कुमार
09 सितम्बर 1967

रामजेठ मलानी
10 सितम्बर 1923

महिमा चौधरी
13 सितम्बर 1973

सुब्रमण्यम स्वामी
15 सितम्बर 1939

भूपिंदर सिंह हुड्डा
15 सितम्बर 1947

पी. चिदम्बरम
16 सितम्बर 1945

नरेन्द्र मोदी
17 सितम्बर 1950

महेश भट्ट
20 सितम्बर 1948

करीना कपूर
21 सितम्बर 1980

प्रेम चोपड़ा
23 सितम्बर 1935

कुमार सानू
23 सितम्बर 1957

मनमोहन सिंह
26 सितम्बर 1932

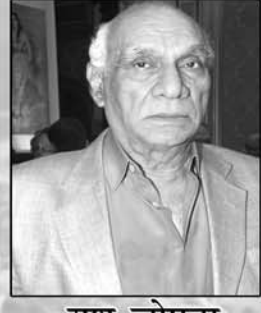

यश चोपड़ा
27 सितम्बर 1932

लता मंगेसकर
28 सितम्बर 1929

रणवीर कपूर
28 सितम्बर 1982

निर्भीकता हमारी पहचान

www.kewalsach.com

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Vaishnavi Enclave, Second Floor, Flat No. 2B, Near-firing range, Bariatu Road, Ranchi- 834001
E-mail :- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha, A-68, 1st Floor, Nageshwar Talla Shastri Nagar, New Delhi - 110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
E-mail:- kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube, 131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880 09339740757

Advertisement Rates Per Issue

COLOUR

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE	Qr. PAGE
Cover Page	5,00,000/-	N/A	N/A
Back Page	1,60,000/-	N/A	N/A
Back Inside	1, 00000/-	60,000/-	35000
Back Inner	90,000/-	50,000/-	30000
Middle	1,50,000/-	N/A	N/A
Front Inside	1, 00000/-	60,000/-	40000
Front Inner	90,000/-	50,000/-	30000

B & W

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Inner Page	60,000/-	35,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsach.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

सरकार के बेलगाम अफसर

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

" 1947 की आजादी से 2024 के आजादी के अमृत काल में अफसर कहने के लिए जनता की सेवक हैं लेकिन जिस प्रकार अफसरशाही देश के उपर हावि होता जा रहा है जिससे योग्य सरकार को भी थूकम - फजीहत हो रहा है। आज सब सीबीआई, ईडी, जीएसटी और आयकर के छापेमारी होते ही अफसरों की करतूत उजागर होने लगी है की कैसे करोड़ों - अरबों की अवैध संपत्ति अपने सेवा काल में अर्जित कर लेते हैं का सैकड़ों मामले सार्वजनिक हो चुके हैं। देश के सभी राज्यों में अफसरशाही चरम पर है और उनका मनोबल जन-प्रतिनिधियों के अशिक्षित होने की वजह से वह उनको चपरासी से भी बद्दत्तर सलूक करते हैं और जनता को अपना गुलाम समझते हैं। केन्द्र एवं राज्य सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं को घुन की तरह खोखला कर रहे हैं और वर्त्तमान समय में सोसल मीडिया में इतना सक्रिय हैं और जनता का सेवक हैं का दिखावा करने से पीछे नहीं हटते लेकिल वास्तविक सच्चाई यह है कि जनता का आवेदन उनके टेबल पर धूल फांक रहा है और आज बढ़ते भ्रष्टाचार के यह असली जिम्मेदार हैं।"

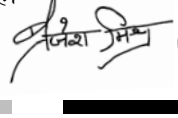

60 साल की सरकारी नौकरी के बाद 5 साल सेवा विस्तार के बाद भी धन एवं पावर की चाहत की वजह से राजनीति में प्रवेश कर अपनी संपत्ति की सुरक्षा करते हैं। किसी भी राज्य में प्रकाश डालने पर स्पष्ट हो जायेगा कि भारतीय प्रशासनिक/पुलिस/राजस्व सेवा के अधिकारी हो या राज्य सेवा के, इंजीनियर हों या डॉक्टर इनकी संपत्ति का सही मूल्यांकन किया जाये तो शायद ही कोई अधिकारी होगा जिसपर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज न हो। जनता के सेवक के रूप में चयनित अधिकारी वर्ग का व्यवहार कैसा रहता है यह सार्वजनिक हैं और बिना चढ़ावे का कोई भी बड़ा काम हो जाये यह संभव आज के दौर में नहीं दिखता अन्यथा एल-1 की कहानी पर खबरें प्रकाशित नहीं होती। सैकड़ों मामले में स्वयं मुख्यमंत्री का आदेश का अवहेलना करते पदाधिकारी के खबरे सार्वजनिक होती रही हैं। प्रखंड स्तर से लेकर जिला और सचिवालय में भी अधिकारियों के तानाशाही की वजह से राजनीति एवं वर्त्तमान सरकार बदनाम होता है। सरकारी बंगला से लेकर सरकारी गाड़ी और सुरक्षा गार्ड का भी पारिवारिक रूप से इस्तेमाल करके सरकारी खजाने को खाली किया जाता है। बिना चढ़ावे का ना ही थाने में ज़ल्द प्राथमिकी होती है और ना ही प्रखंडों में जाति प्रमाण पत्र और जमीन को मोटेशन तक नहीं होता। सरकार भ्रष्टाचार एवं भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए निगरानी विभाग के साथ-साथ अन्य कई जांच एजेंसी भी काम कर रही है लेकिन बेलगाम अफसरों को लगता है कि जितना कमाया है उसको कुछ हिस्सा बांटकर अपना खेल जारी रख सकते हैं और ऐसा हो भी रहा है क्योंकि रंगे हांथ पकड़े गये पदाधिकारी आज पदस्थापित हैं। पदाधिकारी का मनोबल इस कदर बढ़ता जा रहा है कि वह सांसद एवं विधायकों को भी तब्बजों नहीं देते और हद तो तब हो जाता है जब प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के आदेश पत्र को भी ठेंगा दिखा जाता है। सरकार एक तरफ घोषणा करती है कि जनता की सेवा में पदाधिकारी कोई कोताही नहीं करें लेकिन बेलगाम अफसरों की करतूत की वजह से जनता को परेशानी होती है तो सरकार की जगहसाई और विपक्ष को इसका लाभ मिलता है। केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की जिस प्रकार की लूट हो रही है तमाम चौकसी के बाद भी महालूट का खेल बंद नहीं हो रहा है। सोसल मीडिया में लोकप्रिय बनने के लिए पदाधिकारी काफी सक्रिय हैं जिससे यह साबित करते हैं कि वह जनता की सेवा कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर बेलगाम पदाधिकारी के पास अकूट संपत्ति जप्त हो रही है। पदाधिकारी का व्यवहार और भ्रष्टाचार राजनेताओं से भी अधिक कूटनीतिक हो चुका है जिसकी वजह से सरकार के आदेश की अवहेलना करने से बाज नहीं आते और यह साबित करते हैं कि पदाधिकारी बेलगाम है। अफसरों का बढ़ता आतंक इस बात को साफतौर पर जाहिर करता है कि ईडी के रेड में आईएएस के पास से कई सौ करोड़ की अवैध संपत्ति जप्त हो रही है और एल-1 कराने के लिए करोड़ों का कमीशन तय हो जाता है तथा बिल के भुगतान में भी संवेदकों से मोटी रकम वसूल की जा रही है और ऐसा मामला सिर्फ बिहार-झारखंड ही नहीं देश के विभिन्न राज्यों में संचालित हो रहा है। बेलगाम अफसर अकूट संपत्ति के संरक्षण के लिए अल्पकाल में ही अपनी सेवा से इस्तीफा देकर राजनीतिक दलों का हिस्सा बनते जा रहे हैं और सत्तारूढ़ दल में शामिल होने की वजह से अपनी अवैध संपत्ति को वैद्य बनाने में कामयाब भी हो रहे हैं। राज्य सरकार के निगरानी विभाग के अलावा इंकम टैक्स, सीबीआई, ईडी का रेड होने के बाद भी बेलगाम अफसरों में भय नहीं दिखता अन्यथा देश के सर्वोच्च सेवा के अधिकारी ऐसी हरकतों से परहेज करते। राजनीति पर हावि होता जा रहा अफसरशाही पर आरोप तब लगता है जब पक्ष, विपक्ष में आ जाता है।

अगस्त 2024

आपको केवल सच पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आपका पत्र ही हमारा बल है। हम आपके सलाह को संजीवनी बूटी समझेंगे।

केवल सच

हमारा पता है :-

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका
द्वारा:- ब्रजेश मिश्र
पूर्वी अशोक नगर, रोड़ नं.- 14, मकान संख्या- 14/28
कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
फोन:- 9431073769/ 8340360961/ 9955077308

हमारा ई-मेल
kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

जनसुराज

संपादक जी,

मैं केवल सच पत्रिका का नियमित पाठक हूं और इसके सभी खबरों को पढ़ता हूं। अगस्त 2024 अंक में अमित कुमार की खबर ''**जनसुराज का राजनीतिक आगाज**'' में बिहार की राजनीति में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जनसुराज की कूटनीति बिहार की जनता को यह सोचने पर विवश कर दिया है की क्या जनसुराज इनदोनों का विकल्प है। लगातार अपने कार्यक्रमों से यह पदयात्रा से प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में सूरमाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सटीक विश्लेषण है।

✦ **कैलाश वर्मा, रमना रोड़, गया**

योगी

ब्रजेश जी,

अगस्त 2024 अंक में ''**पक्ष एवं विपक्ष के टारगेट पर हैं योगी**'' संपादकीय में आपने यूपी सरकार का सही चित्रण किया है। बाबा की नगरी में बुलडोजर से कानून को भी भय लगने लगा है तथा आमजनता को भी यह ज्ञात हो चुका है की योगी सरकार किसी भी सूरत में अत्याचार एवं भ्रष्टाचार सहित बलात्कार की घटना पर मौन धारण नहीं करने वाली है। अपराध किया है तो योगी के राज में दंड भुगतना ही पड़ेगा। आपका संपादकीय सच में पक्ष एवं विपक्ष दोनों के लिए कारगर है।

✦ **संतोष पाठक, कचौड़ी गली बनारस, यूपी**

ककोलत जलप्रपात

मिश्रा जी,

मैं दिल्ली में रहता हूं और अगस्त 2024 अंक में केवल सच की नवादा की मिथिलेश कुमार की खबर ''ककोलत जलप्रपात में पर्यटकीय सुविधाओं का मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण'' में सारगर्भित जानकारी दी है। ऐसी खबरें बिहार की छवि को स्वच्छ बनाती है। वहीं श्री कुमार की दूसरी खबर ''देश में दूसरा मनुभाकर बनने को तैयार हैं अशिता धनराज'' में 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में जीतकर आयी सिल्वर की कहानी को पूरे विस्तार से प्रकाशित किया गया है जिससे मन प्रफूलित है। सकारात्मक खबरों को प्राथमिकता से लाना चाहिए ताकि युवाओं में उर्जा का संचार हो।

✦ **दिलीप कुशवाहा, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली**

आरक्षण

मिश्रा जी,

भारत में आरक्षण का मुद्दा पर अगस्त अंक 2024 में केवल सच पत्रिका ने बेबाक खबर लिखा गया है। ''**मुद्दा आरक्षण का**'' खबर में संसद से सड़क तक आन्दोलन शुरू हो गया लेकिन मुद्दा सिर्फ मुद्दा ही बनकर रह गया है। बिहार की नीतीश कुमार की सरकार ने 50 फिसदी आरक्षण को बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया है लेकिन हाईकोर्ट से मामला खारिज होते हीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटाया है। बिहार की जातिय सर्वे के आधार पर आरक्षण के मुद्दे को राजनीति के चश्में से देखना सरकार के लिए उचित नहीं है। समय पर सही खबर दिया गया है।

✦ **गणेश ठाकुर, छोटी कल्याणी, मुजफ्फरपुर**

साक्षात्कार

संपादक जी,

अगस्त अंक 2024 में गढ़वा पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पाण्डेय का साक्षात्कार पढ़कर बहुत जानकारी मिली और इनको अल्पकाल में ही दो दो बार राष्ट्रपति से वीरता पदक मिल चुका है इससे यह तो साफ हो चुका है एसपी पाण्डेय जी निष्ठा पूर्वक कार्य को संपादित कर रहे हैं। साक्षात्कार लेने वाले श्रीधर पाण्डेय ने भी सटीक एवं ज्वलंत मुद्दे को उठाया तो उसका जवाब भी एसपी साहेब ने सटीक दिया है। इस प्रकार के साक्षात्कार से भी युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। झारखंड राज्य के विधानसभा चुनाव पर भी खबर आना चाहिए।

✦ **पंकज कुमार राय, खेलगाँव, राँची, झा०**

आदिवासी दिवस

संपादक जी,

अब झारखंड की राजनीति की खबरों को स्थान मिलने लगा है। अगस्त 2024 अंक में गुड्डी साव की खबर ''**हर्ष, उल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस**'' में सही रूप से सरकार के कार्यो को पाठकों के बीच रखा गया वहीं अन्य कई खबरें भी पठनीय है। झारखंड के रांची की पुलिस की खबरों को भी ओमप्रकाश ने अपनी कलम से कलमबद्ध किया है। झारखंड के खनिज संपादाओं की खबरों को मजबूती से स्थान मिलने लगेगा तो केवल सच की जड़े और मजबूत होगी।

✦ **अनंत यादव, सेक्टर-6, बोकारो, झारखंड**

अन्दर के पन्नों में

22

दलित वोटों की लड़ाई में सपा.....25

31

परिवर्तन महारैली में पीएम मोदी.....72

RNI No.- BIHHIN/2006/18181, DAVP No.- 129888

समृद्ध भारत खुशहाल भारत

निर्भीकता हमारी पहचान

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष:- 19, | अंक:- 220, | माह:- सितम्बर 2024, | मूल्य:- 20/- रू

फाउंडर

श्रद्धेय गोपाल मिश्र

श्रद्धेय सुषमा मिश्र

संपादक

ब्रजेश मिश्र

9431073769 8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach@gmail.com

प्रधान संपादक

अरूण कुमार बंका 7782053204

सुरजीत तिवारी 9431222619

निलेन्दु कुमार झा 9431810505, 8210878854

सच्चिदानन्द मिश्र 9934899917

रामानंद राय 9905250798

डॉ० शशि कुमार 9507773579

दिनेश कुमार सिंह 9470829615,

सोहन कुमार 7004120150, 9334714978

मुकेश कुमार साव 9709779465,

संपादकीय सलाहकार

अमिताभ रंजन मिश्र 9430888060, 8873004350

अमोद कुमार 9431075402

महाप्रबंधक

त्रिलोकी नाथ प्रसाद 9308815605, 9122003000

triloki.kewalsach@gmail.com

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

पूनम जयसवाल 9430000482, 9798874154

मनीष कुमार कमलिया 9934964551, 8809888819

उप-संपादक

अरबिन्द मिश्रा 9934227532, 8603069137

प्रसुन्न पुष्कर 9430826922, 7004808186

ब्रजेश सहाय 7488696914

ललन कुमार 7979909054, 9334813587

पंकज कुमार सिंह 9693850669 , 9430605967

संयुक्त संपादक

अमित कुमार 'गुड्डू' 9905244479, 7979075212

राजीव कुमार शुक्ला 9430049782, 7488290565

काशीनाथ गिरी 9905048751, 9431644829

सहायक संपादक

शशि रंजन सिंह 8210772610, 9431253179

मिथिलेश कुमार 9934021022, 9431410833

नवेन्दु कुमार मिश्र 9570029800, 9199732994

कामोद कुमार कंचन 8971844318,

समाचार प्रबंधक

सुधीर कुमार मिश्र 9608010907

ब्यूरो-इन-चीफ

संकेत कुमार झा 9386901616, 7762089203

बिनय भूषण झा 9473035808, 8229070426.

.

विधि सलाहकार

शिवानन्द गिरि 9308454485

रवि कुमार पाण्डेय 9507712014

चीफ क्राइम ब्यूरो

सैयद मो० अकील 9905101976, 8521711976

आनन्द प्रकाश 9508451204, 8409462970

साज-सज्जा प्रबंधक

अमित कुमार 9905244479

amit.kewalsach@gmail.com

कार्यालय संवाददाता

सोनू यादव 8002647553, 9060359115

प्रसार प्रतिनिधि

कुणाल कुमार 9905203164

बिहार प्रदेश जिला ब्यूरो

पटना (श०)	:-	श्रीधर पाण्डेय	9470709185
(म०)	:-	गौरव कुमार	9472400626
(ग्रा०)	:-	मुकेश कुमार	7004761573
बाढ़	:-		
भोजपुर	:-	गुड्डू कुमार सिंह	8789291547
बक्सर	:-	बिन्ध्याचल सिंह	8935909034
कैमूर	:-		
रोहतास	:-	अशोक कुमार सिंह	7739706506
	:-		
गया (श०)	:-	सुमित कुमार मिश्र	7667482916
(ग्रा०)	:-		
औरंगाबाद	:-		
जहानाबाद	:-	नवीन कुमार रौशन	9934039939
अरवल	:-	संतोष कुमार मिश्रा	9934248543
नालन्दा	:-		
	:-		
नवादा	:-	अमित कुमार	9934706928
	:-		
मुंगेर	:-		
लखीसराय	:-		
शेखपुरा	:-		
बेगूसराय	:-		
	:-		
खगड़िया	:-		
समस्तीपुर	:-		
जमुई	:-	अजय कुमार	09430030594
वैशाली	:-		
	:-		
छपरा	:-		
सिवान	:-		
	:-		
गोपालगंज	:-		
	:-		
मुजफ्फरपुर	:-	.	
	:-		
सीतामढ़ी	:-		
शिवहर	:-		
बेतिया	:-	रवि रंजन मिश्रा	9801447649
बगहा	:-		
मोतिहारी	:-	संजीव रंजन तिवारी	9430915909
दरभंगा	:-		
	:-		
मधुबनी	:-		
	:-	प्रशांत कुमार गुप्ता	6299028442
सहरसा	:-		
मधेपुरा	:-		
सुपौल	:-		
किशनगंज	:-		
	:-		
अररिया	:-	अब्दुल कय्यूम	9934276870
पूर्णिया	:-		
कटिहार	:-		
भागलपुर,	:-		
(ग्रा०)	:-	रवि पाण्डेय	7033040570
नवगछिया	:-		

दिल्ली कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर, न्यू
दिल्ली-110052
संजय कुमार सिन्हा, स्टेट हेड
मो०- 9868700991, 9431073769

उत्तरप्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें

9308815605

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
अजीत कुमार दुबे, स्टेट हेड
मो०- 9433567880, 9308815605

मध्य प्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
अभिषेक कुमार पाठक, स्टेट हेड
मो०- 8109932505,

झारखंड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव,
द्वितीय तल, फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001

छत्तीसगढ़ कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,

....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें

8340360961

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

☞ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्या:- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार) मो०- 9431073769, 9955077308

☞ .e-mail:- kewalsach@gmail.com, e ditor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

☞ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा सांध्य प्रवक्ता खबर वर्क्स, ए- 17, वाटिका विहार (आनन्द विहार), अम्बेडकर पथ, पटना 8000 14(बिहार) एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। RNI NO.-BIHHIN/2006/18181

☞ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

☞ सभी प्रकार के वाद-विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।

☞ आलेख पर कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।

☞ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

☞ **सभी पद अवैतनिक हैं।**

☞ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)

☞ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।

☞ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**

☞ भुगतान Kewal Sach को ही करें। प्रतिनिधियों को नगद न दें।

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- Punjab National Bank
IFSC Code :- PUNB0060020
PAN No. :- AAJFK0065A

प्रधान संपादक

.....

.....

झारखण्ड स्टेट ब्यूरो

.....

झारखण्ड सहायक संपादक

चन्द्र शेखर पाठक 9572529337
ब्रजेश मिश्र 7654122344 -7979769647
अभिजीत दीप 7004274675 -9430192929

उप संपादक

.....

.....

संयुक्त संपादक

अनंत मोहन यादव 9546624444, 7909076894

.....

विशेष प्रतिनिधि

भारती मिश्रा 8210023343, 8863893672

.....

.....

झारखण्ड प्रदेश जिला ब्यूरो

राँची :- अभिषेक मिश्र 7903856569
:- ओम प्रकाश 9708005900
साहेबगंज :-
खूँटी :-
जमशेदपुर :- तारकेश्वर प्रसाद गुप्ता 9304824724
हजारीबाग :-
जामताड़ा :-
दुमका :-
देवघर :-
धनबाद :-
बोकारो :-
रामगढ़ :-
चाईबासा :-
कोडरमा :-
गिरीडीह :-
चतरा :- धीरज कुमार 9939149331
लातेहार :-
गोड्डा :-
गुमला :-
पलामू :-
गढ़वा :-
पाकुड़ :-
सरायकेला :-
सिमडेगा :-
लोहरदगा :-

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका

एवं 'केवल सच टाइम्स'

एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,

लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020

फोन- 0612/3504251

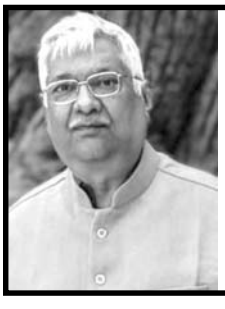

श्री सज्जन कुमार सुरेका

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

डी- 402 राजेन्द्र विहार, फॉरेस्ट पार्क

भुवनेश्वर- 751009 मो-09437029875

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक ''**मगध इंटरनेशनल स्कूल**'' टेकारी

'' **केवल सच** '' पत्रिका **एवं** '' **केवल सच टाइम्स** ''

9060148110

sudhir4s14@gmail.com

कैलाश कुमार मौर्य

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

व्यवसायी

पटना, बिहार

7360955555

बिहार राज्य प्रमंडल ब्यूरो		
पटना		
मगध		
सारण		
तिरहुत		
पूर्णिया	**धर्मेन्द्र सिंह**	9430230000 7004119966
भागलपुर		
मुंगेर		
दरभंगा		
कोशी		

विशेष प्रतिनिधि	
आशुतोष कुमार	9430202335, 9304441800
सुमित राज यादव	9472110940, 8987123161
बेंकटेश कुमार	8521308428, 9572796847
राजीव नयन	9973120511, 9430255401
मणिभूषण तिवारी	9693498852
दीपनारायण सिंह	9934292882
आनन्द प्रकाश पाण्डेय	9931202352, 7808496247
विनित कुमार	8210591866, 8969722700
रामजीवन साहू	9430279411, 7250065417
कुमार राजू	9310173983,
रजनीश कांत झा	9430962922, 7488204140

छायाकार	
त्रिलोकी नाथ प्रसाद	9122003000, 9431096964
मुकेश कुमार	9835054762, 9304377779
जय प्रसाद	9386899670,
कृष्णा प्रसाद	9608084774, 9835829947

झारखंड राज्य प्रमंडल ब्यूरो		
राँची		
हजारीबाग		
पलामू		
दुमका		
चाईबासा		

दहशत में जीने को बेबस बिहार

मसला यह नहीं की मेरा दर्द कितना हैं सवाल यह है की तुझे परवाह कितनी है। शायद यही कह रही है कृष्णा नगर में बसे महादलित बस्ती की महिलाएं और बच्चे। सरकारे किसी की हो जब किसी भी गरीब का घर उजड़ता है तो उस बेबस लाचार परिवार के बूढ़े,बच्चो की विवशतायें मानवीय संवेदना को झकझोर देती है।बिहार में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण करने में सरकार जहाँ विफल हो रही है वही अपराधियों का मनोबल कहीं न कहीं बढ़ता दिख रहा है। बिहार को जंगल राज से मुक्त करने के लिये बर्ष 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी थी। सरकार ने उस वक्त अपने वायदे के मुताविक काम करते हुए बिहार में ध्वस्त होती विधि-व्यवस्था को धीरे-धीरे पटरी पर लाना भी प्रारम्भ कर दिया था। कुछ दिनों की अगर बात करें तो आतंक के साये में खौफ का मंजर देख कर लोगों में सिहरन पैदा होना थम गया था। अस्त-व्यस्त होती जन जीवन पटरी पर लौट भी गयी थी। लेकिन धीरे-धीरे बिहार में विधि व्यवस्था पुनः बेपटरी होनी शुरू हो गयी। यहाँ तक की बढ़ते अपराध में शराब की भूमिका और संदेह होने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बर्ष 2016 में बिहार में नया शराब बंदी कानून भी लाया जो अभी तक जारी है। इतना जरूर है की कानून में कुछ संशोधन भी हुए हैं। बावजूद बिहार में अपराध घटने के बजाय बढ़ी ही है। बिहार में बढ़ते अपराध से सरकार के चेहरे पर जहाँ शिकन दिखाई पड रही हैं वही विपक्ष हमलावर हो गयी है। बढ़ते आपराधिक घटनाओं ने कथित जंगलराज की याद ताजा कर रही है। बिहार में अपराधी वेलगाम हो गए हैं सरकार अपराधियों के आगे घुटने टेकने पर मजबूर दिख रही है। सरकार क्राइम और करप्शन पर जीरो टोलरेंस की नीति पर कार्य करने की बात करती है लेकिन सरकार के नाक के निचे ही अपराध चरम पर हो गया है। बिहार में बढ़ रहें आपराधिक आकड़ों को सोशल मिडिया पर डाल कर सदन में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार वासियों को सकते में डाल दिया है। अब तो जंगल राज और सुशासन की सरकार में फर्क ही नहीं नजर आ रही है। दिन दहाड़े हत्या, बलात्कार, आगजनी, गैंग रेप, अपहरण की घटनाओं ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विपक्ष के नेताओं ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है की रोम जल रहा था और निरो बंसी बजा रहा था। ठीक यही हाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कजमार का है जो बिहार में पिछले दो तीन महीनों में बढ़ते अपराध के बाबजूद अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने में मशगुल हैं। हम अगर बीते माह में बिहार के विभिन्न जिलों में हुए आपराधिक वारदात पर नजर डालते हैं तो सरकार अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है लेकिन घटनायें कही न कही विपक्ष के सवाल को मजबूती से दे रही है। बिहार में बढ़ते अपराध पर प्रस्तुत है सहायक संपादक **मिथिलेश कुमार** एवं संयुक्त संपादक **अमित कुमार** की समीक्षात्मक रिपोर्ट :-

इस वक्त राष्ट्रीय अखबारों एवं चैनलों पर सुर्खियों में नवादा की दलित बस्ती में आगजनी की घटना राज्य सहित पूरे देश में गंभीर मुद्दा बनी हुई है। बता दें कि नवादा जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत मुफसील थाना क्षेत्र के देदौर गावं के महादलित वस्ती में हुई जहाँ खुरही नदी के किनारे बसे सैकड़ो घरों की बसावट में करीब दो दर्जन से अधिक झोपडीयां जल कर स्वाहा हो गयी। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा 21 घर पूरी तरह जल कर राख एवं करीब 13घरों को आंशिक क्षति पहुंचने की बात कही जा रही है। घटना की जानकारी देतें हुए जिला पदाधिकारी, नवादा आशुतोष कुमार वर्मा के द्वारा बताया गया कि नवादा सदर प्रखंड के मुफस्सिल थानान्तर्गत देदौर गाँव के कृष्णा नगर नदी पर स्थित बस्ती के झोपड़ियों में असामाजिक तत्वों द्वारा आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। निर्देश पर मुफस्सिल थानाध्यक्ष, पुलिस टीम, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नवादा सदर, अंचल अधिकारी, नवादा सदर अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा सदर/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवादा सदर-2 द्वारा त्वरित रूप से आवश्यक कार्रवाई की गई। अग्निशमन दस्ता दल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया गया। घटना स्थल पर कोई व्यक्ति एवं मवेशी जख्मी नहीं पाया गया। जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा भी घटना स्थल का जायजा लिया गया एवं पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। घटना स्थल पर उपस्थित प्रभावित परिवार व्यास मुनी, पिता-श्री संजय मांझी ने बताया कि उक्त स्थल से संबंधित जमीन पर वर्तमान में टाईटल सूट सं०-22/1995 व्यवहार न्यायालय, नवादा में चल रहा है। व्यास मुनी से घटित घटना के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि नन्दू पासवान, पिता-स्व0 सौखी पासवान, पन्नु पासवान, पिता-स्व0 सौखी पासवान, शिवू पासवान, पिता- स्व0 जगदीश पासवान, श्रवण पासवान, पिता-सुमेश्वर पासवान एवं अन्य ग्राम-प्राण बिगहा, थाना-मुफस्सिल, जिला-नवादा तथा यमुना चौहान, सोमर चौहान, नूनू प्रसाद, पिता-स्व0 खिरू चौहान तथा आशीष यादव, पिता-देवन यादव सभी ग्राम-लोहानी बिगहा, मुफस्सिल थाना, नवादा एवं दशरथ चौहान, ब्रदी चौहान, रामशरण चौहान, मिथलेश चौहान एवं यदुनंदन चौहान, सभी के पिता- स्व0 चौठी चौहान, साकिन, रघुनाथपुर, थाना-रहुई, जिला-नालन्दा एवं अन्य के द्वारा आज की आगजनी एवं फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है।

उक्त घटना के संदर्भ में मुफस्सिल थाना काण्ड संख्या- 372/24, दिनांक 19/09/2024, धारा-191(2)/191(3)/190(1)/109(1)/ 352/351(2)(3)/326(G)/303(2)/111 (3)/61(2)(a) BNS-2023, 27 Arms Act एवं 3(1)(f)(g)(r)(s)(W)/3(2) (v-a)/3 (2)(v) SC/ST ACT के तहत 28 नामजद एवं अन्य के विरूद्ध काण्ड दर्ज किया गया है। साथ ही उपद्रवी तत्वों के गिरफ्तारी हेतु एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिसके द्वारा विभिन्न स्थलों पर छापामारी कर मुख्य अभियुक्त नन्दू पासवान सहित कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के क्रम में दोषियों के पास से 03 देशी कट्टा, 03 मिस्ट फायर राउण्ड, 02 खोखा, 01 पिलेट एवं 06 मोटर साईकिल बरामद किया गया है। अन्य दोषियों के गिरफ्तारी हेतु छापामारी एवं विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। एसआईटी टीम एवं संलग्न पदाधिकारी को सख्त कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। इसके साथ ही घटना स्थल पर दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति पालीबार की गयी है एवं सघन गश्ती की जा रही है तथा वरीय स्तर से निगरानी भी रखी जा रही है। पीड़ित परिवारों के लिए तत्काल भोजनादि की व्यवस्था की गयी है। राहत सामग्री उपलब्ध

करायी गयी है एवं अन्य व्यवस्था की जा रही है। अद्यतन सर्वेक्षण के मुताबिक आगजनी में 21 झोपड़ी पूर्णत: जले हैं एवं 13 झोपड़ी अंशत: क्षतिग्रस्त हुए हैं। वर्तमान में स्थिति पूर्णत: नियंत्रित है। अग्रेतर विधिक कार्रवाई तत्परता पूर्वक संपन्न की जायेगी।

जिला पदाधिकारी द्वारा आमजनों से अपील किया गया है कि कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखें एवं जिला प्रशासन का सहयोग करें। जिला प्रशासन, नवादा ऐसे घटना को अंजाम देने वालों के विरूद्ध त्वरित कार्रवाई हेतु दृढ़ संकल्पित है। हालांकि जिला प्रशासन ने घटना में किसी के हताहत होने की बात नहीं कही हैं , घटना में जले पशुओं के जले शरीर के अवशेष दबंगो के दबँगई की कहानी कह रही है। घटना के बाद विपक्ष सरकार को विधि व्यवस्था पर घेर रही है वही प्रशासनिक चूक का नतीजा भी बता रही हैं। घटना के बात विभिन्न राजनैतिक दलों के विधायक एवं कार्यकर्ताओं का पहुंचना जारी है। घटना स्थल पर विधायक विभा देवी ने कहा की यह महादलित बस्ती को पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव ने बसाया था, जिसे आज जला दिया गया है। उन्होंने प्रशासन से दोषियों पर कार्रवाई एवं पीड़ित परिवार को मुआवजा एवं राहत सामग्री दिलाने की मांग की है। घटना स्थल पर राजद जिलाध्यक्ष उदय यादव एवं राज्य सचिव श्रवण कुशवाहा ने पहुंचकर पीड़ित परिवार को

आर्थिक मदद दिया। घटना की तह तक पहुंचने पर जो जानकारी मिली है उससे कहा जा सकता है की प्रशासन अगर गंभीरता से इस मामले को लेकर सजग रहती तो शायद घटना नहीं होती। जहाँ तक जानकारी मिली है की घटना का मुख्य कारण जमीनी विवाद को लेकर है गिरफ्तार नंदू पासवान जहाँ जमीन पर अपना दावा ठोंक रहा है वही पीड़ित परिवार लम्बे अरसे से उस पर अपना बसेरा बनाकर रह रहें थे। मामला जब न्यायालय में था और जमीन को लेकर तनाव भी था तो प्रशासन या तो कब्जाधारी को वासागीत का पर्चा दिलाती या जाँच कर मूल रैयत की पहचान कर उसे कब्जा दिलाती। लेकिन प्रशासन ऐसे मुद्दे पर गंभीर नहीं होती है जिसके कारण जमीनी विवाद की समस्या बढ़ी हुई है।

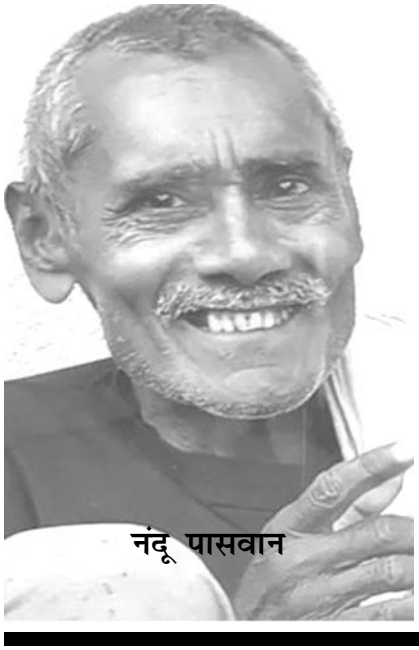
नंदू पासवान

घटना पर बिहार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री सह भाजपा के मुख्य प्रवक्ता जनक राम ने नवादा जिले में दलित बस्ती में हुई आगजनी की घटना को दुखद बताते हुए इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह घटना मानवता और सामाजिक सद्भाव पर गंभीर हमला है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दलित समुदाय को इस अमानवीय कृत्य का शिकार बनाया गया है, वह न केवल समाज की नैतिकता पर सवाल खड़ा करता है बल्कि हमारे संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के खिलाफ भी है। मंत्री जनक राम ने कहा कि हमारा देश और संविधान सभी नागरिकों को समानता, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करता है और इस घटना ने इन मूल्यों को ठेस पहुंचाई है। दलित समुदाय के साथ इस प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस मामले के दोषियों को कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया है और तुरंत एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की है। उन्होंने प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस मामले की विस्तृत और निष्पक्ष जांच की जाए। उनकी त्वरित कार्रवाई के तहत अधिकारियों ने दोषियों की पहचान कर कई गिरफ्तारियां की गई हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस घृणित अपराध में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कानून के अनुसार कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता और मुआवजा प्रदान किया जा रहा है ताकि वे इस कठिन समय से उभर सकें। मंत्री जनक राम ने कहा कि मुख्यमंत्री जहां दोषियों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी और विपक्ष द्वारा इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करना अत्यंत

दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की घटनाओं पर राजनीतिक लाभ उठाने के बजाए सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर इस कृत्य की निंदा करनी चाहिए और दोषियों को सजा दिलाने में सरकार का साथ देना चाहिए। यह समय राजनीति का नहीं बल्कि समाज के हित में एकजुट होकर काम करने का है। उन्होंने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि वे इस मामले पर राजनीति करने से बचें और इस दुखद घटना को लेकर समाज में और अधिक तनाव न पैदा करें। दलित समुदाय की सुरक्षा और सम्मान सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना पीड़ितों के साथ अन्याय है।

☞ **बिहार में हाल के दिनों में हृदय को दहलाने वाली कई घटनायें :-**

बेतिया में परीक्षा देकर लौट रही 8वीं कक्षा की छात्रा से पांच मनचलों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया. गांव के ही पांच युवक लड़की को उठाकर ले गए थे. मामला कुमारबाग थाना क्षेत्र के एक गांव का है. छात्रा खून से लथपथ हालत में मिली जिसके बाद इलाज के लिए भर्ती कराया गया. परिजनों ने बताया कि बच्ची स्कूल से लौट रही थी. गांव के पांच मनचले सुनसान जगह के पास बसवारी में ले गए और सबने उसके साथ रेप किया है. परिजनों ने यह भी बताया कि लड़की खून से लथपथ हालत में मिली है. इसका पता तब चला जब स्कूल से अन्य छात्र घर लौट रहे थे. उन्होंने देखा कि बच्ची खून से लथपथ और बेहोश पड़ी है. इसके बाद उन लोगों ने इसकी जानकारी दी. मनचलों ने चाकू से हमला कर दिया। मौके पर पहुंचे छात्रा के मौसेरे भाई और उसके पिता पर मनचलों ने चाकू से हमला किया जिसमें वे दोनों बाल-बाल बच गए. यह सब देख ग्रामीणों ने हल्ला किया तो आरोपी वहां से भाग गए. इसकी सूचना 112 पर फोन कर पुलिस को दी गई. कुमारबाग थाने की पुलिस करीब एक घंटे के बाद पहुची। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को बेतिया जीएमसीएच में भर्ती कराया. पीड़िता का जीएमसीएच में इलाज चल

रहा है. पुलिस अधीक्षक डी अमरकेश ने बताया कि दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया है. पीड़िता के परिजनों ने बताया कि उनकी लड़की के साथ गलत किया गया है. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है. अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. मेडिकल रिपोर्ट आने पर स्पष्ट होगा कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया है या नहीं। बेतिया में हुई गैंगरेप की घटना के बाद से बिहार की राजनीति एक बार फिर से उबाल पर है. राजद ने इस मामले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. आरजेडी ने इस घटना के बाद बिहार सरकार की इच्छाशक्ति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं. आरजेडी की महिला विधायक एज्या यादव ने कहा कि मैं एक विधायक से पहले महिला हूं. मुझे पता है जिस महिला के साथ ऐसा अत्याचार होता है उसके ऊपर क्या बीतती है.

15 अगस्त को बदमाशों ने स्कूटर मैकेनिक की गोली मार हत्या कर दी थी। मृत मैकेनिक की पहचान राजू के रूप में हुई है जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है। एएसपी ने बताया कि वह खाजेकलां थाना क्षेत्र का रहने वाला था और बाइक तथा स्कूटर का रिपेयर कर अपना परिवार चलता था। घटना से पटना के लोग हैरान हैं क्योंकि इसके दो दिन पहले ही भाजपा नेता की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं बिहटा थाना क्षेत्र के कुंजवा गांव में एक सनसनीखेज घटना घटी है। जहां एक प्रेमी-प्रेमिका को ऐसी मौत दी कि लोगों का कलेजा कांप उठा। दोनों प्रेमी-प्रेमिका पर चाकू एवं बोतल से तब तक वार किया गया जबतक सांस नहीं निकल गई। घटना को सुनकर हर कोई हैरान है। घटना की सूचना पर बिहटा पुलिस ने युवती की पुराने मकान में प्रथम तल्ला से युवती एवं दूसरे तल्ला से युवक का शव बरामद किया है। शव की सूचना से क्षेत्र में दहशत कायम हो गई। वहीं, स्वजन आक्रोशित होकर हंगामा शुरू

तेजस्वी यादव के आंकड़े में बिहार : रूह को झकझोरने वाले विगत् चंद दिनों के आपराधिक आँकड़े :-

अगर इन डरावनी घटनाओं के भयावह आँकड़े देखकर भी आपको बिहार में सब सही दिखाई दे रहा है तो मतलब सब ठीक नहीं है। कृपया विगत चंद दिनों की बिहार में घटित चंद आपराधिक घटनाओं का अवलोकन किजीए :-

- सहरसा में डबल मर्डर मां-बेटी की बेरहमी से हत्या।
- नालंदा में ट्रिपल मर्डर, मां- बेटे और बेटी की हत्या।
- सहरसा में में जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या।
- पूर्णिया में एक व्यक्ति की हत्या।
- मधुबनी में महिला की निर्मम हत्या।
- जहानाबाद में महिला की हत्या।
- नवादा में पीट-पीटकर युवक की हत्या।
- पटना में ठेकेदार की गोलियों से भूनकर हत्या।
- घोसी, जहानाबाद में युवक की हत्या।
- सारण में ससुराल आए युवक की हत्या।
- हाजीपुर में युवक की हत्या।
- पटना में मंदिर के पास सो रहे युवक की हत्या।
- बेगूसराय में नाबालिग की गोली मारकर हत्या।
- शिवहर में बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या।
- हाजीपुर में वार्ड पार्षद की गोली मारकर हत्या।
- नालंदा में रेप केस वापस नहीं लेने पर महिला की हत्या।
- पटना के ठाकुरबारी में युवती की बेहरमी से हत्या।
- नवगछिया में गोली मारकर सीएसपी संचालक की हत्या।
- सहरसा में स्कूल भवन में माँ-बेटी की चाकू से गोदकर हत्या।
- पटना सिटी में युवक की गोली मार हत्या।
- तरारी में छात्र की गोली मारकर हत्या।
- दानापुर में युवक की हत्या।
- गया के परैया में किसान की गला रेतकर हत्या।
- धनरुआ में युवक को गोली मारी।
- शिवहर में बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या।
- सासाराम में लूट के बाद व्यवसायी की गोली मारकर हत्या।
- गोपालगंज में गोली मारकर युवक की हत्या।
- खगड़िया में दिनदहाड़े गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या।
- मुजफ्फरपुर में पीट-पीटकर एक व्यक्ति की हत्या।
- सासाराम में महिला सहित दो बच्चों की हत्या।
- भागलपुर में किसान की गोली मार हत्या।
- अररिया में युवक की गोली मार हत्या।
- हाजीपुर में दो लोगों की हत्या।
- नवादा में दिनदहाड़े गोली मारकर शख्स की हत्या।
- मुजफ्फरपुर में नाबालिग की हत्या।
- सीतामढ़ी में युवक की पीट-पीटकर हत्या।
- कटिहार में मिली महिला सिपाही की लाश।
- मुंगेर में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या।
- मोतिहारी में मेला देखने गए छात्र की बेरहमी से हत्या।
- गया में गला दबाकर युवक की हत्या।
- मुंगेर में बच्चे की बेहरमी से हत्या।
- मुजफ्फरपुर में नाबालिग की हत्या।
- सीतामढ़ी में अधेड़ शख्स की पीट-पीटकर हत्या।
- समस्तीपुर में पूर्व वार्ड मेंबर की गोली मारकर हत्या।
- मानपुर, गया में महिला की गोली मारकर हत्या।
- लखीसराय में किसान की गोली मारकर हत्या।
- पटना के मसौढ़ी में विवाहिता की हत्या।
- बांका में ट्रैक्टर चालक की गोली मारकर हत्या।
- समस्तीपुर में बदमाशों ने की युवक की हत्या।
- मोतिहारी में चाकू मारकर इंटर के छात्र की हत्या।
- समस्तीपुर में दो की निर्मम हत्या।

- सासाराम में चाकू से गोदकर युवक की हत्या।
- मधेपुरा में गोलीबारी से एक की हत्या।
- पटना में युवक-युवती की हत्या।
- दानापुर युवक की गोली मारकर हत्या।
- शेखपुरा में लूट का विरोध करने पर बुजुर्ग महिला की हत्या।
- नवादा में अपराधियों ने किशोर को मारी गोली।
- खगड़िया में होटल कारोबारी को मारी गोली।
- बदमाशों ने आरा में नाबालिग को मारी गोली।
- पूर्णिया में शिक्षक को मारी गोली।
- बेगूसराय में संचालक को मारी गोली।

- नवादा में छोटे बच्चों को युवक ने मारी गोली।
- पटना के पालीगंज शिक्षक को मारी गोली।
- बेगूसराय में दिनदहाड़े बदमाशों ने युवक को मारी गोली।
- सहरसा में कोर्ट केस उठाने के लिए बच्चों पर चलाई गोलियां।
- हाजीपुर के होटल में बमबाजी।
- सहरसा में जिप सदस्य के घर पर की ताबड़तोड़ फायरिंग।
- पटना में एम्स के स्टाफ पर फायरिंग।
- मुजफ्फरपुर में लूटपाट के लिए तीन लोगों को मारी गोली।
- हाजीपुर में पुलिस पर हमला,थानेदार समेत जवान घायल।
- जमुई में सिर फोड़ा।
- पटना में नल-जल योजना में घोटाले का विरोध करने पर मारपीट कर गंगा में फेंका।
- नालंदा के अस्पताल में गोद में बच्चे का शव लेकर घूम रहे परिजनों को बेरहमी से पीटा।
- मुजफ्फरपुर में दलित लड़की को नदी में फेंका।
- खगड़िया के तीन युवकों का सौरबाजार से अपहरण।
- नवादा में एक परिवार की तीन महिलाओं का अपहरण।
- पटना में कारोबारी के घर पर चढ़कर मांगी घ्घ्घ् लाख की रंगदारी, जान से मारने की दी धमकी।
- सहरसा में छात्र का अपहरण कर माँगी घ्घ लाख की फिरौती।
- समस्तीपुर में जहरीली शराब से एक की मौत।
- पटना के मॉल से चोरी करते पकड़ा गया दारोगा का बेटा।
- पटना में वेलफेयर ऑफिसर के घर से लाखों की चोरी।
- पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास के बगल में पूर्व मंत्री के घर से लाखों की चोरी।
- वजीरगंज में ज्वेलरी दुकान से लाखों की चोरी।
- गया में इंस्पेक्टर की स्कॉर्पियो घर के बाहर से चोरी।
- फुलवारी में इलेक्ट्रोनिक शोरूम से लाखों की चोरी।
- हाजीपुर में दिनदहाड़े बैंक में लूट।
- पटना में ऑटो में पिस्टल सटाकर छात्रा से लूटपाट।
- मोहनिया में अपराधियों ने युवक से लूटे।
- मुजफ्फरपुर महिला कलेक्शन एजेंट से लूट।
- फतुआ में पिस्तौल का भय दिखा मोबाइल व नगदी की लूट।
- बेगूसराय में दिनदहाड़े ढाई लाख रुपए की लूट।
- पूर्णियाँ में बदमाशों ने बुजुर्ग के एक लाख रुपये लूटे।
- बिदुपुर में महिला को बंधक बना लाखों के गहने और नगद की लूट।
- राजद विधायक की पत्नी से पटना में लूट।
- पटना सिटी में बुजुर्ग बीमार महिला से छिनतई।
- महुआ रजिस्ट्री ऑफिस के पास अपराधियों ने लूटे।
- अटल पथ पर ऑटो सवार महिला से सोने की चेन लूटी।
- शेखपुरा में घर में घुस दिनदहाड़े लूट।
- नौबतपुर के सरपंच के घर का ताला तोड़ दो लाख की चोरी।
- दानापुर में महिला से लूट।
- हथियार के बल पर व्यवसायी से लूट।
- गया में बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म।
- भागलपुर में बुजुर्ग महिला के साथ रेप।
- छपरा में पूजा करने मंदिर गई लड़की के साथ गैंगरेप।
- जन्मदिवस समारोह में आई नाबालिग नर्तकियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म।

कर दिया। मौके वारदात पर भारी संख्या में बिहटा पुलिस ने पंहुच शव को कब्जे में लिया है। वहीं, मृतक युवती के भाई विशाल कुमार यादव, चाचा मंजय यादव, छोटे चाचा रिंकू यादव की पत्नी एवं दो बेटी को हिरासत में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मृतक की पहचान कुंजवा निवासी स्व० धनंजय यादव की 20 वर्षीय पुत्री प्रतिमा कुमारी एवं हरि शंकर यादव का 22 वर्षीय एकलौता पुत्र अवनीश कुमार के रूप में की जा रही है। इसी बीच, सूचना पाकर मौके पर पहुंची सुलतानगंज थाना पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है. मौके पर तकनीकी सेल और एफएसएल की टीम को बुलाया गया है. आसपास में लगे सीसीटी फुटेज भी खंगाला जा रहा है. एएसपी शरथ आरएस (वर्तमान पुलिस अधीक्षक, पटना पश्चिमी) ने बताया पुरानी अदावत

शरत आर.एस.

पुलिस अधीक्षक, पटना पश्चिमी

मे हत्या की घटना हुई है. एएसपी के अनुसार मृतक के खिलाफ एक दर्जन से अधिक अपराधिक मामले दर्ज है.

पटना के मनेर थाना क्षेत्र के वसीतपुर मोड के नजदीक एक झोपड़ी में सो रहे युवक की अपराधियों ने गोली मार कर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही लोगों ने इसकी जानकारी मनेर थाने को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दिया है। घटना के बाद पुलिस द्वारा मौके पर एफएसएल टीम और डॉग स्क्वायड को भी बुलाया गया। मनेर थाना प्रभारी ने बताया कि मृत व्यक्ति की पहचान रंग बहादुर कुमार 33 वर्ष के रूप में हुई। वह दानापुर के एएसपी की निजी गाड़ी का ड्राइवर भी रह चुका है।

बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर से विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू पर पटना एम्स के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पर फायरिंग की एफआईआर दर्ज हुई है। तत्कालिन सिटी एसपी पटना पश्चिमी अभिनव धीमान जो वर्तमान में अभी नवादा एसपी हैं। उन्होंने बताया था बताया कि चार दिन पहले चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के पास एक कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने खुद को विधायक रीतलाल यादव का भाई पिंकू यादव बताया था। उसने अपने लोगों को गार्ड में भर्ती करने को कहा।

बिहार के मधुपुरा में खौफनाक घटना सामने आई है। जब एक शख्स ने अपनी पत्नी का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे बैग में रखकर थाने जा रहा था। बैग से बहता हुआ खून देखकर पुलिस ने उसे रोक लिया। और जब बैग की तलाशी ली। तो उसमें एक सिर मिला। जानकारी के मुताबिक अवैध संबंध के शक में आरोपी ने पत्नी की निर्मम हत्या की थी। और सिर धड़ से अलग कर दिया था। घटना श्रीनगर थाने के पोखरिया गांव की है।

मुजफ्फरपुर जिले के पारू की किशोरी की हत्या के मुख्य आरोपित संजय राय के गांव लालू छपरा में उसके समाज से जुड़े लोगों के घर पर हमला और उपद्रव के मुख्य आरोपित औरंगाबाद के नवीनगर के दास मोहल्ला निवासी गोल्डेन दास समेत 16 उपद्रवियों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस ने गांव से उपद्रवियों की 38 बाइक, एक फॉर्च्यूनर कार और एक पिकअप वैन भी जप्त किया था। पुलिस वाहन मालिकों का परिवहन विभाग से ब्योरा ले रही है। सभी को घटना में आरोपित बनाया जाएगा। मामले को लेकर दारोगा के बयान पर उपद्रव और पुलिस पर हमले की एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं, ग्रामीणों के घर में तोड़फोड़ और लूटपाट को लेकर पीड़ितों के अलग-अलग आवेदन के आधार पर मामले

दर्ज किए जाएंगे। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि गोल्डेन दास पर 27 मुकदमे दर्ज हैं। अधिकांश मुकदमे पुलिस पर हमले और उपद्रव के हैं। केवल औरंगाबाद के नवीनगर थाने में ही इसके खिलाफ 23 मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा दो केस पटना और दो केस गया जिले में दर्ज हैं। छेड़खानी, रंगदारी, मारपीट, ठगी आर्म्स एक्ट आदि धाराओं में गोल्डेन दास आरोपित है। चार मामलों में वह फरार चल रहा था। एसएसपी ने बताया कि पारू बवाल में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उपद्रवियों को खदेड़कर पकड़ा। वहीं, गांव से कार से निकलने की कोशिश करते हुए गोल्डेन दास धराया। उपद्रवियों में गोल्डेन के अलावा रामानंद दास, रंजीत कुमार, मंतोष कुमार, राजू कुमार, गया अरुण रविदास, अजय राम, ज्योति दास, सिकंदर कुमार, राजन कुमार, रिकास कुमार, संतोष कुमार, विकास कुमार, अरविंद कुमार और बिट्टू कुमार को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा है।

एसएसपी ने बताया कि गोल्डेन दास ने पारू के लालूछपरा में प्रदर्शन के नाम पर यूपीआई के जरिए ऑनलाइन 67 हजार रुपये जुटाए थे। उसने इस राशि में से दो कार भाड़े पर लेकर पारू पहुंचा। वहां पहले से ही संगठन के लोगों को जुटाकर रखा था। उसने अपने भाषण से लोगों को उपद्रव के लिए उकसाया और उपद्रव के बाद भागना चाहा। एसएसपी ने बताया कि गोल्डेन ने पारू में प्रदर्शन के लिए लोगों को जुटने और इसके बहाने रुपये वसूली के लिए यूपीआई का क्यूआर कोड जारी किया था, जिसके जरिए उसने 67 हजार रुपये जमा किए। गोल्डेन दास का गिरफ्तारी के बाद जेल जाने से पहले का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह पारू में उपद्रव के लिए कान पकड़कर माफी मांगते हुए मीडिया कर्मियों को अपना बयान दे रहा है। वह कह रहा है कि उससे भारी गलती हुई है। इसके लिए जो सजा दी जाए, मंजूर है।

दूसरी तरफ पटना में गैंगवार; कुख्यात शंकर वर्मा को गोलियों से भूना, ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला सुल्तानगंज इलाका। अज्ञात बदमाशों ने कुख्यात अपराधी शंकर वर्मा को मौत के घाट उतार दिया। घटना सुल्तानगंज थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश

में उसका मर्डर किया गया है। पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। शंकर वर्मा पर पहले से 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। मर्डर की वारदात को अंजाम देकर बाइक सवार अपराधी हथियार लहराते हए फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी खंगाल रही है ताकि बदमाशों की पहचान की जा सके। जानकारी के मुताबिक सुलतानगंज थाना इलाके के रानीगंज घाट के पास बाइक से पहुंचे दो-तीन अपराधी सरेराह फायरिंग करने लगे। गोली चलने से इलाके में खौफ का माहौल बन गया। आसपास के लोग अपने घरों में छिप गए। गोलीबारी की इस घटना में शंकर वर्मा को गोलियां लग गई। थोड़ी देर बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि शंकर वर्मा अपनी गाड़ी को ठीक करवा रहा था। वहां शायद अपराधी घात लगाकर पहले से छिपे हुए थे। थोड़ा सा समय ही बीता था कि बदमाश अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। शंकर वर्मा भागने लगा तो अपराधियों ने उसे घेर लिया और ताबड़तोड़ गोलियां उसके उपर बरसा दी। बदमाशों ने उसे संभलने का भी मौका नहीं दिया। फायरिंग देख आस पास के लोग बचने के लिए घरों और दुकान में छिप गए और गोली लगने से जख्मी शंकर वर्मा जमीन पर गिर गया। इस बीच फांका पाकर सभी अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। थोड़ी देर के बाद लोग घटना स्थल पर पहुंचे तो वह छटपटा रहा था। परिवार और आस पास के लोग उसे आनन फानन में उसे अस्पाल ले गए ताकि जान बचाई जा सके। लेकिन पहुंचने से पहले ही वह मर चुका था। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद परिवार के लोग रोने चिल्लाने लगे। सूचना मिलने पर त्वरित गति से सुल्तानगंज थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। तकनीकी सेल और एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया है। टीम ने वैज्ञानिक तरीके से कांड की जांच शुरू कर दिया है।

घटना स्थल से कई साक्ष्य जुटाए गए हैं। पुसिल इलाके में लगाए गए सीसीटी फुटेज को खंगाल रही है। घटना को लेकर एएसपी शरत आर.एस. (वर्तमान सिटी एसपी पटना पश्चिमी) ने बताया पुरानी अदावत मे हत्या कांड को अंजाम दिया गया है। मृतक खुद आपराधिक चरित्र का व्यक्ति था। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में डेढ़ दर्जन से अधिक अपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस को कई मामलों में उसकी तलाश थी।

पटना में किसान की पीट-पीटकर हत्या, रात में खेत पटाने के दौरान बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के नवादा गांव और आई टी बी पी के बीच धान के खेतों में एक किसान की कुदाल के बेंट से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान 48 वर्षीय प्रभात प्रसाद ऊर्फ सुदामा के रूप मे की गई है. बता दें कि प्रभात प्रसाद रात में धान के खेत में पानी पटवन करने गए थे. जहां रात में उनकी बुरी तरह पिटाई कर मार डालने के बाद हत्यारे उनके शरीर के कपड़े तक लेकर फरार हो गए। वहीं इस दौरान अपराधियों का एक गमछा वही छूट गया. लाश के आसपास कुदाल के बेंट के टुकड़े खून सने बिखरे पड़े थे जो हत्याकांड की ओर इशारा कर रहे थे. मृतक के सर और शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान साफ दिखाई पड़ रहा था और सर से खून बह रहा था. खेतों में सिंचाई के पाइप और कई जगह खून बिखरा पड़ा था। सुबह-सुबह धान के खेत में नग्न अवस्था में शव पड़ा देख गांव में सनसनी फैल गई और मृतक के परिवार में कोहराम मच गया. घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए. सूचना पर फुलवारी शरीफ थाना अध्यक्ष मशहूद अहमद हैदरी दलबल के साथ पहुंचे और छानबीन शुरू कर दिया. उन्होंने एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य एकत्रित कराया। खेत में लाश के पास मृतक की पत्नी दो बेटियां बेटे परिवार के अन्य

लोग विलाप करने लगे जिससे वहां का माहौल गमगीन और आक्रोशपूर्ण हो गया. घटनास्थल को देखने के बाद परिवार और गांव वालों ने बताया कि प्रभात प्रसाद को कई लोगों ने पकड़ कर पीटा है जिससे वह जान बचाने के लिए भागते-भागते दूसरे खेत में पहुंच कर गिर पड़ा और मौत हो गई। मृतक के बड़े भाई मनोज यादव उर्फ मनोज नेता ने बताया कि बहादुरपुर के रहने वाले सोनू का कुछ महीने पहले भी खेत में पानी पटाने को लेकर मारपीट हुआ था. उन्होंने साफ आरोप लगाते हुए कहा कि सोनू अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर उनके भाई प्रभात प्रसाद उर्फ सुदामा की पीट पीट कर हत्या कर दिया है. उन्होंने कहा कि उनके भाई हट्टा-कट्टा शरीर वाला था एक दो आदमी नहीं बल्कि कई लोगों ने पकड़ कर उसकी पिटाई कर हत्या किया है. मृतक की पत्नी किरण देवी और बेटियों ने बताया कि उनके पिता के शरीर पर जो कपड़े पहन कर आए थे वह नहीं है यहां एक गमछा पड़ा हुआ था जिसे उनके शरीर को ढक दिया गया है. परिवार गांव के लोगों ने आशंका जाहिर किया कि रात के अंधेरे में अपराधियों ने अपना ही एक गमछा उनके शरीर पर लपेट दिया और मृतक के शरीर के कपड़े तक लेकर भाग गए. मृतक की पत्नी किरण देवी और छोटे भाई भोला ने बताया कि रात के करीब 10:30 बजे के आसपास वह खेत में पानी पटाने के लिए निकले थे.। वही गांव के कुछ लोगों ने बताया कि प्रभात प्रसाद शराब पीने के आदि था जिससे परिवार को लोगों ने समझा कि पानी पटाने और नशे के कारण खेत में देर हो गई जिससे घर नहीं लौट पाए. घर वालों ने सोचा कि कुछ देर बाद लौट कर आ ही जाएंगे. नवादा के रहने वाले स्वर्गीय दरोगा राय के सबसे बड़े बेटे राजद नेता मनोज यादव ने बताया कि उनका मांझीला भाई चंद्रशेखर की करीब 15 साल पहले मौत हो गई. उसके बाद तीसरे नंबर पर प्रभात प्रसाद थे और सबसे छोटा भोला यादव है जो पहले एक बार नोहसा पंचायत से उप मुखिया रह चुका है. वही

थाना अध्यक्ष मशहूद अहमद ने बताया कि खेत में पानी पटाने के विवाद को लेकर परिवार वाले हत्या की बात कर रहे हैं. पुलिस घटनास्थल के पास मिले हुए खून से सना कुदाल के बेंट के टुकड़े को बरामद किया है कई जगह खेतों में खून पसरा हुआ था. एफएसएल टीम को बुलाकर साक्षय एकत्रित कराया गया है.

गौरतलब है कि बिहार में घट रहें घटनाओं पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने विधि व्यवस्था को लेकर अधिकारीयों के साथ किये गए महत्वपूर्ण बैठक पर भी तंज कसा है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी "सुषुप्त अवस्था" में है। प्रदेश में बेलगाम अपराध और ध्वस्त विधि व्यवस्था के कारण प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की सत्ता प्रायोजित पूर्व नियोजित हत्याएं हो रही है लेकिन किसी पुलिस अधिकारी पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई एवं तबादला करने की बजाय अपराध वाले जिलों/क्षेत्रों में ही उन्हें लंबी अवधि तक, तब तक पोस्टिंग दी जा रही कि जब तक पोस्टिंग के वक्त निवेशित राशि पर (लाभांश) ना मिल जाए। वही हत्याओं की ये घटनाएं केवल पटना शहर (पटना जिला नहीं) के पुलिस के आँकड़े है लेकिन सच्चाई इससे भी कई गुणा भयावह है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के नेता अवैध पिस्तौल और बंदूक बनाने की फैक्ट्री चलाते है फिर उन अवैध हथियारों को सरकारी अपराधियों को बेचते है। शराबबंदी के बावजूद तस्करी से अपने घरों में शराब का भंडारण कर फिर पुलिस की मिलीभगत से उसे बेचते है। कई पुलिसकर्मियों की हत्या कर चुके अपराधी एवं कई अन्य जघन्य मामलों में वांछित अपराधी चंद दिन पूर्व आवास में से घंटों मिलकर आए है। इससे पूर्व शराब माफिया भी मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मिले थे। जिस कथित अपराधी को पुलिस ने घर में रखवाने के जुर्म में गिरफ्तार किया था, कुछ दिन पूर्व उसी से मिलने उसके घर गए थे। मुख्यमंत्री जी बताए कि क्या यह सत्ता प्रायोजित, सत्ता संपोषित और सत्ता संरक्षित अपराध नहीं है? जदयू विधान पार्षद मनोरमा देवी के आवास पर की गयी छापेमारी में नकद चार करोड़ रूपये से अधिक की राशि मिलने एवं कई हथियार बरामद होने पर भी नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। बिहार में बढ़ते अपराध एवं गिरती विधि व्यवस्था के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल ने राजभवन तक विशाल मार्च का आयोजन कर 105 अपराध के आंकड़ों के साथ पार्टी का प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल को संबोधित मांग पत्र को राजभवन में नामित पदाधिकारी से ज्ञापन सौंपा हैं। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बिहार में बढ़ते अपराध एवं गिरती विधि व्यवस्था के विरोध में राजभवन मार्च राजद प्रदेश कार्यालय से निकला, जो वीरचंद पटेल पथ होते हुए आयकर गोलम्बर पर पहुंचा, जहां पुलिसिया बैरिकेटिंग करके प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया। प्रशासन के द्वारा रोके जाने पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता भी शांतिपूर्वक वहीं पर धरना पर बैठ गये और तत्पश्चात पटना जिला प्रशासन की ओर से महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को राजभवन ले जाया गया, जहां महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित मांग पत्र जिसमें 105 अपराध की घटनाओं से संबंधित आंकड़ों के साथ-साथ कहा गया कि बिहार में जबसे दोबारा एनडीए की डबल इंजन की सरकार बनी है तबसे बिहार की विधि -व्यवस्था और बढ़ते अपराध के कारण लोगों का जीवन यापन दुभर और भयावह हो गया है।

राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि आम नागरिकों का जीवनयापन पूरी तरह से असुरक्षित हो गया है। हत्या, लूट, छिनतई एवं महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी संगीन अपराध की घटनाओं में दिन प्रतिदिन बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। बिहार के विभिन्न जिलों में होने वाली घटनाओं की एक लंबी सूची संलग्न है। सरकारी आंकड़े एवं इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से आने वाली खबरों से भी समझा जा सकता है। एनडीए की सरकार की लचर प्रशासन की विफलताओं से जनमानस में हताशा, निराशा और सरकार के प्रति भारी रोष है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया कि 105 अपराध की घटनाओं के आंकड़ों के साथ महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन में यह मांग की गई कि घटित घटनाओं का संज्ञान लें और

विधि-व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही न हो : मुख्यमंत्री

बीते 21 सितम्बर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' में गृह विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री को गृह विभाग के प्रधान सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी ने गृह विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भू-समाधान पोर्टल के माध्यम से भूमि जनित मामलों का निरंतर अनुश्रवण कर समाधान किया जा रहा है, जिससे भूमि विवाद में कमी हो रही है। पहले जितनी हत्यायें होती थी, उसमें 60 प्रतिशत हत्यायें भूमि विवाद के कारण होती थी, अब यह घटकर 46.69 प्रतिशत हो गयी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 60 प्रतिशत से अधिक हत्याएं भूमि विवाद के कारण होती हैं, जो अब घट रहा है। जानकारी दी गयी है कि 46.69 प्रतिशत हो गया है, यह अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट का काम तेजी से पूर्ण हो ताकि भूमि विवाद को लेकर होनेवाली अपराध की घटनाओं में पूरी तरह कमी आये। प्रशासन और पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ असामाजिक तत्वों पर नजर बनाये रखें। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि विधि व्यवस्था सरकार की

सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही न बरतें। गश्ती में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतें, रात्रि गश्ती और तेज करें। रात्रि एवं पैदल गश्ती को और प्रभावी बनाने के लिये वरीय पदाधिकारी क्षेत्र में जाकर रात्रि में स्वयं औचक निरीक्षण करें। कानून व्यवस्था को बनाये रखने में सभी पूरी तन्मयता से काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि अपराध अनुसंधान कार्य में तेजी लाएं और इसे ससमय पूर्ण करें ताकि दोषियों पर जल्द कार्रवाई हो सके। कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी से कार्य करें तथा अपराध नियंत्रण हेतु पूरी सख्ती से कार्रवाई करें।

राजीव मिश्रा
एसएसपी पटना

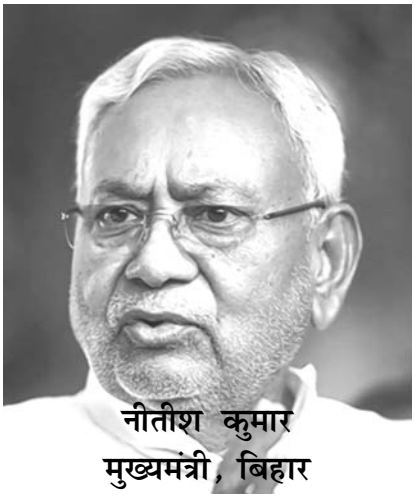
नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री, बिहार

आलोक राज
डीजीपी, बिहार

समुचित कार्रवाई करते हुए सरकार को निर्देश देने की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव श्री जयप्रकाश नारायण यादव, श्री भोला यादव, श्री बीनू यादव, पूर्व सांसद श्री विजय कृष्ण, पूर्व मंत्री डॉ0 रामानंद यादव, विधायक श्री भाई विरेन्द्र, श्री रीतलाल यादव, श्री अनिरूद्ध यादव, श्रीमती रेखा देवी पासवान, पूर्व विधायक सह पटना जिला राजद अध्यक्ष श्री दीनानाथ सिंह यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सतीश

पर वक्ताओं ने कहा कि सरकार जितनी गंभीरता विपक्षी दलों के आन्दोलन को दबाने के लिए लाठीतंत्र और पुलिसिया दमन का सहारा लेती है अगर विपक्षी दलों के बातों को दबाने के जगह अपराध और अपराधियों पर कार्रवाई के दिशा में गंभीर होती तो बिहार में अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगता। जिस तरह से बढ़ते अपराध और गिरती कानून व्यवस्था पर सरकार के स्तर से कार्रवाई नहीं होती है और कहीं न कहीं अपराध और अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोगों को

हैं किन्तु सवाल है कि क्या डीजीपी इस दिशा में कड़े एक्शन लेने में समर्थ हो पायेंगे। क्योंकि बिहार में हर अपराध के पीछे सफेदपोश की पैरवी की जोर आजमाइश देखी गई है। ऐसे में राजनीति दबाव से हटकर बिहार की विधि -व्यवस्था को पटरी पर लाने में नवनियुक्त डीजीपी कितना कारगर साबित होंगे, यह तो देखना होगा, लेकिन डीजीपी आलोक राज ने पदभार लेते ही पटना समेत अन्य जिलों के कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया।

शुभांक मिश्रा
सिटी एसपी, पटना पूर्वी

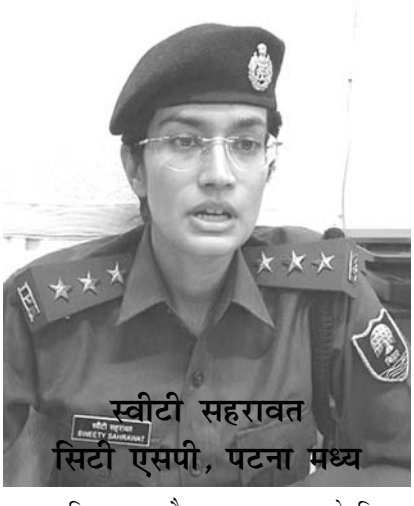
स्वीटी सहरावत
सिटी एसपी, पटना मध्य

शरत आर.एस.
सिटी एसपी, पटना पश्चिमी

कुमार, डॉ0 तनवीर हसन, श्री शिवचन्द्र राम, प्रधान महासचिव श्री रणविजय साहू, विधायक मो0 नेहालुदीन, श्री राकेश कुमार रौशन, पूर्व विधायक श्री भाई दिनेश, मो0 एजाज अहमद, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ0 अनवर आलम, महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रीतु जायसवाल, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक कुमार गुप्ता, प्रदेश महासचिव श्री मदन शर्मा सहित अन्य गणमान्य नेतागण प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। इस अवसर

बढ़ावा दिया जाता है यह स्पष्ट रूप से दिखता है। सरकार का इकबाल समाप्त हो जाने के कारण अपराधी मस्त हैं और पुलिस प्रशासन पस्त है और आमजन पूरी तरह से अपराध की घटनाओं से त्रस्त है।

बहरहाल, राजधानी पटना समेत पूरा बिहार खून, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों से पटा भरा है, वैसे में माननीय मुख्यमंत्री नये डीजीपी आलोक राज को पुलिस मुख्यालय का मुखिया बनाकर एक पुराना प्रयोग फिर से किये

इससे अपराध में कितना नियंत्रण होगा, यह प्रयोग भी देखना अहम होगा। राजधानी पटना में ग्रामीण एसपी सहित तीन नये नगर पुलिस अधीक्षक को प्रभार दिया गया है। ऐसे में ये सभी नये आईपीएस अधिकारी अपराध की गतिविधियों पर नियंत्रण कर पाने में कितना सफल होते हैं, यह भी देखना होगा। फिलवक्त आवाम को शांति और सुरक्षा की गुहार है और इसे पूरा करने की जिम्मेदारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पुलिस महानिदेशक आलोक राज की है।●

न्यायपालिका को सरकार के 'हाथ बांधने' से बचना होगा

● संजय सक्सेना (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)

क्या देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों के समानांतर न्यायपालिका अपने हिसाब से देश को चलाना चाहती हैं। क्या यह अदालते तय करेगी कि जनता द्वारा चुनी गई सरकारों पर उनके किसी आदेश को कैसे तवज्जो मिलना चाहिए। कैसे किसी सरकार को कानून व्यवस्था पर नियंत्रण रखने के लिए अपराधियों पर अंकुश लगाना है यह तय करना सरकार का काम है। वह सबसे अधिक जनता के प्रति जवाबदेह होती है। हर पांच साल पर जनता उसके(सरकार) कामकाज की समीक्षा करती है। तब यह नहीं देखा जाता है कि कोर्ट के तमाम आदेशों से सरकार को कामकाज में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा था। यह सही है कि यदि कोई सरकार संविधान के खिलाफ कार्य करती है तो न्यायपालिका उसे ऐसा करने से रोकें,लेकिन अदालतें किन्हीं दो-चार या इससे कुछ अधिक घटनाओं के आधार पर किसी सरकार के खिलाफ कोई अवधारणा बनाकर उसके हाथ नहीं बांध सकती है। इससे अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित होती है। फिर न्यायपालिका केन्द्र और राज्य सरकारों को लताड़ लगाती हैं कि वह कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही हैं। यह कैसे हो सकता है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की मात्र दो जजों की खंडपीठ पूरे देश में बुलडोजर

न्याय पर रोक लगा देती है तो दूसरी ओर करीब-करीब उसी समय बॉम्बे उच्च न्यायालय बच्चों व महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में पुलिस के अगंभीर रवैये पर सवाल खड़ा करती है।

बता दें 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर से गैरकानूनी ध्वस्तीकरण पर चिंता जताते और इसे संवैधानिक मूल्यों के विरूद्ध बताते हुए इस पर पहली अक्टूबर यानी अगली सुनवाई तक के लिये रोक लगा दी है। सुप्रीम अदालत ने कहा अगर अवैध ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है वह संवैधानिक मूल्यों के विरूद्ध है। कोर्ट की इजाजत के बगैर कोई संपत्ति नहीं ढहाई जाएंगी, जिसमें किसी अपराध में आरोपित की संपत्ति भी शामिल है। यह आदेश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने अपराध के आरोपितों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया। हालांकि उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश सलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अंतरिम आदेश का जोरदार विरोध किया। उनका कहना था कि कोर्ट के सामने यह धारणा पेश की जा रही है कि किसी अपराध में आरोपित समुदाय विशेष के लोगों की संपत्तियां ही ढहाई जा रही है, जबकि वह उदाहरण दे सकते हैं कि मध्य प्रदेश में हिंदुओं के घर भी ढहाए गए हैं। उन्होंने कहा कि याची ऐसा एक भी उदाहरण पेश करें जिसमें कानून का पालपन नहीं किया गया है, लेकिन कोर्ट ने सरकारी पक्ष

के विरोध को दरकिनार कर दिया और कहा कि एक सप्ताह तोड़फोड़ नहीं होगी तो क्या हो जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक संपत्ति जैसे सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइनों या जल निकायों आदि का अतिक्रमण तोड़े जाने पर यह रोक लागू नहीं होगी। मतलब साफ है कि न्यायपालिका सिर्फ उस अवैध निर्माण को बचा रही है जो उन ताकतवर लोगों ने किया हैं जो बड़े से बड़ा गुनाह करने के बाद अपने गुनाहों के खिलाफ उच्च स्तर पर पैरवी कर सकते हैं, जिन्होंने नजूल की जमीन पर अपना साम्राज्य खड़ा कर रखा है। अपराध जिनकी आदत बन गया है। अच्छा होता कि बुलडोजर पर रोक लगाने के साथ सुप्रीम कोर्ट इस ओर भी ध्यान देती कि कैसे अपराधियों को जल्द से जल्द उसके अपराध की सजा मिल जाये,लेकिन इस ओर अपवाद को छोड़कर कभी किसी अदालत ने ध्यान नहीं दिया,जिसके कारण अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका ठीकरा सरकारों के ऊपर थोप दिया जाता है। पीठ ने कहा कि तत्काल प्राथमिकता प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है ताकि न तो अधिकारी और न ही कोई व्यक्ति किसी कमी का फायदा उठा सके। कार्यपालिका न्यायधीश नहीं हो सकती और अदालत द्वारा जारी निर्देश पूरे भारत में लागू होंगे पीठ ने कहा उसने दो सिंतबर ही स्पष्ट कर दिया था कि अदालत सार्वजिनक सड़क या स्थान पर किसी भी अनाधिकृत निर्माण को संरक्षण नहीं देगी। फुटपाथ के लिए हम कहेंगे कि नोटिस भी जरूरी नहीं है। अगर कोई धार्मिक ढांचा भी है तो उसे गिरा दें,तो फिर अवैध निर्माण पर कार्रवाई के खिलाफ क्यों न्यायपालिका आदेश पारित करती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने हलफनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सिर्फ किसी अपराध में आरोपित होना संपत्ति ध्वस्तीकरण का आधार नहीं होता। कार्रवाई म्युनिसिपल ला के उल्लंघन पर कानूनी प्रक्रिया के तहत की जाती है। प्रदेश सरकार के हलफनामे में लिए गए स्टैंड की कोर्ट ने सराहना की,लेकिन फैसला उसके पक्ष में नहीं सुनाया यह भी एक इत्तेफाक है।

हालांकि, यह पहली बार नहीं है, जब देश में बुलडोजर एक्शन चर्चा का विषय बना है। आपातकाल के दौरान देशभर में 4039 इमारतों पर बुलडोजर चलाया गया था। 1978 में शाह आयोग ने अपनी तीसरी और अंतिम रिपोर्ट में कहा था कि दिल्ली में अधिकांश इमारतें संजय गांधी के आदेश से गिराई गईं। वहीं, अन्य राज्यों में उन्हें खुश करने के लिए यह काम किया गया था। शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देशभर में हुई बुलडोजर कार्रवाई में दिल्ली शीर्ष पर थी। अकेले दिल्ली में 1248 इमारतें ढहाई गईं। मध्य प्रदेश में 628, उत्तर प्रदेश में 425, हरियाणा में 300, उड़ीसा में 251, बिहार में 226, पश्चिम बंगाल में 204 और राजस्थान में 163 इमारतें गिराई गई थीं। शाह आयोग की रिपोर्ट में अन्य राज्यों का ब्योरा भी दिया गया था। इसमें बताया गया था कि गंदी बस्तियों को हटाने और नगरों के सुंदरीकरण के लिए बुलडोजर से तोड़फोड़ की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, कई जगह मनमानी हुई थी तो काफी मामले अमानवीय भी थे। देशभर में चंद घंटों के नोटिस पर ही हजारों परिवार उजाड़ दिए गए थे। उधर, सुप्रीम कोर्ट जब बुलडोजर कार्रवाई पर रोक के साथ अवैध कब्जेदारों के प्रति थोड़ा संवेदनशील नजर आ रही थी तभी बच्चों व महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में पुलिस के अगंभीर रवैये पर बॉम्बे उच्च न्यायलय चिंता व्यक्त कर रहा था। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में एक संवेदनशील मुद्दे की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है, जो गंभीर चिंता का विषय है। उल्लेखनीय है कि देश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। जिसकी पुष्टि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़े भी करते हैं। इनके अनुसार, पिछले दस वर्ष में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में 75 फीसदी की वृद्धि हुई है। कुछ हफ्ते पहले ही जिला अदालतों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भी महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा को एक ज्वलंत मुद्दा बताते हुए ऐसे मामलों में त्वरित न्याय की बात उठाई थी। बच्चों के मामले में तो आंकड़े और भी ज्यादा खतरनाक हैं। एनसीआरबी के अनुसार, 2022 में देश में हर घंटे बच्चों के खिलाफ औसतन 18 अपराध हुए, जो एक भयावह स्थिति है। यह स्थिति इसलिए भी खतरनाक है, क्योंकि 2022 की तुलना में 2023 में कुल अपराधों की

संख्या में कमी आई है, लेकिन केवल बच्चों के खिलाफ अपराधों में नौ फीसदी की वृद्धि हुई है। साइबर अपराधों ने इसे और गंभीर बना दिया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में पाया गया है कि 2022 में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध के जो मामले दर्ज किए गए, वे 2021 की तुलना में 32 फीसदी अधिक हैं। दरअसल बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियां, खासकर सोशल मीडिया और गेमिंग प्लेटफार्म पर बढ़ती मौजदूगी, उन्हें साइबर अपराधियों का आसान शिकार तो बन रही है, फिशिंग, हैकिंग, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे अपराध बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डाल रहे हैं। साइबर अपराधों में बच्चों के फंसने का एक बड़ा कारण उनकी इंटरनेट तक आसान पहुंच और उनमें डिजिटल साक्षरता की कमी होना है बच्चों में गलत प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलने में कोविड महावारी के दौर का भी योगदान है, जब करोड़ो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल के संपर्क में आए थे। दरअसल, देश में संबंधित कानून होने के बावजूद तकनीकी विकास की वजह से साइबर अपराधों की बढ़ती जटिलता एक चुनौती बनी हुई है। ऐसे में, कानून प्रर्वतन एजेंसियों को सतर्कता से काम करना ही होगा, लोगों को भी अपने डिजिटल व्यवहार के प्रति जागरूक होना होगा। कुल मिलाकर, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत है लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने के प्रयास केवल सरकार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये सामजिक बदलाव की भी मांग करते हैं। न्यायपालिका को भी बढ़ते अपराधों के लिये सरकार पर टिप्पणी करने के बजाये इस ओर ज्यादा ध्यान देना चाहियें कि कैसे अपराधी को जल्द से जल्द सजा सुनाई जाये।●

अखिलेश से किनारा करती कांग्रेस

● अजय कुमार (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)

कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर नजरिया बदलता जा रहा है। अब कांग्रेस और राहुल गांधी सपा प्रमुख अखिलेश यादव को वह अहमियत नहीं दे रही है जो उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के समय दी थी। वर्ष 2017 के यूपी विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक-दूसरे के प्रति जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं उससे यही लगता है कि जल्द ही कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन का दौर खत्म हो सकता है। इतना ही नहीं पिछले कुछ समय से जिस तरह से अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमों मायावती के बीच दूरियां बढ़ी हैं उससे भी अखिलेश यादव अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। यूपी की दस विधान सभा सीटों पर होने वाले उप चुनाव में यदि समाजवादी पार्टी उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाई तो उसके लिये आगे के लिये अपनी साख बचाना मुश्किल हो जायेगा। वैसे भी मायावती ने उप चुनाव में बसपा के भी प्रत्याशी उतारने की बात कहकर अखिलेश की धड़कने बढ़ा ही रखी हैं।

बात कांग्रेस और सपा के बीच बढ़ती खाई की कि जाये तो पिछले कुछ महीनों में राहुल गांधी एक परिपक्त नेता की तरह आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपना गोल निर्धारित कर लिया है उसी के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। जातीय जनगणना और मुस्लिमों को लुभाने में राहुल गांधी हिन्दुओं पर आक्रमक होने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं।जिसका उन्हें हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में फायदा होता भी दिख रहा है। उधर, पहले मध्य प्रदेश और अब हरियाणा में कांग्रेस ने सपा को एक भी सीट नहीं देकर यह संदेश दे दिया है कि उसके लिये समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से बाहर मायने नहीं रखती है। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की बैसाखी के सहारे सपा महाराष्ट्र मे अपनी ताकत बढ़ाने की जो कोशिश कर रही थी,उस पर भी पानी फिरता दिख रहा हैं। वैसे सपा की महाराष्ट्र यूनिट ने 12 सीटों पर प्रत्याशी तय कर दिए हैं। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय, विधायक इंद्रजीत सरोज, तूफानी सरोज और प्रभारी बनाया गया है। कुल मिलाकर दूसरे प्रदेशों में अपनी जड़े मजबूत करने का सपना देख रहे अखिलेश यादव को कांग्रेस से लगातार झटके पर झटका ही मिल रहा है। महाराष्ट्र इस कड़ी का नया हिस्सा बन गया है। सपा के पास विकल्प की बात की जाये तो वह फिलहाल सिर्फ यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को इसका जवाब दे सकती है। यूपी में सपा की स्थिति कांग्रेस से कहीं अधिक मजबूत है। दरअसल, लोकसभा चुनाव में यूपी में 37 सीटें जीतने वाली सपा दूसरे राज्यों की विधानसभाओं में खाता खोलकर राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करना चाहती है। दूसरे राज्यों में सपा का संगठन उतना प्रभावी नहीं है, जितना उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में सपा ने कांग्रेस के सहारे चुनाव मैदान में उतरने की कोशिश कई बार की है। पहले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा, कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहती थी। उस चुनाव में कांग्रेस के सपा से गठबंधन न करने पर सपा ने अपने दम पर 22 प्रत्याशी उतारे थे। सपा का खाता तो नहीं खुला, लेकिन कांग्रेस को कुछ सीटों पर नुकसान जरूर हुआ। इसी तरह से हरियाणा की मुस्लिम और यादव बहुल 12 विधानसभा सीटों पर सपा ने कांग्रेस से गठबंधन करने का प्रयास किया था। बात पांच और फिर तीन सीट पर आकर टिक गई थी। कांग्रेस ने अपनी सूची जारी की तो एक भी सीट सपा के लिए नहीं छोड़ा। हालांकि, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 'बात सीट की नहीं, जीत की है' कहकर गठबंधन धर्म निभाने के लिए त्याग करने के संकेत दे दिए हैं। हरियाणा के सपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह भाटी भी कहते हैं कि तीन सीटों को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को संदेश भेजा था। संगठन ने पूरी तैयारी की, लेकिन कांग्रेस इससे पीछे हट गई। वहीं, दूसरी ओर जम्मू- कश्मीर की 20 सीटों पर सपा ने कांग्रेस गठबंधन नहीं होने पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। जम्मू -कश्मीर में कांग्रेस और सपा आमने-आमने है। अखिलेश के जम्मू-कश्मीर में प्रचार के लिए भी जाने की तैयारी है। यहां भी अखिलेश को यूपी की तरह मुस्लिम वोट सपा को मुस्लिम वोट मिलने की उम्मीद है।●

दलित वोटों की लड़ाई में सपा-बसपा आमने-सामने

● अजय कुमार (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)

मोदी सरकार ने उच्च पदों पर नौकरियों में सीधी भर्ती (लेटरल एंट्री) का अपना एक फैसला क्या वापस लिया, विपक्ष ने इसे मोदी को घेरने का हथियार बना लिया। पूरा विपक्ष अपनी पीठ ठोंक रहा है। पीठ ठोंकने वालों में यूपी के नेता मायावती और अखिलेश यादव सबसे आगे नजर आ रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को तो लगता है कि इससे यूपी की राजनीति की धुरी ही बदल जायेगी। बसपा प्रमुख मायावती की प्रतिक्रिया आई थी कि उनके तीव्र विरोध के बाद सरकार ने सीधी भर्ती वाला निर्णय वापस लिया है। वहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि पिछले दरवाजे से आरक्षण को नकारते हुए नियुक्तियों की साजिश आखिरकार पीडीए की एकता के आगे झुक गई। मतलब यह है कि फैसला केंद्र ने वापस लिया लेकिन अखिलेश और मायावती खुद इसका क्रेडिट ले रहे हैं। वैसे सियासत इसी को कहा जाता है।

वैसे यह पहली बार नहीं हुआ है कि परस्पर विरोधी बसपा और सपा नेताओं के सुर एक जैसे सुनाई पड़ रहे हों, इसी तरह के सुर आरक्षण में वर्गीकरण के मुद्दे पर भी देखने को मिले थे, बसपा ने बंद का समर्थन किया तो अखिलेश ने भी तुरंत इसके समर्थन में पोस्ट लिख कर अपना पक्ष रख दिया। बात यहीं तक सीमित नहीं है, आरक्षण से जुड़े हर मुद्दे पर मायावती और अखिलेश लगातार आक्रामक दिख रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि आरक्षण के मुद्दे पर दोनों के सुर एक हैं? या दोनों के बीच एक रेस लगी हुई है कि दलितों और पिछड़ों का ज्यादा हितैषी कौन है? आखिर इस मुद्दे के जरिए मायावती और अखिलेश कौन-सी राजनीति साध रहे हैं? इस तमाम सवालों का जवाब समझने के लिए पिछले लोकसभा चुनाव से पहले की स्थितियों और नतीजों पर गौर करना जरूरी है। यूं तो संविधान और आरक्षण बसपा का कोर मुद्दा रहे हैं लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव से पहले सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके पीडीए (पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक) का जो नारा और इंडिया गठबंधन में शामिल होकर संविधान की रक्षा का मुद्दा भी जोर-शोर से उठाया था,उसका फायदा जब इंडिया गठबंधन को मिला तो बसपा सुप्रीमों को अपना राजनैतिक भविष्य अंधकार में नजर आने लगा। इससे पहले मायावती को भी यह उम्मीद नहीं थी कि सपा का यह दांव इतना अधिक कारगर होगा। नतीजे आए तो सपा ने यूपी में अकेले 37 सीटें जीत लीं। साथ में कांग्रेस को भी छह सीटों पर जीत हासिल हुई और बसपा का सफाया हो गया। वोट प्रतिशत भी खिसक कर मात्र करीब साढ़े नौ प्रतिशत पर आ गया। इससे साफ हो गया कि सपा के द्वारा बसपा के दलित वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी कर ली गई है। तब से मायावती की एक ही कोशिश है कि किसी तरह अपना दलित वोटबैंक वापस लाया जाए। इसके लिए मायावती लगातार दलित हितों से जुड़े मुद्दे उठा रही हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण में वर्गीकरण पर अपना मत दिया,तो मायावती की उम्मीद को पंख लग गये। मायावती ने तुरंत इस मुद्दे को लपक लिए। सबसे पहले उनकी प्रतिक्रिया आई। इसे पूरी तरह गलत ठहराते हुए उन्होंने भाजपा के साथ ही सपा-कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों को भी घेरना शुरू कर दिया। वह संसद में संविधान संशोधन लाने की मांग पर अड़ गई। इस मुद्दे पर उन्होंने दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सोशल मीडिया के जरिए कई बयान दिए। शुरुआत में कांग्रेस ने इस पर सिधी प्रतिक्रिया दी, लेकिन मायावती के आक्रामक रुख को देखते हुए सपा ने भी खुलकर मोर्चा खोल लिया। इसी बीच 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला भी उठा,जिस पर सपा और बसपा दोनों ही आक्रामक दिखे। अखिलेश यादव को लगा कि अब यदि चुप रहे तो पिछले लोकसभा चुनाव में जो दलित वर्ग उनके साथ जुड़ा है, कहीं वापस बसपा में न चला जाए। उन्होंने सीधी भर्ती के मामले में 2 अक्टूबर को आंदोलन का ऐलान भी कर दिया। मायावती भी अपने बयानों के जरिए इस मुद्दे पर आक्रामक रूख बनाये हुए हैं।

लब्बोलुआब यह है कि सपा और बसपा नेता लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि दलितों के असली हितैषी वही हैं। बसपा ने लोकसभा चुनाव के बाद कमिटियों का नए सिरे से गठन किया है। उनमें भी साफ झलक देखने को मिली कि दलितों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। वहीं, अखिलेश यादव भी लोकसभा चुनाव के बाद फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद को आगे बढ़ा रहे हैं। संसद से लेकर सार्वजनिक मंचों तक वह अवधेश प्रसाद के साथ नजर आते हैं। संसद में भी अवधेश प्रसाद को लोकसभा में अधिष्ठाता मंडल का सदस्य बनवाया गया। मायावती की तरह मंचों से आंबेडकर और कांशीराम का नाम अक्सर लेते हैं। दरअसल, अभी यूपी में विधान सभा उपचुनाव होने हैं।●

मतांतरण गैंग के जाल में फंस रहे हिंदू

● संजय सक्सेना (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)

देश में अवैध मतांतरण के सिंडीकेट की जड़े बेहद गहरी रही हैं। मतांतरण को बढ़ावा देने के लिये अरब और कई मुस्लिम देशों से भी हवाला आदि के माध्यम से मोटी रकम आती है। यह बात कोई दबी छिपी नहीं है, लेकिन इसके खिलाफ बने कानून कभी उतने कारगार नहीं रहे जिससे विदेशों से मतांतरण के लिये होने वाली फंडिंग को रोका जा सके। यही वजह थी लखनऊ की एटीएस-एनआईए कोर्ट ने अवैध तरीके से मतांतरण के खिलाफ सुनवाई पूरी की तो यहां भी इस बात का खुलासा हुआ कि विदेशी फंडिंग से मतांतरण कराने वाले के हाथ काफी लम्बे हैं। बहरहाल, एटीएस और एनआईए की अदालत ने विदेशी पैसे के सहारे अवैध मतांतरण कराने वाले 12 लोगों को उम्रकैद और चार लोगों को दस-दस साल की सजा सुनाई है, तो निश्चित रूप से इसका कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रदेश में सुनियोजित ढंग से लोगों को प्रलोभन देकर मतांतरित करने के कई मामले प्रकाश में आ चुके हैं और जब एटीएस ने पहली बार एक साथ इतने लोगों को सजा दिलाने में सफलता हासिल की है, तो निश्चित रूप से ऐसी गतिविधियों में कमी आएगी। जिन लोगों को सजा हुई है, वे गिरोह के रूप में लोगों को बरगलाकर हिंदू से मुस्लिम बना रहे थे और उनके निशाने पर वह वंचित एवं दलित वर्ग था जो आसानी से थोड़ी बेहतर जिंदगी के लालच में उनके चंगुल में फंस जाता है। ऐसे लोगों का कितना ब्रेनवॉश कर दिया जाता है, इसे इस बात से ही समझा जा सकता है कि हिंदू से मुस्लिम बने युवाओं ने भी पूरी सक्रियता से मतांतरण में भाग लेना शुरू कर दिया था।

मोहम्मद उमर गौतम

इरफान शेख उर्फ इरफान खान

सलाउद्दीन जैनुद्दीन शेख

प्रसाद रामेश्वर कावरे उर्फ आदम

अर्सलान मुस्तफा उर्फ भूप्रिय बंदो

कौशर आलम

फराज बाबुल्लाह शाह

मौलाना कलीम सिद्दीकी

धीरज गोविंद राव जगताप

सरफराज अली जाफरी

काजी जहांगीर आलम कासमी

अब्दुल्ला उमर

बहरहाल, मतांतरण के लिए विदेशी फंडिंग की बात पहले भी सामने आती रही है। एटीएस और एनआईए को अब इस पूरे नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। मतांतरण को लेकर योगी सरकार पहले से ही काफी सख्त है और इसीलिए राज्य में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 लाया गया है। लोगों को अपनी इच्छा से कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है, लेकिन यदि इसके पीछे जबरदस्ती या लोभ हो तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। हर धर्म की अपनी मान्यताएं

हैं और उनके प्रति लोगों की आस्था जुड़ी होती है, तो इसके पीछे कई कारण होते हैं। धर्म की जड़ों को उखाड़ना आसान नहीं है, लेकिन कुत्सित मानसिकता वाले ऐसा करने का प्रयास करते हैं। मतांतरण के कुत्सित प्रयास में लगे लोग वस्तुत: समाज में असंतुलन पैदा करना चाहते हैं, इसलिए इस पर हर तरह से सख्ती की जानी चाहिए।

उक्त मामले में यह भी पता चला है कि दिल्ली की एनजीओ के माध्यम से अवैध मतांतरण को बड़े पैमाने पर कराने के लिए विदेशी फंडिंग का गहरा जाल बुना गया था। एनजीओ संचालक मु.उमर गौतम व मेरठ के मौलाना कलीम सिद्दीकी ने मिलकर बड़े पैमाने पर विदेश से रकम जुटाई थी और उसे गिरोह के सदस्यों तक पहुंचाया जाता था, जिससे संगठित रूप से मूक-बधिर बच्चों, महिलाओं व कमजोर आय वर्ग के लोगों को डरा-धमका कर अथवा प्रलोभन देकर मतांतरण कराया जा सके।

हिंदू धर्म के लोगों को मुस्लिम समुदाय में शामिल कराने के इस खेल में हवाला के जरिये भी करोड़ों रुपये एजेंटों तक पहुंचाए गए थे। इस बेहद संगीन मामले में एटीएस की प्रभावी पैरवी का परिणाम रहा कि 11 सितंबर 2024 को उमर व कलीम समेत 16 आरोपितों को सजा सुनाई जा सकी। गौरतलब हो, अवैध मातांरण के षड्यंत्र की परतें जून, 2021 में पहली बार तक खुली थीं, जब गाजियाबाद के डासना स्थित शिव शक्ति धाम देवी मंदिर परिसर में खतरनाक इरादों से घुसने का प्रयास कर रहे दो संदिग्ध युवक विपुल विजय वर्गीय व कासिफ पकड़े गए थे। दोनों से पूछताछ में सामने आया था कि मूलरूप से नागपुर निवासी विपुल विजय वर्गीय कुछ वर्ष पूर्व मुस्लिम धर्म अपना चुका है और उसने गाजियाबाद में एक मुस्लिम युवती से शादी की है। कासिफ उसका साला था। दोनों से पूछताछ में ही विपुल का मतांतरण कराने वाले बाटला हाउस, जामिया नगर दिल्ली निवासी मोहम्मद उमर गौतम तथा ग्राम जोगाबाई जामिया नगर, दिल्ली निवासी मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी के नाम सामने आए थे। विपुल का मतांतरण उमर ने कराया था और उसका नाम रमजान रख लिया था। उमर सी-2, जागाबाई एक्सटेंशन, जामिया दिल्ली में अपने अन्य सहयोगियों के साथ इस्लामिक दावा सेंटर नाम की संस्था का संचालन करता था। उमर के साथ इस खेल में मेरठ के मौलाना कलीम की बेहद सक्रिय भूमिका थी। कलीम जामिया ईमाम वलीउल्ला ट्रस्ट का संचालन करता था, जिसके खाते में फंडिंग होती थी। एटीएस की जांच में सामने आया था कि कलीम की ट्रस्ट के डेढ़ करोड़ रुपये एकमुश्त बहरीन से भेजे गए थे। यह भी सामने आया था कि जिन संगठनों ने उमर गौतम की संस्था अल-हसन एजूकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन को फंडिंग की थी, उन्हीं श्रोतों से मौलाना करीम की ट्रस्ट को भी फंडिंग की जा रही थी। मुजफ्फरनगर के ग्राम फूलत निवासी मौलाना कलीम सिद्दीकी अधिकतर दिल्ली में रहकर अपनी गतिविधियां संचालित करता था। कलीम की संस्था के खाते में 20 करोड़ रुपये से अधिक की फंडिंग के साक्ष्य मिले थे। उमर गौतम का सक्रिय साथी डा.फराज शाह को एटीएस ने महाराष्ट्र के यवतमाल से गिरफ्तार किया था। फराज ने एमबीबीएस किया था और अपने घर के पास ही क्लीनिक का संचालन करता था और अवैध मतांतरण से जुड़ी गतिविधियों में लिप्त था। इस संबंध में डीजीपी उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार ने कहा कि एटीएस-एनआईए न्यायालय का निर्णय अवैध मतांतरण व विघटनकारी तत्वों के विरुद्ध यूपी एटीएस की प्रभावी कार्रवाई तथा गुणवत्तापूर्ण विवेचना पर मुहर लगाता है। अवैध मतांतरण सिंडिकेट के 16 आरोपियों को दोषी करार दिए जाने से स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में असामाजिक तत्वों व राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं है। ●

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल सच पत्रिका के साथ जुड़े। खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769/8340360961

ई-मेल:- editor.kstimes@rediffmail.com पर भेजें।

'पैगम्बर ए इस्लाम बिल' की उठी मांग

● संजय सक्सेना (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)

उत्तर प्रदेश में कभी बांस के फर्नीचर के लिये मशहूर बरेली आजकल कुछ मुस्लिम धर्मगुरु के बेतुके बयानों और साम्प्रदायिक सोच के चलते काफी शोहरत बटोर रहा है। कभी कावड़ियों का रास्ता रोक कर उनके साथ मारपीट की जाती है तो कभी धर्म परिवर्तन कराने के लिये कार्यक्रम रखे जाने की बात कही जाती है। अब यहां से एक 'पैगम्बर ए इस्लाम बिल की मांग के रूप में नया विवाद निकला है। आला हजरत के 106वें उर्स रजवी के पहले दिन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मुख्यालय पर एक बैठक हुई है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए उलमा और बुद्धिजीवियों ने मुसलमानों के मुद्दों पर चर्चा की और एक मुस्लिम एजेंडा तैयार किया। इसके साथ ही सरकार से पैगम्बर ए इस्लाम बिल लागू की मांग की गई है. इस मौके पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बैठक में आये सभी मौलानाओं का पक्ष और विचार समाज के सामने रखते हुए सरकार और राजनीतिक पार्टियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अक्सर कोई न कोई व्यक्ति पैगम्बरे इस्लाम की शान में गुस्ताखी करता है, मगर सभी लोग खामोश होकर तमाशाई बने रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती इसलिए संसद या विधानसभाओं में है 'पैगम्बर ए इस्लाम बिल' लाया जाए, ताकि फिर कोई व्यक्ति उनकी शान में गुस्ताखी न कर सके. मुस्लिम धर्म लंबियां का कहना था कि इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ ईशनिंदा करने वाले लोगों को कठोर सजा देने के लिए पैगंबर मोहम्मद बिल नाम से कानून बनाया जाए. मुस्लिम संगठनों का कहना है कि इस कानून से अन्य सभी धर्मों के प्रमुखों एवं हस्तियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों पर रोक लगेगी. मौलाना ने आगे कहा कि सरकार चाहे तो इस मसौदा विधेयक को कोई और नाम दे सकती है. हमारी मांग है कि पवित्र पैगंबर साहब का अपमान और ईशनिंदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक कठोर कानून मौजूद हो. यह कानून किसी भी धर्म के प्रमुखों एवं देवी-देवताओं के अपमान पर कार्रवाई करने वाला हो. इस तरह का अपराध करने वालों के खिलाफ जो मौजूदा कानून हैं वे अपर्याप्त एवं कमजोर हैं, इसलिए सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं होती हैं. इसके साथ ही इस मीटिंग में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक मुस्लिम एजेंडा भी जारी किया, जिसमें मुसलमानों को शिक्षा, बिजनेस, और परिवार पर ध्यान देने की सलाह दी गई. उन्होंने कहा कि मुसलमानों को समाज में फैल रही बुराइयों पर रोकथाम करनी चाहिए और लड़कियों के लिए अलग से स्कूल और कॉलेज खोलने चाहिए. मौलाना ने केंद्र और राज्य सरकारों को चेतावनी देते हुए कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए मुसलमान हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने वाली राजनीति बर्दाश्त नहीं की जा सकती. मुसलमानों के साथ नाइंसाफी और जुल्म व ज्यादती को भी हम ज्यादा दिन तक सहन नहीं कर सकते. सरकारों व राजनीतिक पार्टियों को इस पर गंभीरता से काम करना होगा

और मुसलमानों के प्रति अपने आचरण में बदलाव लाना होगा. उन्होंने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया और कहा कि वक्फ संपत्ति का रख-रखाव और उससे होने वाली आमदनी गरीब और कमजोर मुसलमानों पर खर्च की जानी चाहिए. मौलाना ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के संबंध में कहा कि इस तरह के कानून को भारत का मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है. उन्होंने बांग्लादेश के तख्ता पलट के दौरान हिंदुओं के मकानों और मंदिरों पर हुए हमलों की निंदा की और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरकारों से अपनी जमीन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने न देने और आतंकवाद का जड़ से खात्मा करने की अपील की. मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुस्लिम कौम को हिदायत दी कि पहले के मुकाबले 2023-2024 में मुसलमानों की शिक्षा दर कुछ हद तक बढ़ी है, लेकिन यह संतोषजनक नहीं है. मुसलमानों को अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और संपन्न मुसलमानों को गरीबों के बच्चों की स्कूल की फीस का खर्चा उठाना चाहिए. मदरसों और मस्जिदों में अरबी, उर्दू के साथ-साथ हिंदी व अंग्रेजी और कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए. मुसलमानों को अपनी जमीन व जायदाद में लड़कों के साथ लड़कियों को भी हिस्सा देना चाहिए.

जकात का इज्तिमाई निजाम कायम करना चाहिए मुसलमानों को कानून के दायरे में रहना चाहिए. मौलाना रजवी बरेलवी ने केंद्र और राज्य सरकारों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए काम करने वाली सरकारों के साथ मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार हैं. अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए बनाई गई स्कीमों का फायदा मुसलमानों को नहीं मिल पा रहा है, इसकी व्यवस्था में बदलाव किया जाना चाहिए. मौलाना ने आरोप लगाया कि लव-जिहाद, मॉब-लिंचिंग, धर्मांतरण, टेरर फंडिंग और आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों को भयभीत और परेशान किया जा रहा है, इसको रोकना चाहिए कुछ कट्टरपंथी संगठन मुसलमानों की लड़कियों को डरा धमकाकर और लोक लुभावने सपने दिखाकर शादी की मुहिम चला रहे हैं, इसको चिन्हित करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. संविधान ने अल्पसंख्यकों को अपने संस्थान स्थापित करने की इजाजत दी है, इसमें सरकार को दखल देने की जरूरत नहीं है. इसके साथ ही मौलाना ने कहा कि 1991 के एक्ट के अनुसार धार्मिक स्थलों की यथास्थिति स्थिर रहनी चाहिए, इसके बावजूद कई मुकदमे कोर्ट में विचाराधीन हैं, इससे पूरे देश का माहौल खराब हो रहा है. पैगंबरे इस्लाम की शान में गुस्ताखी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, केंद्रीय सरकार 'पैगम्बर ए इस्लाम बिल' संसद में लाए समान नागरिक संहिता मुसलमानों को मंजूर नहीं है. मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने राजनीतिक पार्टियों को हिदायत दी कि वे अपनी जरूरत के वक्त और वोट लेने के लिए मुसलमानों को इस्तेमाल करती हैं, लेकिन सरकार बनाने के बाद उन्हें भूल जाती हैं इसलिए उन्हें अपने काम करने के तरीकों में बदलाव लाना होगा मुसलमान. किसी एक राजनीतिक पार्टी का गुलाम नहीं है, इसलिए राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं को मुसलमानों को बंधुआ मजदूर न समझें। ●

एक हत्याकांड के सहारे राहुल की फिर हिन्दुओं को बांटने की साजिश

● संजय सक्सेना (वरिष्ठ पत्रकार , लखनऊ)

कांग्रेस के 'ब्रांड एम्बेसडर' और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी जिस तरह की जातिवादी राजनीति कर रहे है,वह देश और समाज के लिये काफी घातक है। राहुल गांधी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिये हिन्दू समाज को बांटने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। यह सिलसिला राहुल ने काफी पहले शुरू कर दिया था। इस साल हुये आम चुनाव के बाद तो राहुल ने हिंदुओं को बांटने की साजिशें और भी तेज कर दी हैं। आश्चर्य की बात यह है कि पारसी दादा फिरोज घांडी के पौत्र राहुल गांधी अपनी जाति धर्म तो छिपाते हैं पर हर हर हिन्दू युवक से उसकी जाति पूछना वह अपना अधिकार समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि राहुल गांधी के दादा फिरोज घांडी को गांधी उपनाम कैसे मिला? कई किताबें कहती हैं कि घांडी फिरोज का कुलनाम था, जो पारसी धर्म में एक जाति विशेष का उपनाम होता है। फिरोज का उपनाम घांडी लोगों की जुबान पर नहीं चढ़ा था,एक तो घांडी उपजाति वाले पारसियों की आबादी बेहद कम थी दूसरे उस समय तो सब गांधी के पीछे भाग रहे थे। अज्ञानतावश लोग फिरोज घांडी को भी फिरोज गांधी कहकर बुलाने लगे,जिसका फिरोज को फायदा भी मिला,इसलिये उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया, लेकिन यह भी हकीकत है कि वह मरते दम तक पारसी ही रहे उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। पारसी समाज के रीतिरिवाज के अनुसार ही उनकी अंतिम क्रिया हुई थी।

खैर, यह सब इस लिये याद आ गया क्योंकि राहुल गांधी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में हुई एक हत्या के सहारे हिन्दुओं को आपस में लड़ाने के लिये बिसात बिछा रहे हैं। बता दें पिछले दिनों राबयरेली में आपसी लड़ाई झगड़े में पासी समाज के युवक अर्जुन की हत्या कर दी गई थी। यह एक आपरधिक घटना थी जिसे राहुल गांधी ने दलित बनाम सवर्ण सियासत में बदल दिया।अपनी इसी सियासी महत्वाकाक्षा को पूरी करने के लिये 20 अगस्त मंगलवार को रायबरेली पहुंचे। उन्होंने यहां अर्जुन पासी के परिजनों से मुलाकात की। भरोसा दिया कि उत्पीड़न के मामले को सड़क से सदन तक उठाया जाएगा। राहुल गांधी इस हत्याकांड के सहारे अगड़ों और दलितों के बीच खाई पैदा करने का कुचक्र रचने लगे। बता दें राहुल गांधी दलित समाज के युवक अर्जुन पासी के मामले को लेकर विधानसभा की 103 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। उनकी पार्टी यह भी रणनीति बना रही है कि दलितों से जुड़े मुद्दे पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भी अब अर्जुन पासी की हत्या का मुद्दा उठाया उत्तर

प्रदेश में जाटवों के बाद पासी दूसरा सबसे बड़ा दलित समुदाय है, जो राज्य की कुल अनुसूचित जाति आबादी का लगभग 16 प्रतिशत है। समाज के लोगों का दावा है कि वे करीब 103 सीटों पर प्रभाव रखते हैं, जिसमें 70 सीटें ऐसी हैं, जहां पासी समाज ही निर्याणक भूमिका में हैं।

राहुल गांधी यह सब तब कर रहे हैं जब कुछ दिन पहले ही गोली मारकर अर्जुन पासी की हत्या के मामले में परिजनों की शिकायत पर पांच लोगों पर नामजद एफआईआर की जा चुकी है और उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बाकी का काम अदालत को करना है। इस मामले में बाद में ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि पर भी कुछ संगठनों ने हत्याकांड में शामिल होने का आरोप जड़ दिया. हालांकि, इस संबंध में पुलिस ने कहा है कि परिजनों ने जिसके खिलाफ नामजद एफआइआर दर्ज करवाई है उन पर कार्रवाई की गई है। उधर, रायबरेली पहुंचे कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, यहां पर जो सभी लोग हैं, वो न्याय मांग रहे हैं, क्योंकि एक दलित युवक को जान से मारा गया है. पूरे परिवार को धमकाया गया है. एक शख्स को मारा गया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. यहां के पुलिस अधीक्षक हत्याकांड के मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. छोटे-छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं. उत्तर प्रदेश में हर वर्ग का आदर हो और न्याय सबको मिले. जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं.

संगठनों के दबाव में पुलिस द्वारा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि का नाम हत्याकांड में न जोड़े जाने पर रायबरेली में इस मामले को दलित बनाम सवर्ण बना दिया गया है। पुलिस ने छह आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है और मुख्य आरोपी विशाल सिंह की गिरफ्तारी की मांग उठाते हुए लोगों का प्रदर्शन जारी है।●

आर्य समाज मंदिर बन गया है शादी का प्रमाण पत्र बांटने का अड्डा

● संजय सक्सेना (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)

आर्य समाज मंदिर का नाम सुनते ही एक धार्मिक संस्था की छवि सामने आती है,लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्योंकि आर्य समाज मंदिर जैसे पवित्र संस्था पर भी कुछ अराजक तत्वों की नजर पड़ गई है। अब यहां शादी के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार किये जाते हैं। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लिया है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्या उत्तर प्रदेश में फर्जी तरीके से चल रहे आर्य समाज मंदिर हिन्दू लड़कियों को बरगला कर शादी कराने के अडडे तो नहीं बनते जा रहे हैं। यह चिंताजनक है कि आर्य समाज मंदिर हिन्दू समाज की लड़कियों के लिये बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। यह कथित आर्य समाज मंदिर शादी के नकली दस्तावेज बनाने के अलावा यौन उत्पीड़न,मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी की साजिश में भी लिप्त पाये जाते रहे हैं, लेकिन कभी इसकी जांच नहीं हुई कि ऐसे कथित आर्य समाज मंदिर के पीछे कौन सी साजिशें काम कर रही हैं। अब यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने प्रयागराज में आर्य समाज नाम से संचालित संस्थाओं की विस्तृत जांच का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पुलिस आयुक्त से कहा है कि पता लगाया जाए कि विवाह कराने वाली ये संस्थाएं किस नाम और पते के साथ किन क्षेत्रों में संचालित हो रही है। किन क्षेत्रों में संचालित हो रही हैं। उनके अध्यक्ष सचिव और पुरोहित जो शादी कराते हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र की जाए। यह भी पता लगाया जाए कि घर से भागे हुए युवक-युवतियों से ये संस्थाएं किस प्रकार के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाने में इनका मददगार कौन है? लड़के-लड़कियों को

कौन संरक्षण देता है? इन संस्थाओं के वित्तीय लेनदेन की भी जानकारी की जाए। संस्थाओं द्वारा शादी करवाने के लिए ली जाने वाली फीस (दक्षिणा) की जानकारी भी करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने मानसी व अन्य सहित 42 याचिकाओं पर अपर स्थायी अधिवक्ता ओपी सिंह को सुनकर दिया है। न्यायालय ने पुलिस कमिश्नर से कहा है कि वह अपनी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में न्यायालय के समक्ष अगली सुनवाई तिथि 25 सितंबर को प्रस्तुत करें। पुलिस आयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी उपस्थित रह सकते हैं। याचीगण का कहना है कि उन्होंने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की है वे बालिग हैं। जान को खतरा है। इसलिए उनकों सुरक्षा मुहैया कराई जाए। याची मानसी ने सिविल लाइंस में संचालित आर्य समाज संस्थान का विवाह प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है जो खुद को पंजीकृत संस्था बताते हुए आर्य प्रतिनिधि सभा लखनऊ से संबंध होने का दावा करती है। कोर्ट ने कहा, सभी संस्थाएं पंजीकृत और आर्य प्रतिनिधि सभा लखनऊ से संबंध होने का दावा करती है। पुलिस ने जब इन संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया तो पता चला कि यह विवाह बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। दस्तावेज, विशेष कर आधार कार्ड फर्जी पाए गए। शपथ पत्र भी फर्जी मिला। याचियों के नाम और पते गलत मिले। विवाह पंजीकरण अधिकारी इन्हीं फर्जी दस्तावेजों पर विवाह का पंजीकरण कर रहे है। कोर्ट ने कहा, ऐसे विवाहों से मानव तस्करी, यौन उत्पीड़न तथा बंधुआ मजदूरी को बढ़ावा मिलता है। सामजिक असुरक्षा के कारण नाबालिग लड़कियां भावनात्मक व मनोवैज्ञानिक सदमे का शिकार होती है। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर से कहा है कि वह स्वयं जांच की निगरानी करें।●

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष में

● संजय सिन्हा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 27 सितम्बर 2024 को 100 वां स्थापना दिवस एवं 99 वर्षगांठ पूरी हो गई संघ अब 100 वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है संघ इस 99 वर्षों में बहुत उतार चढ़ाव समस्याएं देखीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्य संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने 27 सितम्बर 1925 के विजयादशमी (दुर्गा पूजा) के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया मतलब संघ की शुरुआत, डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने संघ के नींव डालने के अवसर पर कोई लंबे चौड़े न भाषण दिये और न ही प्रचार कर कोई दिखावा किया डॉक्टर साहब ने कोई अंतिम कार्ययोजना भी प्रस्तुत नहीं किया, उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कोई लिखित संविधान भी नहीं था, डॉक्टर साहब सैद्धांतिक बातों और कागजी कार्रवाई की अपेक्षा प्रत्यक्ष कार्य करने में अधिक विश्वास रखते थे, सिद्धान्त रुप से किसी तरह का प्रचार नहीं किया गया प्रचार नहीं करने का कारण कोई

गोपनीयता नहीं थी, संघ की शाखा तो समाज के मुख ही लगना प्रारंभ हुई डॉक्टर साहब को उस समय बहुतों कष्ट के बावजूद उनके व्यक्तित्व में विशेष आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया था, डॉक्टर साहब मात्र चौबीस स्वंयसेवकों को साथ लेकर अपने ध्येय मार्ग पर निकल पड़े थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम कार्यकारी सचिव रघुनाथराव बाण्डे ने बहुत मेहनत से संघ की बैठकों के विस्तृत विवरण तथा इसकी स्थापना एवं नामकरण की कार्यवृत तैयार किये थेद्य संघ के गठन और नामकरण के पश्चात् पहली बैठक 9 मई, 1926 को डॉक्टर साहब के निवास पर हुई, इसमें आधारभूत बातें, प्रत्येक 15 दिनों के अंतराल पर एक बार मिलना तथा व्यामशाला प्रारंभ करना सुनिश्चित की गई, स्वयंसेवकों के गणवेश के संबंध में तथा शिव जयंती उत्सव की व्यवस्था संबंधी चर्चा भी हुई जो कि संघ के पंचांग में एक महत्वपूर्ण उत्सव था, 21 जून, 1926 की बैठक (अनाथ विधार्थी गृह) में हुई जिसमें कार्यप्रणाली के संबंध में विचार किया गया, 12 दिसंबर, 1926 को एक अन्य महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें स्वयंसेवकों को सैन्य प्रशिक्षण देने संबंधी विचार किया गया, इसके लिए प्रत्येक

रविवार प्रातः छह बजे का समय तय किया गया। यह वही दौर था जब संघ की संरचना आकर रुप ले रही थी, 19 दिसंबर, 1926 को हुई बैठक में निर्णय लेने की सुविधा, अनुशासन व मार्गदर्शन के लिए किसी एक व्यक्ति की आवश्यकता अनुभव की गई, इसके लिए अधिकृत व्यक्ति पदनाम तय किया गया, इसके लिए सर्वसम्मति से से डॉक्टर साहब को इस स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा गया। 10 नवंबर, 1929 को डॉक्टर साहब (डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार) सरसंघचालक बनाये गये। डॉक्टर साहब की राष्ट्रीयता की अवधारणा थी श्हमारी हिन्दू अस्मिता ही हमारी राष्ट्रीय अस्मिता है श् राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना इसी अस्मिता की पूनः स्थापना के लिए हुई थी।

शाखा का आज जो स्वरूप दिखाई देता है यह कई चरणों में विकसित हुआ है, डॉक्टर साहब के निवास पर 20 किशोर एकत्रित हुए, जिसमें कुछ नाम- भाऊजी कावरे, अण्णा सोहोनी, विश्वनाथराव केलकर, बालाजी हुद्दार तथा बापूराव भेदी थे, 'बैठक' शब्द भी इसी दौर में उपयोग में लाये जाना प्रारंभ हुआ था, डॉक्टर साहब स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए नियमित रूप से स्थानीय व्यामशालाओं एवं महाराष्ट्र के अन्य व्यामशालाओं में जाया करते थे, नागपुर के बाहर पहली शाखा वर्धा में लगाई गई थी, इसी कालखंड के दौरान प्रसिद्ध खाकी गणवेश तय किया गया, इस गणवेश का निर्धारण डॉक्टर साहब द्वारा किया गया था इसे पहली बार सन् 1920 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान डॉक्टर साहब को व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने अपने विवेक से इसे प्रारंभ किया था, 'भारत सेवक समाज' उन्हीं स्वयंसेवकों को पहली बार खाकी निक्कर पहनाने का कार्य किया था।

संघ के शाखा के शुरुआत से ही एक घंटे का शाखा समय निधारित किया गया, इसके घटकों का मानक रूप निधारित किया गया है तथा इसके प्रारंभ के समय से ही ये घटक अपरिवर्तनीय रहे हैं, इनमें शारीरिक, बौद्धिक, स्थानीय चर्चाएं, खेल तथा व्यवस्थित रूप से संचलन के लिए समता का अभ्यास सम्मिलित है, शाखा के प्रारंभ में भगवा ध्वज लगाने की एक निश्चित विधि है, सभी उपस्थित स्वयंसेवकों से इस समय दक्ष अर्थात सावधान की मुद्रा में खड़ा होने को कहा जाता है, शाखा का समापन प्रार्थना के साथ होना है, शाखाओं में विभिन्न वर्गों के अधिकतम लोग आ सकें, इसलिए उनके समय के सुविधानुसार शाखाएँ प्रातः सांप व रात्रि में लगती हैं, 'सप्ताहिक मिलन' भी होतें हैं, जो दैनिक शाखा में नहीं आ सकतें वे मासिक संघ मंडली में आते हैं, इनका स्वरूप शाखा से भिन्न एक अनौपचारिक मिलन का होता है, जब अधिक संख्या में नियमित रूप से लोग इस मंडलियों में आने लगते हैं, तो इन्हें पहले सप्ताहिक मिलन और फिर दैनिक शाखा के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, इसी क्रमिक विकास की प्रक्रिया से शाखाओं का जाल बढ़ता चला जा रहा है, पिछले दिनों झारखण्ड के रांची में संघ के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक में संघ के विभिन्न कार्य योजनाओं पर चर्चा और समिक्षा की गई। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्री सुनील आंबेकर ने बताया कि सम्पूर्ण भारत में 46 प्रांत हैं, मंडल की संख्या 59000 जबकि 37000 मंडलों में प्रत्यक्ष दैनिक शाखा लगते हैं, शहरी लगभग 24 हजार बस्तियाँ में संघ जोरो से काम कर रही है, कुछ बस्तियों में सप्ताहिक या मिलन शाखा लगाये जा रहे हैं, अगर देश भर में दैनिक शाखाओं की कुल संख्या देखी जाये तो 73200 है और सप्ताहिक एवं मिलन शाखा 27720 है जा आकड़े कभी भी रुकती नहीं है, आज मै लिख रहा हूँ पता चले ये आकड़े दश बीस या पचास बढ़ गई हो? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 158532 गाँवो में जागरण पत्रिकाओं के माध्यम से सकारात्मक संदेश, संतों के विचार एवं अध्यात्मिक विचार पहुचाने का कार्य किया जा रहा है, इसी का नतीजा है कि श्रीराम जन्मभूमि अक्षत वितरण कार्यक्रम में संघ के स्वयंसेवक पौने छह लाख गाँवों में अक्षत वितरण का कार्यक्रम मात्र पन्द्रह दिनों में पुरे कर लियें थे, संघ की रिढ़ अमुमन प्रचारक माने जाते हैं, ऐसे तो कितने भी संगठन बनते हैं और बंद भी हो जाते है परंतु प्रचारक (पूर्णकालिक कार्यकृता) प्रथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए एक मिल का पत्थर साबित होता रहा है। प्रचारक प्रणाली सन् 1942 में विधिवत स्थापित की गई,

प्रांतों एवं क्षेत्रों की रचना सन् 1950 में की गई। निर्णय लेने के संदर्भ में सर्वोच्च सभा 'अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा' की संरचना भी इसी समय में की गई, इस सभा की संरचना से पहले सभी क्षेत्रों के वरिष्ठ सदस्यों की एक केन्द्रीय समिति होती थी, जो मिल जुलकर विचार विमर्श करके निर्णय लेती थी, डाक्टर साहब ने विचार विमर्श के आधार पर ही निर्णय लेने की परंपरा विकसित किया था, डॉक्टर साहब की मृत्यु होने के एक वर्ष पूर्व सन् 1939 में नागपुर के निकट सिंदी में दश दिन की बैठक आयोजित हुई। इसमें अधिकारियों के विभिन्न दायित्वों के नाम, कार्य विभाग, संघ की प्रार्थना तथा एकात्मता स्तोत्र के विषय में निर्णय लिये गए। संगठनात्मक दृष्टि से संघ ने हाल में क्षेत्र, प्रांत, विभाग, जिले, नगर, बस्ती के अनुसार रचना किया है।

संघ के मुख्य कार्य विभाग है :- बौद्धिक विभाग, शारीरिक विभाग, प्रचार विभाग, प्रचारक विभाग, संपर्क विभाग, सेवा विभाग।

व्यवस्था विभाग तथा कुछ गतिविधियाँ :- गौ सेवा कुटुंब प्रबोधन, ग्राम विकास, धर्म- जागरण, समरसता व पर्यावरण, जिनमें राष्ट्रीय भाव- युक्त गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारियों द्वारा

निरंतर प्रयास चलते रहते हैं, योजना, क्रियान्वयन तथा समीक्षा एक सतत चलनेवाली प्रक्रिया है।

संघ के वार्षिक पंचाग में छह सुनिश्चित उत्सव हैं :- वर्ष प्रतिपदा (हिन्दू नववर्ष), हिन्दू साम्राज्य दिवस (शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक), गुरु पूर्णिमा, रक्षा बंधन, विजयादशमी तथा मकर संक्रांतिद्य समय समय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्री सुनील आंबेकर एवं अखिल भारतीय प्रचार सह प्रमुख श्री नरेन्द्र कुमार व श्री प्रदीप जोशी प्रेस व समाज के माध्यम से संघ के कार्यो को बताया करते हैं.●

संघ के सक्रिय होने से क्या बीजेपी को फिर मिलेगी उड़ान

● **अजय कुमार (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)**

लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी-मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच जो दूरियां नजर आई थी,उस पर दोनों तरफ से देश और हिन्दू हित को ध्यान में रखते हुए विराम लगा दिया है। अब एक बार फिर से संघ और बीजेपी एक साथ काम करते नजर आयेंगे,लोकसभा चुनाव के समय जो आरएसएस 'प्रवास' में चला गया था वह अब 10 विधान सभा सीटों पर होने वाले उप चुनाव में बीजेपी के लिये संजीवनी बनने को तैयार है,जिसके चलते यह अनुमान लगाया जाने लगा है कि उप चुनाव में बीजेपी विपक्ष के मुकाबले ज्यादा बेहतर स्थिति में रह सकती है। इसके अलावा आम चुनाव में शिकस्त के बाद से भाजपा के भीतर मचे घमासान को थामने के लिए भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने रणनीति बनाना शुरू कर दी है। यह सब बातें प्रखर हिन्दूवादी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित 'हिन्दू गौरव दिवस' के दौरान सामने आई। इसी कड़ी में गत दिवस मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ और संघ के सह सर कार्यवाह अरुण कुमार की मौजूदगी में सरकार, संघ और भाजपा संगठन के बीच समन्वय को लेकर एक बड़ी बैठक हुई। जिसमें सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय के साथ ही उप चुनाव की रणनीति, निकायों और बोर्डों में पार्टी पदाधिकारियों की नियुक्ति समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई और तय हुआ है कि उप चुनाव में भाजपा के साथ संघ कार्यकर्ताओं को भी तैयारियों में भागीदार बनाया जाए। इस दौरान सबसे अधिक चर्चा सरकार और संगठन के कद को लेकर छिड़ी रार को लेकर हुई। संघ की ओर से इस बात पर चिंता जताई जताई गई कि अगर यही स्थिति रही तो आगे के सियासी सफर में सबसे अधिक नुकसान भाजपा को उठाना पड़ सकता है। सूत्रों का कहना है कि संघ ने नेताओं को ऐसी स्थिति से बचने की सलाह दी है। उप चुनाव के साथ ही सरकार और संगठन के आपसी समन्वय पर कहा गया है कि पार्टी के सभी बड़े नेताओं की यह जिम्मेदारी है कि यदि कहीं पर आपसी मतभेद या मनभेद की स्थिति हो तो उसे आमने-सामने बैठकर समाधान कर लिया जाए। दोनों संगठनों के बीच दूरियां मिटने के बाद अब संघ और बीजेपी बूथ प्रबंधन को और मजबूत करने की रणनीति बना रहे हैं। इसके लिये बूथवार छोटी-छोटी बैठकें करके जनता के बीच लगातार संवाद करने की रणनीति पर हुई चर्चा में कहा गया कि विपक्ष द्वारा आरक्षण और संविधान को लेकर बनाए जा रहे नेरेटिव को खत्म करने के लिए लोगों के बीच दूध का दूध और पानी का पानी करना जरूरी है। यह भी तय किया गया है कि विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे पीडीए के भ्रमजाल को तोड़ने के लिए भी बूथवार हर समाज के लोगों को जोड़कर जनता के बीच सरकार और पार्टी के नजरिए को रखा जायेगा।●

न्यायपालिका भी सूचना के अधिकार कानून के दायरे में

आरटीआई का कानून सबसे पहले स्वीडन में लागू हुआ था तथा इसके बाद विभिन्न देशों ने अपने यहां कानून बनाकर इसे लागू किया। यह एक कानून है जो 2005 में देश की संसद ने पास किया है, यह देश के हर नागरिक को अधिकार देता है कि वह सरकार से सूचना मांगने के लिए उससे कोई सवाल पूछ सकता है और ऐसे सभी निकाय लोक का गठन संविधान के तहत या उसके अधीन किसी नियम के तहत या सरकार की किसी अधिसूचना के तहत हुआ है, इसके दायरे में आते हैं। ऐसी कई जानकारियों को लेकर पूर्व लोक सूचना आयुक्त, बिहार राज्य सूचना आयोग सह पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिवान श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव का साक्षात्कार पत्रिका के विधि सलाहकार शिवानंद गिरि के द्वारा किया गया। प्रस्तुत है इसके प्रमुख अंश :-

★ आप अपने बारे में हमारे पाठकों को कुछ बताएं?

मेरा नाम ओमप्रकाश श्रीवास्तव है। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में सन् 1956 में हुआ था। मेरे पिताजी का नाम श्री राम कृपाल लाल है, वे रेलवे में सर्विस करते थे। मेरी प्रारंभिक शिक्षा बलिया जिले में ही हुई है। मैं वहीं से बीएससी पास किया तथा उसके बाद लॉ सन् 1977 में किया था। लॉ पास करने के बाद में बलिया सिविल कोर्ट में करीब सात वर्षों तक वकालत किया। शुरुआती दौर में मैं नौकरी नहीं करना चाहता था। मैं 20वीं ज्यूडिशरी में अपने एक मित्र श्री सुरेश चंद्र श्रीवास्तव जो कि मेरे साथ ही बलिया में वकालत करते थे। उनकी प्रेरणा से परीक्षा दिया एवं में बिहार ज्यूडिशरी में आ गया। मेरे साथ मेरे मित्र श्री सुरेश चंद्र श्रीवास्तव भी ज्यूडिशरी में आए। सन् 2008 में मैं फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूप में काम किया। इस समय प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम पटना हाई कोर्ट के द्वारा ली गई थी, जिसमें पूरे बिहार से केवल दो पदाधिकारी ही पास हुए थे, जिसमें मैं भी था।

उस डिपार्टमेंटल एग्जाम पास करने के बाद मेरा प्रमोशन जज के रूप में समय से पहले हो गया था। मैं सिवान में सन् 2011 से 14 तक जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में काम किया। उसके बाद मैं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के मेंबर सेक्रेटरी के रूप में अपनी सेवा दिया। वहीं से 30 जून 2016 को मैं सेवानिवृत हुआ, उसके बाद बिहार सरकार ने मेरी नियुक्ति राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के रूप में किया। वहां मैं 20 सितंबर 2016 में कार्य करना शुरू किया तथा 30 जून 2021 को मैं सेवानिवृत्ति हुआ। उसके बाद मैं वर्तमान में बिहार ज्यूडिशल अकैडमी में ज्यूडिशल ऑफीसर्स को ट्रेनिंग देता हूं।

★ आरटीई का इतिहास क्या है?

आरटीआई का कानून सबसे पहले स्वीडन में लागू हुआ था तथा इसके बाद विभिन्न देशों ने अपने यहां कानून बनाकर इसे लागू किया। इस दौरान सन् 1976 में राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया की सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के अंतर्गत अभिव्यक्ति का अधिकार के अंतर्गत संहिता है तथा एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए नागरिकों के पास इस तरह का अधिकार होना आवश्यक है। इसी प्रकार एसपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए नागरिकों को सरकार की गतिविधियों की जानकारी होना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार हर नागरिक को बोलने और अभिव्यक्त करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लोग जब तक जानेगी नहीं तब तक अभिव्यक्त नहीं कर सकती है। RIGHT TO Information Act 2005 में देश की संसद ने एक कानून पारित किया, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नाम से जाना जाता है, जो 12/10/2005 में देश में लागू हुआ। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि किस प्रकार नागरिक सरकार से सूचना मांगेंगे और किस प्रकार सरकार मांगी गई सूचनाओं को देने के लिए जवाबदेह होगी।

★ सूचना का अधिकार क्या है ?

यह एक कानून है, जो 2005 में देश की संसद ने पास किया

है। यह देश के हर नागरिक को अधिकार देता है कि वह सरकार से सूचना मांगने के लिए उससे कोई सवाल पूछ सकता है। किसी भी सरकारी दस्तावेज का निरीक्षण कर सकता है और उनकी फोटोकॉपी ले सकता है।

★ सूचना का अधिकार कानून नागरिकों को क्या अधिकार देता है?

सूचना का अधिकार अधिनियम हर नागरिक को मुख्य रुप से पांच अधिकार देता है :-

1. सरकार से कोई भी सवाल पूछ सके या कोई भी सूचना ले सकते हैं।
2. किसी भी सरकारी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति ले सकते हैं।
3. किसी भी सरकारी दस्तावेज की जाँच कर सकते हैं।
4. किसी भी सरकारी काम की जाँच कर सकते हैं।
5. किसी भी सरकारी काम में इस्तेमाल सामिग्री का प्रमाणित नमूना ले सकता है।

★ सूचना के अधिकार के दायरे में कौन-कौन से विभाग आते हैं?

केंद्रीय सूचना का अधिकार अधिनियम पूरे देश में लागू है। ऐसे सभी निकाय लोक का गठन संविधान के तहत या उसके अधीन किसी नियम के तहत या सरकार की किसी अधिसूचना के तहत हुआ है, इसके दायरे में आते हैं। साथ ही साथ वे सभी इकाईया जो सरकार के स्वामित्व में है, सरकार के द्वारा नियंत्रित है अथवा सरकार के द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तपोशित है। यहां तक की न्यायपालिका से भी सूचना का अधिकार कानून के तहत सूचनाएं मांगी जा सकती हैं।

★ क्या कोई किसी प्राईवेट कंपनी से सूचना मांग सकता है?

आप किसी निजी कंपनी से सीधे-सीधे सूचना नहीं मांग सकते, लेकिन आप किसी ऐसे सरकारी विभाग के पास आवेदन कर सकते हैं जिसके पास किसी अन्य कानून के तहत उस कंपनी से वह सूचना मांगने का अधिकार है।

★ क्या कोई लोक सूचना अधिकारी मेरा आवेदन अस्वीकार कर सकता है?

नहीं। वह किसी भी हाल में ऐसा नहीं कर सकता। यहां तक कि यदि आपके द्वारा मांगी गई सूचना यदि किसी अन्य विभाग से संबंन्धित है तो उसे पांच दिन कि अंदर आपका आवेदन संबंधित विभाग को भेजना होगा और इसकी सूचना आपको भी देनी होगी।

★ क्या जन सूचना अधिकारी मुझे सूचना देने से मना कर सकता है?

जी हां, आरटीआई कानून में देश की सुरक्षा रणनीति वैज्ञानिक व आर्थिक मामलें सें जुड़ी संवेदनशील सूचनाएं दिए जाने की मनाही है। अधिनियम की दूसरी अनुसूची में ऐसी 18 एजेंसियों की सूची दी गई है। जो सूचना के अधिकार से बाहर रखी गई है लेकिन फिर भी यदि सूचना भ्रष्टाचार के आरोपों या मानवाधिकारों के हनन से जुडी हुई है तो उन्हे सूचना देनी पड़ेगी।

★ सूचना को उपलब्ध करवाने के लिए क्या सरकार ने अलग से अधिकारी नियुक्त करती है?

सूचना देने के लिए हर विभाग मे अलग से अधिकरी होते हैं। हर सरकारी विभाग में एक या एक से अधिक अधिकारी लोक सूचना अधिकारी बनाए गए हैं। सूचना का यह वह अधिकारी होते हैं जो सूचना के अधिकार के तहत आवेदन स्वीकार करते हैं। मांगी गई सूचनाएं एकत्र करते हैं और उसे आवेदनकर्ता को उपलब्ध कराते हैं। सूचना अधिकारी की ही जिम्मेदारी है कि वह 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराए।

★ क्या सूचना प्राप्त करने की कोई समय सीमा है ?

हाँ, यदि आपने लोक सूचना अधिकारी के पास आवेदन जमा कर दिया है तो आपको हर हाल में 30 दिनों के भीतर सूचना मिल जानी चाहिए। यदि आपने आवेदन जानकारी के अभाव में किसी अन्य विभाग में किया है या सहायक लोक सूचना अधिकारी के पास डाला है तो यह सीमा 35 दिनों की है। यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है तो सूचना 48 घंटों में उपलबध करायी जाती है।

★ लोक सूचना अधिकारी द्वारा 30 दिनो के भीतर सूचना न देने पर क्या कार्यवाही होगी?

अगर वह आवेदन लेने से मना करता है या तय समय सीमा में सूचना नहीं उपलब्ध कराता है अथवा गलत या भ्रामक जानकारी देता है तो देरी के लिए उस अधिकारी पर 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 25000 तक का जुर्माना उसके वेतन में से काटा जा सकता है, साथ ही उसे सूचना भी देनी होगी।

★ सूचना अधिकारी पर लगा जुर्माना आवेदक को मिलता है?

नहीं, जुर्माने की राशि सरकारी खजाने में जमा होती है। हालांकि धारा 19 के अनुसार, आवेदक हर्जाने की मांग कर सकता है।

★ सूचना मांगने का कारण पूछा जा सकता हैं?

लोक सूचना अधिकारी को अधिकार नहीं है कि वह आप से सूचना मांगने का कारण पूछे। (धारा 6 (2))

★ क्या बीपीएल कार्डधारक के लिए इस कानून मे कोई छुट है?

बीपीएल कार्डधारको से सूचना मांगने की कोई फीस नहीं ली जाती है। (धारा 7 (5))

★ मांगी गई दस्तावेज की कितनी फीस देनी पड़ती है?

दस्तावेजो की प्रति लेने के लिए भी फीस देनी होगी (बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फीस 2 रुपए प्रति पृष्ठ रखी है, लेकिन कुछ राज्य में यह अधिक है)। यह आपका अधिकार है कि अगर मांगी गई सूचना तय समय सीमा में नहीं उपलब्ध कराई गई है तो उपलब्ध सूचना मुफ्त में दी जायेगी। (धारा 7 (6))

★ आवेदन लेने से इंकार करने अथवा परेशान करने पर क्या करें?

लोक सूचना अधिकारी यदि आवेदन लेने से इंकार करता है अथवा परेशान करता है तो उसकी शिकायत सीधे सूचना आयोग से की जा सकती है। (धारा(18)

★ यदि गलती से आवेदन दूसरे विभाग में पहुंच जाये तो क्या होगा?

यदि कोई लोक सूचना अधिकारी यह समझता है कि मांगी गई सूचना उसके विभाग से संबन्धित नहीं है तो यह उसका कर्तव्य है कि उस आवेदन को पांच दिन के अंदर संबन्धित विभाग को भेजेगा और आवेदक को भी सूचित करे। ऐसी स्थिति में सूचना मिलने की समय सीमा 30 की जगह 35 दिन होगी। (धारा 6 (3))

★ क्या प्रथम अपील के बाद द्वितीय अपील भी की जा सकती है?

यदि आप प्रथम अपील से भी संतुष्ट नहीं हैं तो दूसरी अपील 60 दिनों के भीतर केन्द्रीय या राज्य सूचना आयोग (जिससे संबंधित हो) के पास करनी होती है. (धारा 19(3))

★ आप हमारे पाठकों को अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे?

मैं यही कहना चाहूंगा कि आरटीआई कानून भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने का एक मजबूत हथियार है। आप सभी को आरटीआई कानून का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए और जहां कहीं भी करप्शन दिखता हो तो संबंधित विभाग से आरटीआई कानून के तहत प्रश्न पूछ कर सरकार के क्रियाकलापों की जानकारी ले सकते हैं। इतना ही नहीं संबंधित क्रियाकलापों के बारे में आप दस्तावेजों सहित काम में इस्तेमाल किए गए मटेरियल की भी जांच करवा सकते हैं।

अंग्रेजों के बनाये कानून हुए समाप्त

नये कानून में क्या हुए प्रमुख बदलाव

● शिवानंद गिरि

सरकार ने अप्रासंगिक हो चुके अब तक 1560 कानूनों को समाप्त किया है, इनमें ज्यादातर कानून अंग्रेजो के जमाने से चले आ रहे हैं उन कानून को समाप्त करने के पीछे सरकार की मंसा आम लोगों को सहूलियत प्रदान करना है। भारतीय न्याय संहिता में राजद्रोह कानून को समाप्त कर दिया गया है। राजद्रोह कानून का उल्लेख भारतीय दंड संहिता की धारा 124 (A) में की गई है इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय प्रतीकों, संविधान का अवमानना या नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो या फिर सरकार विरोधी बात लिखता या बोलता है तो उसके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज हो सकता है। आपको बता दें कि यह कानून ब्रिटिश सरकार ने सन् 1860 में बनाया था उस वक्त इस कानून का इस्तेमाल अंग्रेज सरकार के खिलाफ बगावत करने वालों के खिलाफ करते थे। आजादी के 75 वर्ष बाद भी हमारे देश पर लॉर्ड मैकाले के बनाए गए कानून आईपीसी, सीआरपीसी तथा एविडेंस एक्ट लागू थेद्य इसी वजह से भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में आईपीसी, सीआरपीसी एवं एविडेंस एक्ट को समाप्त करने के लिए तीन बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया जिसमें बिल संख्या 121/ 2023 के द्वारा भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से प्रस्तुत किया गया साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता के जगह पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 नाम से लोकसभा में बिल प्रस्तुत किया गया जिसका बिल नंबर 122/ 2023 है एवं साक्ष्य अधिनियम (एविडेंस एक्ट) के जगह पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रस्तुत किया गया जिसका बिल नंबर 123/2023 है। भारत के गृहमंत्री ने इन तीनों कानूनो में बहुत बदलाव किए हैं जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से हैं:-

आईपीसी 1860 का बना हुआ है जो 6 अक्टूबर 1860 में पारित हुआ था जो 1 जनवरी 1862 से लागू हुआ है। आईपीसी में पहले 511 सेक्शंस थे जो अब नए कानून लागू हो जाने पर उन धाराओं के जगह पर भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हो गई हैंद्य सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता के जगह पर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कहलायेगा जिसका बिल नंबर 122/2023 है यह सीआरपीसी 1898 का बना हुआ है जो बाद में 1973 में अमेंडमेंट हुआ था जो 1/4/1974 को लागू हुआ है इस संशोधन के द्वारा एक्सक्यूटिव मजिस्ट्रेट एवं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कार्य क्षेत्र को अलग किया गया था जिसमें सीआरपीसी के कुछ धाराओं में एक्सक्यूटिव मजिस्ट्रेट को देखने का पावर दिया गया था। इस सीआरपीसी में कुल 484 धाराएं थी जो अब बदल कर 531 धाराएं हो गई हैं द्य, चतमअपवनेसल उंपदजमदंदबम र्वि पअमे बीपसकतमद ंदक चंतमदजे चतवअपेपवद पद 125 ब्त्ब्ढ ंदक दवू उंपदजमदंदबम चतवअप. ेपवद पे पद 144 ेमबजपवद ठछै, साक्ष्य अधिनियम 1872 को बदलकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 नाम रखा गया है जिसका बिल नंबर 123/23 है पहले इस अधिनियम में 167 धाराएं थी जिसे बदलकर अब 170 धाराएं कर दिए गए हैं।

☞ **इन बदले हुए कानून में कुछ प्रमुख बातें हैं** :- चीटिंग का पनिशमेंट की धारा 420 को बदलकर ठछै की धारा 318 (4) तथा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की धारा 406 को बदलकर ठछै की चारा 316(2) में कर दिया गया हैद्य नाम, जात, धर्म को बदलकर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना जो पूर्व में अपराध नहीं था अब इस अपराध को भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 69 में रखा गया है , इस धारा से लव जिहाद नामक अपराध पर भी लगाम लगाया जा सकेगा इसमें 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है, पहले मर्डर की परिभाषा आईपीसी की धारा 300 में था जिसे बदलकर अब 101 में कर दिया गया है एवं कल्पेबल होमीसाइड अर्थात अपराधिक मानव वध की परिभाषा आईपीसी की धारा 299 में था जिसे बदलकर 100 धारा में कर दिया गया है, पहले मर्डर की सजा का प्रावधान आईपीसी की धारा 302 में था जिसे बदलकर अब धारा 103(1) में तथा नया अपराध मॉब लिंचिंग की सजा103(2)में कर दिया गया है, अटेंप्ट टु मर्डर का सजा आईपीसी की धारा 307 में था जिसे बदलकर धारा 109 में कर दिया गया है। पुराने कानून में दहेज हत्या की धारा 304 (बी)था जिसे नए कानून में अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 में दहेज हत्या का कानून रखा गया है। आईपीसी की धारा 498(ए) में दहेज प्रताड़ना के अपराध का प्रावधान था जिसे अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 50 में किया गया है, आईपीसी की धारा 120 आपराधिक षड्यंत्र के अपराध को अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 में रखा गया है, थेफ्ट अर्थात चोरी की सजा का प्रावधान आईपीसी की धारा 379 में था जिसे बदलकर अब 303(2) में कर दिया गया है, पहले चोरी के अपराध के रिपीट होने पर कोई अलग से विशेष सजा का प्रावधान नहीं था अर्थात 1 दिन से लेकर 3 वर्ष तक का मैक्सिमम पनिशमेंट था जिसे अब चोरी के अपराध की पुनरावृति में पाए जाने वाले दोषी व्यक्ति को कम से कम 1 वर्ष और अधिक से अधिक 5 वर्षो तक की सजा देने का प्रावधान इस नए कानून में किया गया है, 5000/- हजार रुपये से कम

की राशि की चोरी के अपराध को जमानतीय बनाया गया है इसमें कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट का भी प्रावधान किया गया है ,नशे की हालत में लोक स्थान पर हल्ला हंगामा करने के अपराध की धारा 510 को बदलकर अब 353 धारा कर दिया गया है,जिसमें 10 की सजा एवं 24 घंटे का सादा कारावास या दोनों सहित कम्युनिटी सर्विस करने का दंड का प्रावधान किया गया है, इसमें कम्युनिटी सर्विस शब्द को अलग से जोड़ा गया है पूर्व के कानून में इस अपराध के लिए कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान नहीं था। इसके अलावे चेन स्नेचिंग के लिए भारतीय न्याय संहिता में अलग से धारा 304 में प्रवधन किया गया है। बलात्कार की परिभाषा आईपीसी की धारा 375 में था जिसको बदलकर 63 धारा में कर दिया गया है तथा बलात्कार का दंड 376 आईपीसी में था जिसे बदलकर 65(1) तथा गैंग रेप का पनिशमेंट 376 (डी) में था जिसे बदलकर 70 धारा में कर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 में आतंकवादी कृत एक नया अपराध को जोड़ा गया है जो पहले आईपीसी के कानून में नहीं था। भारतीय न्याय संहिता में लव जिहाद अपराध को भी जोड़ा गया है इसके धारा 69 में लव जिहाद के लिए 10 वर्ष तक के सजा एवं फाइन का प्रावधन किया गया है। एक्सटॉर्शन का आईपीसी में 383 धारा में प्रावधान था जिसे बदलकर बीएनएस में 308(1) में, इसी प्रकार से एक्सटॉर्शन का पनिशमेंट 384 आईपीसी से बदलकर 308 (2) बीएनएस, लुट 390 को बदलकर 309 (1)(2)(3) डकैती का पनिशमेंट 395 को बदलकर 310 (2) BNS में कर दिया गया है, आईपीसी की धारा 310 में ठग अपराध का प्रावधान था जिसे अब भारतीय न्याय संहिता में समाप्त कर दिया गया है तथा इसके धारा 311 में ठग अपराध का पनिशमेंट का प्रावधान था जिसे अब भारतीय न्याय संहिता में समाप्त कर दिया गया है, नए भारतीय न्याय संहिता कानून में पूर्व के एडल्ट्री अपराध की धारा 497, अननेचुरल ऑफेंस की धारा 377 को अब समाप्त कर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 में ऑर्गेनाइज्ड क्राईम अर्थात् संगठित अपराध को अलग से जोड़ा गया है इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता की धारा 112 में छोटे संगठित अपराध पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राईम, प्रश्न पत्र लीक करना, ओटीपी, मोबाइल, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड से पैसे चुराने के अपराध की सजा का प्रावधान किया गया है जिसमें एक से 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 में टेररिस्ट एक्ट के अपराध को UAPA कानून के तरह बनाया गया हैद्य आईपीसी की धारा 309 में आत्महत्या का प्रयास का अपराध था जिसे नए भारतीय न्याय संहिता कानून में अब समाप्त कर दिया गया है, आईपीसी की धारा 153(ए) (ए) में किसी जुलूस में जानबूझकर हथियार ले जाने या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित संचालन या आयोजन करने या उसमें भाग लेने के लिए अपराध की सजा में 6 माह तथा 2000/- हजार रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान था जिसे अब नए भारतीय न्याय संहिता कानून में इस अपराध को समाप्त कर दिया गया है। आईपीसी की धारा 8 में जेंडर की परिभाषा थी जिसमें केवल मेल और फीमेल का ही वर्णन था परंतु अब नए भारतीय न्याय संहिता की धारा 2(10) में जेंडर की परिभाषा में मेल फीमेल के साथ ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 में हिट एंड रन अर्थात उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारीत करने की अपराध को भी जोड़ा गया है जिसमें 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है परंतु अभी यह धारा लागू नहीं हुई है क्योंकि इस धारा के विरोध में पूरे देश में ट्रक ड्राइवर ने देशव्यापी हड़ताल किया था जिसमें गृह मंत्रालय से उन्हें आश्वासन मिला था कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 को लागू नहीं किया जाएगा।

पहले एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान सीआरपीसी की धारा 438 में था जिसे बदलकर अब 482 BNSS में कर दिया गया है जबकि पूर्व में 482 सीआरपीसी इन्हेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट के संबंध में था, सेशन कोर्ट एवं हाई कोर्ट में जो रेगुलर बेल 439 सीआरपीसी के तहत फाइल किया जाता था अब उसको बदलकर 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत फाइल किया जाएगा। पहले थाना में एफआईआर केवल कॉगजिनेबल ऑफेंस (संगेय अपराध) के लिए किया जाता था और इसका प्रावधान 154 सीआरपीसी में था जिसे बदलकर अब 173 सीआरपीसी में कर दिया गया है साथ ही 174 में नॉन कॉगजिनेबल ऑफेंस (असंगेय अपराध) में भी एफआईआर करने का प्रावधान किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187 में पुलिस कस्टडी को 15 दिन से बढ़ा कर 90 दिनों तक का कर दिया गया है, अगर मुदालय अपराध की कुल सजा का आधा समय जेल में बिता लिया है तो उसकी जमानत पर छोड़ने का प्रावधान नए कानून में किया गया है परंतु मृत्यु दंड आजीवन कारावास या 1 से अधिक मुकदमा के मामले में यह लागू नहीं होगा, सीआरपीसी में पहले इंस्पेक्टर ही केवल अभियुक्त के मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते थे परंतु अब नए कानून के तहत कोई भी पुलिस ऑफिसर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, नए कानून के तहत फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति के थंब इंप्रेशन, ऑडियो-वीडियो लेने का आदेश दे सकते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अब रेप केस में मेडिकल कराने के 7 दिन के अंदर रिपोर्ट करनी पड़ेगी, नए कानून में आर्गुमेंट समाप्त होने के बाद 90 दिनों के अंदर न्यायाधीश को जजमेंट सुनाना होगा, FIR के बाद 90 दिनों के अंदर इनफॉर्मेंट को केस के इन्वेस्टिगेशन का डिटेल्स उपलब्ध कराना होगा (प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन) चार्ज फ्रेम 60 दिनों के अंदर कर देना होगा, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को अब समाप्त कर दिया गया है, ऑर्गेनाइज्ड क्राईम में अब हथकड़ी लगाने का आदेश हो गया है, अब FIR ऑनलाइन भी किया जा सकेगा परंतु तीन दिनों के अंदर थाना में जाकर FIR के आवेदन पर अपना हस्ताक्षर सूचक को करना होगा, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत 'जीरो' FIR का भी प्रावधान हो गया है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति घटनास्थल से अलग किसी अन्य थाना में भी केस कर सकता है। बाद में वह थाना उस FIR को संबंधित अधिकारिता क्षेत्र वाले थाना को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देगा। 3 साल से 7 साल के सजा वाले अपराध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित अर्नेस कुमार बनाम बिहार सरकार के गाइडलाइन के अनुसार थाना को केस दर्ज करने के पहले प्रिलिमनरी

इन्वेस्टिगेशन करना आवश्यक होगा तथा थाना उस केस में बेल दे सकेगा, केस के गवाहों या मुदालयगण को बुलाने के लिए कोर्ट ऑडियो वीडियो तरीके का भी प्रयोग कर सकेगी, पुलिस अब सर्च करने के लिए या तलाशी, जप्ती के लिए ऑडियो-वीडियो का सहारा ले सकेगी, अब मुकदमे के ट्रायल इंक्वारी प्रोसीजर में भी ऑडियो-वीडियो का प्रयोग हो सकेगा। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में विक्टिम, विटनेस के प्रोटेक्शन तथा कंपनसेशन स्कीम का भी प्रावधान किया गया है।

नया कानून 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत वर्ष पर लागू हो गया है, पर ध्यान देने वाली बात यह है की जो मुकदमा 1 जुलाई 2024 के पहले पंजीकृत हुआ था, उसका ट्रायल पुराने कानून के तहत चलेगा तथा जो मुकदमा 1 जुलाई 2024 से पंजीकृत हुआ है, उस मुकदमे का नए प्रावधान के तहत ट्रायल किया जाएगा।

सीआरपीसी की कुछ प्रमुख धाराएं जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बदल गई हैं :-

438 CRPC	-	482 BNSS
439	-	483
440	-	484
154	-	173 - 174
239	-	262
245	-	268
200	-	223
203	-	226
205	-	228
216	-	239
257	-	280
259	-	282
260	-	283
261	-	284
300	-	337
305	-	342
311	-	348
313	-	351
315	-	353
46(3)	-	43
482	-	528
317	-	355
115	-	134
107	-	126
144	-	163
133	-	152

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसमें डॉक्युमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस, जॉइंट ट्रायल तथा इलेक्ट्रिक मोड एविडेंस का प्रावधान किया गया है, पुराने वाले एविडेंस एक्ट में धारा 74 में पब्लिक डॉक्यूमेंट तथा धारा 75 में प्राइवेट डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन था परंतु अब नए साक्षय अधिनियम 2023 में इसे बदलकर इसके धारा 74 में ही पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट का प्रावधान किया गया है, पुराने वाले एविडेंस एक्ट में डाईग डिक्लेरेशन का धारा 32 में प्रावधान था परंतु अब नए साक्ष्य अधिनियम में धारा 26 में डाईग डिक्लेरेशन का वर्णन किया गया है एस्टोपल को धारा 115 से हटाकर 121 में कर दिया गया है, इस प्रकार से लीडिंग क्वेश्चन को धारा 141 के जगह पर नए साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 (1) (2) (3) जो न्यू ट्रायल फॉर इंप्रोपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस की धारा 167 को हटाकर अब नए साक्षय अधिनियम की धारा 169 में किया गया है, बर्डेन ऑफ प्रूफ को धारा 101 के जगह पर धारा 104 में रखा गया है एडमिशन का डेफिनेशन धारा 17 से बदलकर धारा 15 में कर दिया गया है धारा 138 आर्डर ऑफ एग्जामिनेशन को बदलकर धारा 143 में किया गया है, धारा 126 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को बदलकर अब धारा 132 में किया गया है, धारा 129 कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विथ लीगल एडवाइजर्स को बदलकर धारा 134 में किया गया है, धारा 133 अकांप्लिश को बदलकर अब नया धारा 138 कर दिया गया है धारा 122 कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज को बदलकर अब धारा 128 में किया गया है, धारा 56 फैक्ट ज्यूडिशयली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव्ड को बदलकर अब धारा 51 में किया गया है, धारा 58 फैक्टस एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड को बदलकर अब धारा 53 में किया गया है।●

जमीन के सर्वे में गड़बड़ी की तो नप जायेंगे सी.ओ.

● **डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह**

बिहार में भूमि सर्वे का काम तेजी से चल रहा है. भूमि सर्वे को लेकर अलग-अलग गांवों में ग्राम सर्वे बैठक बुलाकर लोगों को भूमि सर्वे से जुड़ी अहम जानकारी दी जा रही है. बिहार सरकार अपने इस पहल से राज्य में जमीन विवाद से जुड़े मामले को काफी हद तक खत्म करने का दावा भी कर रही है. ऐसे में राजस्व भूमि सुधार मंत्री से लेकर विभाग के जुड़े तमाम अधिकारी और कर्मचारी जमीन सर्वे के काम में तेजी से लगे हुए हैं. राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल के अनुसार अब बिहार में जमीन को लेकर गड़बड़ी करने वाले सी.ओ. और कर्मचारी बच नहीं पाएंगे. मंत्री ने आम लोगों के लिए मोबाइल नंबर और अपना विभागी मेल आईडी भी जारी किया है जिस पर सीधा शिकायत की जा सकती है.

मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में भूमि सर्वे कराना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है. बिहार में काफी दशकों से भूमि सर्वे का काम नहीं हो पाया है. भूमि सर्वे हो जाने से जमीन से जुड़े कई विवादों को सुलझाया जा सकेगा. भूमि सर्वे को लेकर बिहार सरकार सरकार 22000 गांव में ग्राम सर्वे बैठक कर चुकी है. जिनका जमीन का कागजात नहीं है उन्हें कागजात तैयार करने के लिए समय दिया जाएगा. साथ ही मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि जमीन सर्वे में कोई भी अधिकारी अगर गड़बड़ी करेंगे तो बच नहीं सकते हैं. उन्होंने कहा कि जमीन पर जिसका कब्जा होगा और जो जानकारी मिलेगी उसे जमीन का मालिक माना जाएगा. बाद में अगर विवाद होता है तो लोगों को कोर्ट में जाने का मौका है. तीन बार सरकार संपत्ति दावेदारी की आपत्ति को सुनवाई करेगी. 130 साल से विपक्ष ने बिहार का सर्वे नहीं कराया है. विपक्ष के नाकामी का नतीजा है बिहार में जमीनी विवाद का 60% मामला थानों में है. आजादी से लेकर आज तक की जो सरकार थी भूमि सर्वे को लेकर उनकी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर थी. अब जमीन सर्वे किया जा रहा है. यह नीतीश कुमार सरकार की बहुत मजबूत इच्छा शक्ति का फैसला है.

☞ **सीधा मंत्री के नंबर पर कॉल करके दर्ज करा सकते हैं शिकायत** :- दिलीप जायसवाल ने कहा कि सर्वे हो जाने के बाद सभी मामला डिजिटल हो जाएगा और लोगों के बीच जमीन का विवाद खत्म हो जाएगा. मैंने मंत्री होकर अपना नंबर पब्लिक के लिए जारी किया है. मुझे अलग-अलग समस्या को लेकर 567 कॉल कल ही सिर्फ आए हैं. अगर कोई अधिकारी पैसा मांगता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. बता दें, बिहार में जमीन सर्वे को लेकर लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. कहीं विभाग के पदाधिकारियों के घूस मांगने की सूचना मिला रही है तो कहीं जान बूझकर परेशान करने के आरोपों की बातें सामने आ रही हैं. जमीन के सर्वे में लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए मंत्री ने आम लोगों के लिए मोबाइल नंबर और अपना विभागी मेल आईडी भी जारी किया है जिस पर सीधा शिकायत की जा सकती है. मंत्री दिलीप जायसवाल ने आम लोगों के लिए अपना निजी मोबाइल नंबर 9430911111 और मेल आईडी Revenue minister.bihar@gmail.com जारी किया है.●

राजद के समय जंगल राज था तो आज महा जंगल राज है

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

आज पूरा बिहार अपराध की नगरी और भ्रष्टाचार का साम्राज्य बन चुका है। कानून और वर्दी का डर पूर्णत: समाप्त हो चुका है। हत्या अपहरण दिन चर्चा बन चुका है। भाजपा , जदयू और पुलिस अपराध रोकने के लिए चर्चा तक नहीं करती है। हत्या हो जाने के बाद पुलिस पुरानी बात दुहराती रहती है कि छापामारी चल रही है बहुत जल्दी गिरफ्तार होंगे। दूसरी ओर नेताओं भी रटी रटाई मुहावरा दुहराती रहती है। लाशों पर फूल माला चढ़ाएंगे उसके बाद कहा जाएगा कि हे भगवान अपने चरणों में जगह दे तथा पूरे परिवार को सहन शक्ति दें। समस्तीपुर एक महिला नर्स से डॉक्टर द्वारा दुष्कर्म के प्रयास करने पर महिला नर्स ने डॉक्टर का प्राइवेट पार्ट काट दिया । इस घटना का चारों तरफ चर्चा विषय है तथा नर्स को शाबाशी दी जा रही है। पूर्वी चंपारण के बिजधरी थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 साल के नाबालिक से सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। नौबतपुर सब्जी विक्रेता का शव सड़क किनारे से बरामद किया गया है। वह दो दिनों से लापता थे। कानून और वर्दी का कोई खौफ नहीं रहा। आरा में अजीमाबाद थाने क्षेत्र में पत्नी और दो बच्चों की हत्या कर आरोपी फरार हो गया । अभियुक्त का नाम था लालू यादव। बाढ़ में जुवती की गला काटकर हत्या कर बोरे में शव भदौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जलाल गांव के पास महाने नदी के किनारे बोरे में बंद 23 वर्ष की शव मिला है। युवती की गला काटकर हत्या की गई है। पेट को धारदार हथियार से काट दिया गया है जिससे

उसकी आंतें बाहर निकल गई ।इस संबंध में ऑनर किलिंग की आशंका देखी जा रही है। दूसरी और दनियावां के क्षेत्र में बाईपास के किनारे पानी से भरे गड्ढे में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नर्सिंग छात्रावास के कमरे में लटकता

मिला छात्र का शव मिला ।खाज कला थाना श्री गुरु गोबिंद सिंह सदर अस्पताल परिसर स्थित नर्सिंग स्कूल के छात्रावास स्थित कमरा संख्या एक में दोपहर पंखा भी के हुक से लटकता है छात्र का शव मिलने से हड़कंप मंच गया।

☞ **दो जिलों में तीन दुष्कर्म** :- बेटियां घर से कोचिंग व स्कूल तक असुरक्षित है रोहतास के कोचस में कोचिंग क्लास करने आए एक दसवीं की छात्रा को चौक से उठा लिया उनमें से दो से सामूहिक दुष्कर्म किया। छात्रा ने वहां से भाग कर अपने गांव पहुंची और आप बीती थाना अध्यक्ष को सुनाई। दूसरी ओर रोहतास के ही कछुआ थाना क्षेत्र के गांव में 9:00 बजे सोने के लिए घर से निकली कि किशोरी का गांव के लोगों ने उठाकर और सामूहिक दुष्कर्म किया दूसरी ओर जहानाबाद के हुलासगंज थाना क्षेत्र में सरकारी स्कूल से लौट रही है 13 वर्ष से छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया छात्र के पिता के शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कोचिंग में छात्र छात्रा को गोली मारी। मुजफ्फरपुर सकरा थाना के सस्ता पुराना हाट के पास स्थित एक कोचिंग में छात्र ने इंटर की छात्रा खुशबू कुमारी को गोली मार दी 15 वर्ष से छात्र को पंजरा में गोली मारी गोली लगी है ।छात्र रूम में बैठी पढ़ रही थी ।इस छात्र को कलास में पीछे से गोली मारी,गोली लगते ही छात्र चिल्लाई उसे आनन फानन में शहर के एक अस्पताल भर्ती कराया गया। इसी तरह पूरा बिहार रक्त रंजित है। इस तरह का अपराध के रोकने के बजाय जनता के बीच कहा जाता है की राजद के समय जंगल राज, मैं भी मानता हूं कि जंगल राज परंतु आज तो महा जंगल राज है। दुनिया के सबसे घृणित घटना मुजफ्फरपुर बालिका सुरक्षा गृह की थी इस घटना ने पूरे बिहार का सिर से झुक गया। उसे समय भाजपा और जदयू का शासन था। इस सिर्फ बीजेपी और जेडीयू का सिर नहीं झुका । सत्ता के नशा में इस घटनास्थल पर जदयू और भाजपा देखने तक नहीं गया।●

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल सच पत्रिका के साथ जुड़े। खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769/8340360961

ई-मेल:- editor.kstimes@rediffmail.com पर भेजें।

टुनटुन यादव ने चलाया सदस्यता अभियान

टुनटुन यादव ने फतुहा का सूरत बदल दिया, फतुहा का भाग्य विधाता बन सकते हैं

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

फतुहा नगर मंडल के कल्याणपुर सामुदायिक भवन में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी शक्ति केन्द्र पर सदस्यता अभियान को लेकर बैठक हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा बाढ़ संगठन जिला के क्षेत्रीय सह प्रभारी ध नराज शर्मा ने मुख्य पार्षद प्रतिदिन टुनटुन यादव को भाजपा के सदस्यता दिलाई ।इस अवसर पर मुख्य पार्षद प्रतिनिधि सह भाजपा नेता टुनटुन यादव ने अकेले 10 हजार से अधिक सदस्यता बनाने का लक्ष्य तय किया है। बैठक में पूर्व संगठन मंत्री शिवनारायण जी, जिलाध्यक्ष अरूण कुमार शाह, सदस्यता जिला प्रभारी केशव कांत, जिला महामंत्री अरविंद यादव,,जिला उपाधयक्ष भास्कर लाल पटवा, किरण गुप्ता, जिला मंत्री शोभा देवी, सुधीर यादव, शक्ति केन्द्र प्रमुख रंजना पटवा, बूथ अध्यक्ष सूरज कपूर सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता और आम लोग मौजूद थे। दूसरी ओर महाराणा प्रतापघ शक्ति केन्द्र पर शक्ति केन्द्र प्रभारी मुन्ना सघ्हि की अध्यक्षता में सदस्यता अभियान को लेकर बैठक हुई। इस संदर्भ में भाजपा मीडिया प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने बताया कि टुनटुन यादव फतुहा के भाग्य विधाता बन सकते हैं। टुनटुन यादव फतुहा का सूरत बदल दिया। फतुहा

में महिलाएं नौकरी करना नहीं चाहती थी क्योंकि बाजार में कहीं शौचालय नहीं था। आज कई शौचालय निर्माणाधीन हैं। फतुहा शहर कैमरा की नजरों में है। अब किसी मोहल्ला खोजने के लिए मोहताज नहीं है, हर जगह नाम का बोर्ड लगा हुआ है। सबसे बड़ी विशेषता है जगह-जगह पर जल का टंकी लगा हुआ है, लम्बे समय से टैम्पो स्टैंड की मांग हो रही थी, जिस टुन- टुन यादव ने पुरा कर दिया। लोगों को इंतजार है कि अच्छे थानेदार आए जिसमें स्टैंड कार्यरत हो सके। लोगों में आशा जगी है कि फतुहा भाजपा मजबूत होकर उभरेगी। फतुहा का भाग्य चमकने का आशा जगी है कि भाजपा का सदस्यता ग्रहण करते ही टुनटुन यादव ने दस हजार सदस्य बनाने की घोषणा की। मुझे तो आशा है भाजपा के बहुत से ऐसे- ऐसे पुराने और अनुभवी और पदाधिकारी है जो चाहें तो दस हजार से भी ज्यादा सदस्य बना सकते हैं। फतुहा के बड़े-बड़े पद पर बैठे जिला के पद और प्रदेश के पद पर बैठे सभी लोग ठान लें तो डेढ़ लाख से भी ज्यादा हो सकते हैं। भाजपा मीडिया प्रभारी डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा है कि जो सबसे ज्यादा सदस्य बनाएंगे उन्हें भाजपा मीडिया प्रभारी की ओर से सम्मानित की जाएगी। सम्मानित एक पुरुष पदाधि कारी और एक महिला पदाधिकारी को सम्मानित की जाएगी।●

सहरसा पुलिस की त्वरित कार्रवाई से अपराधी गिरफ्तार

● **निलेन्दु झा**

बिहार इस समय अपराध की चरम सीमा पर है और फिर से जंगल राज की याद दिला रही है, वैसे में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए बिहार पुलिस तत्परता से जुटी हुई है और दिन-रात के अथक परिश्रम से प्रयास में रहती है कि अपराध घटित ना हो। सबसे अहम बात है कि अगर अपराध घटित हो गई तो इसका अनुसंधान, गिरफ्तारी में कितना वक्त लगता है और इसे देखते हुए बिहार की सहरसा पुलिस अपने कर्तव्यों का त्वरित कारवाही करते हुए जिले के जवाहर यादव हत्याकांड का 72 घंटे में और सदर थाना अंतर्गत हत्या के महज 6 घंटों के अंदर सफल उदभेदन कर घटनाओं में शामिल अपराधकर्मी को गिरफ्तार कर चुकी है।

सहरसा पुलिस द्वारा जारी विज्ञप्ति के माध्यम से जानते हैं जिले के दो महत्वपूर्ण घटना का पुलिस द्वारा कम समयों में किये गये उद्भेदन के बारे में :-

★ जवाहर यादव हत्याकांड का 72 घंटों के अंदर सफल उदभेदन कर घटनाओं में शामिल 06 अपराधकर्मी गिरफ्तार :-

☞ दिनांक 16.08.24 को संध्या करीब 04 बजे बनगांव थानाध्यक्ष को क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरियाही बस्ती के जवाहर प्रसाद यादव पे0 स्व0 बिंदेश्वरी यादव को अज्ञात अपराधियों द्वारा बरियाही बाजार स्थित कालाली चौक के पास मुकेश कुमार ठाकुर के सैलून में घुसकर गोली मार कर हत्या कर देने की सूचना प्राप्त हुई।

☞ मृतक के पुत्र द्वारा दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर बनगांव थाना कांड संख्या-106/24 दिनांक-17.08.24 धारा-103(1)/61(2)/54/351(3) भा0न्या0सं0 एवं 27 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया।

☞ घटना के त्वरित उदभेदन एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक, सहरसा के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर के नेतृत्व में एस.आई.टी. टीम का गठन किया गया। जिसमें पुलिस उपाधिक्षक मुख्यालय-02, पुलिस उपाधिक्षक साइबर, थानाध्यक्ष बनगांव व सौरबाजार एवं तकनीकी शाखा को शामिल किया गया था।

☞ गठित टीम द्वारा तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर इस घटना के प्राथमिक नामजद अभियुक्त आशीष आनंद को बनगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत राजौरा चौक से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधकर्मी आशीष आनंद अपने स्वीकारोक्ति बयान में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया कि घटना कारित करने में उसके अतिरिक्त बरियाही के ही रहने वाले अन्य तीन युवक 01. राजा कुमार, 02. रविराज उर्फ पोलु एवं 03. बालकिशन कुमार शामिल थे। गिरफ्तार अपराधकर्मी आशीष आनंद के निशानदेही पर घटना में शामिल उक्त तीनों अपराधकर्मी को भी बनगांव थाना क्षेत्र में ही स्थित ग्लास फैक्टरी के पास से गिरफ्तार किया गया।

☞ साथ ही पकड़े गये अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त देशी कट्टा एवं मोबाईल सहयोगी ब्रजेश कुमार के पास से बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

★ घटना का कारण :- गिरफ्तार उक्त चारों अपराधकर्मियों से गहनता से पूछताछ करने पर सभी के द्वारा बताया गया की जमीन विवाद के कारण पुरानी रंजिश के कारण 01. संतोष गुप्ता उर्फ कांछा 02. नरेश गुप्ता दोनों पे0 भोला गुप्ता, सा0 बरियाही बाजार, थाना बनगांव, जिला सहरसा के द्वारा जान मारने की 10 लाख सुपारी दी गई थी, जिसमें पांच लाख घटना करने पर एवं बाकी राशि बाद में देने कि बात बताई। इस घटना में शामिल अन्य एक प्राथमिक नामजद अभियुक्त अनिल यादव पे0 स्व0 उपेंद्र यादव, सा0 बरियाही बस्ती, थाना बनगांव, जिला सहरसा की भी गिरफ्तारी उसके घर से की गई। घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तारी हेतु लगातार छापामारी की जा रही है।

★ गिरफ्तार अपराधकर्मी का नाम व पता :-

☞ राजा कुमार पे0 साबित लाल यादव, सा0 बरियाही बस्ती वार्ड नंबर 09, थाना बनगांव, जिला सहरसा।

☞ आशीष आनंद पे0 मनोज यादव, सा0 बरियाही बस्ती वार्ड नंबर 05, थाना बनगांव, जिला सहरसा।

☞ रविराज पे0 कुमोद यादव, सा0 बरियाही बस्ती वार्ड नंबर 06, थाना बनगांव, जिला सहरसा।

☞ बालकिशन कुमार पे0 दिनेश यादव, सा0 बरियाही बस्ती वार्ड नंबर 06, थाना बनगांव, जिला सहरसा।

☞ ब्रजेश कुमार पे0 सूचेन यादव, सा0 गढ़िया, थाना बनगांव, जिला सहरसा।

☞ अनिल यादव पे0 स्व0 उपेंद्र यादव, सा0 बरियाही बस्ती, थाना बनगांव, जिला सहरसा।

ध उक्त सभी गिरफ्तार अपराधकर्मियों का आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है।

★ बरामदगी :-

☞ देशी कट्टा - 01 (घटना में प्रयुक्त)

☞ मोटरसाइकिल हीरो स्पलेंडर - 01 (घटना में प्रयुक्त)

☞ मोबाइल - 04

★ टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी :-

☞ आलोक कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर।

☞ अजित कुमार, पुलिस उपाधिक्षक साइबर।

☞ कमलेश्वर प्रसाद सिंह, पुलिस उपाधिक्षक मुख्यालय-02।

☞ पु0अ0नि0 पिंकी कुमारी, थानाध्यक्ष बनगांव।

☞ पु0अ0नि0 अविनाश कुमार, थानाध्यक्ष सौरबाजार।

☞ पु0अ0नि0 रौशन कुमार, पुलिस केन्द्र, सहरसा।

☞ जिला आ सूचना ईकाई के पुलिस पदाधिकारी व कर्मी।

☞ सशस्त्र बल, बनगांव थाना।

★ सदर थाना अंतर्गत हत्या के महज 6 घंटों के अंदर सफल उदभेदन कर 02 अपराध कर्मी को किया गया गिरफ्तार :-

☞ दिनांक 18.08.24 को समय करीब 09.30 बजे सुबह थानाध्यक्ष सदर को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र अंतर्गत सा0 नरियार रामजानकी चौक वार्ड नंबर 12/08 के उचित सिंह प्राथमिक विद्यालय में एक महिला एवं एक बच्ची की धारधार हथियार एवं गला दबाकर अज्ञात अपराधियों द्वारा हत्या कारित की गई हैं।

☞ प्राप्त सूचना से पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया। तत्पश्चात महोदय के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर पुलिस उपाधिक्षक साइबर, थानाध्यक्ष सदर, अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल के साथ तत्क्षण घटनास्थल पर पहुँच कर मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई एवं घटनास्थल को संरक्षित किया गया।

☞ पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल पर साक्ष्य संकलन हेतु एफ0एस0एल0 एवं डॉग स्कॉयड की टीम को बुलाया गया।

☞ साक्ष्य संकलन के क्रम में घटनास्थल से घटना में प्रयुक्त खून लगा लोहे का चाकू एवं कमरे के बाहर स्कूल के चारदिवारी के पास से खून लगा हुआ एक गमछा बरामद किया गया।

☞ शव को कब्जे में लेकर मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार करते हुए अंत्यपरीक्षण हेतु सदर अस्पताल भेज गया, जहां चिकित्सकों के बोर्ड द्वारा शव का अंत्यपरीक्षण किया गया।

☞ इस घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सहरसा के द्वारा स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण कर मृतिका के परिजनों से आवश्यक बिंदुओं पर जानकारी ली गई तथा कांड के शीघ्र उदभेदन का आश्वासन देते हुए महोदय के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर के नेतृत्व में एस0आई0टी0 का गठन किया गया एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

☞ उक्त गठित एस0आई0टी0 द्वारा मानवीय एवं तकनीकी आधार पर जांच प्रारम्भ करते हुए मृतिका के मोबाइल से कुछ अहम तकनीकी सुराग प्राप्त किया गया। जिसमें उसके मोबाइल पर रात्रि करीब 12.45 बजे एक अज्ञात नंबर पर व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से करीब 07 मिनट तक वीडियो कॉल पर बात किया गया था। इसके अतिरिक्त सुबह करीब 03.00 बजे के आसपास भी उसी नंबर पर व्हाट्सएप कॉल किया गया था।

☞ मृतिका द्वारा बात किये गये उक्त अज्ञात नंबर का पता लगाने पर वह नंबर कृष्णा कुमार पे0 पिंटू पोद्दार, सा0 नरियार, थाना व जिला सहरसा का निकला।

☞ जांच के क्रम में स्थानीय गुप्तचर द्वारा भी मृतिका का उक्त युवक से पूर्व से कुछ संबंध होने का शक जाहिर किया गया।

☞ तकनीकी आधार पर उक्त युवक को संदिग्ध मानते हुए उसके घर से गिरफ्तार किया गया एवं उससे पूछताछ किया गया तो उसने प्रारंभ में बहाना बनाया परंतु गहराई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए अपने साथ इस घटना में शामिल एक अन्य युवक राहुल कुमार पे0 सिंटू पोद्दार सा0 नरियार रामजानकी चौक वार्ड नंबर 12, थाना सदर, जिला सहरसा जो इसका चचेरा भाई है के भी शामिल होने की बात बताई।

☞ तत्पश्चात इस घटना के दूसरे संदिग्ध युवक राहुल कुमार को भी उसके घर से गिरफ्तार किया गया, जिसने इस घटना के बाद कृष्णा कुमार के मोबाइल से सीम निकालकर उसका कॉल डिटेल मिटाने का प्रयास किया था।

☞ घटना के कारण के संबंध में कृष्णा कुमार ने बताया कि मृतिका रिंकु देवी से उसका पूर्व से प्रेम प्रसंग था। परंतु इधर कुछ दिनों से उक्त महिला का व्यवहार उसके प्रति बदल गया था शायद उसका किसी और से बातचीत होने लगा था। इसलिये प्रेम में धोखा मिलने के कारण कृष्णा ने अपने चचेरे भाई राहुल के साथ मिलकर पिछले कुछ दिनों से मृतिका को सबक सिखाने की योजना बना रहा था।

☞ कृष्णा ने बीते रात्री में बात होने पर मृतिका को बहला फुसला कर मिलने के लिये तैयार किया। सुबह तीन बजे के करीब मिस्ड कॉल के माध्यम से दोनों मिलने के लिये अपने-अपने घर से निकले एवं स्कूल पर पहुचें जहां मृतिका अपनी बेटी नैना कुमारी को साथ लेकर आई जबकि कृष्णा योजना मुताबिक चाकू लेकर राहुल को साथ लेकर आया था।

☞ मृतिका एवं कृष्णा स्कूल के एक कमरे में मिल रहे थे, जबकि उसकी बेटी स्कूल के बाहर खड़ी थी एवं राहुल कमरे के बाहर खड़ा था। जिसके बाद मृतिका एवं कृष्णा किसी बात पर आपस में लड़ने लगे तो राहुल भी साथ आ गया एवं महिला को मारपीट करते हुए पहले उसका गला दबाया एवं कृष्णा अपने साथ लेकर गये चाकू से उसके गला के आसपास प्रहार कर उसकी हत्या कर दिया। तभी वहां पर मृतिका की बेटी नैना कुमारी भी आ गई जो अपनी मां को मारते देख इनलोगों को पकड़कर लटक रही थी तो कृष्णा ने उसका भी गला घोटकर हत्या कर दिया।

★ गिरफ्तार अपराधकर्मी का नाम व पता :-

☞ कृष्णा कुमार पे0 पिंटू पोद्दार सा0 नरियार रामजानकी चौक वार्ड नंबर 12 थाना व जिला सहरसा।

☞ राहुल कुमार पे0 सिंटू पोद्दार सा0 नरियार रामजानकी चौक वार्ड नंबर 12 थाना व जिला सहरसा।

★ बरामदी :-

☞ गला घोटने में प्रयुक्त खून लगा हुआ गमछा।

☞ हत्या में प्रयुक्त खून लगा हुआ चाकू।

☞ तीन मोबाइल।

★ टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी :-

☞ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर।

☞ पुलिस उपाधिक्षक साइबर, सदर।

☞ पु0न0 सह थानाध्यक्ष, सदर सहरसा।

☞ पु0अ0नि0 अविनाश कुमार, थानाध्यक्ष सहरसा।

☞ पु0अ0नि0 विक्की रविदास, प्रभारी टीओपी 01

☞ पु0अ0नि0 मनीष कुमार, सदर थाना।

☞ पु0अ0नि0 अंजलि भारती, सदर थाना।

☞ पु0अ0नि0 जयशंकर प्रसाद, जिला व सूचना इकाई।

☞ सशस्त्र बल सदर थाना एवं जिला आ सूचना इकाई के अन्य कर्मी। ●

डीजीपी बिहार द्वारा सारण एसपी को मिला प्रशस्ति पत्र

जिले के रसूलपुर थान्तार्गत तिहरे हत्याकांड के आरोपी को त्वरित सजा दिलवाने में सहयोग हेतु पुलिस महानिदेशक ने दिया सम्मान

नए कानून के तहत देश में पहली सजा पुलिस अधीक्षक , सारण एवं अनुसंधान टीम, अभियोजन टीम और फॉरेंसिक टीम को किया गया सम्मानित ।

● दीपनारायण सिंह दीपक

सारण जिले के पुलिस कप्तान कुमार आशीष की कप्तानी जिले के जनमानस में चर्चित हो रही है। जिले के अपराधियों में उनके खौफ ने हड़कंप मचा दिया है। जिले में कानून व्यवस्था को बनाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी तक ही नहीं अपराधियों को उनके किए की न्यायिक सजा दिलाने तक के कार्यशैली को हर कोई सराहना कर रहे हैं। इस कार्य के लिए एसपी आलोक राज को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया है। बिहार पुलिस महानिदेशक ने एसपी को प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हुए उन्हें बेहतर कार्य की सरहाना किया है। जानकारी के अनुसार जिले के रसुलपुर थानान्तर्गत धानाडीह गांव में 17 जुलाई 2024 को धारदार हथियार से तीन व्यक्तियों की हत्या हुई थी। इस संबंध में रसुलपुर थाना कांड संख्या -133/24 में धारा-103(1)/109 (1)/ 329(4)/3(5) बी०एन०एस० में दर्ज किया गया। इसके साथ ही अपराधियों कीससमय गिरफ्तारी, अनुसंधान एवं माननीय न्यायालय में स्पीडी ट्रायल का संचालन कराकर घटना के 50वें दिन ही दोनो दोषी अभियुक्तों को सजा करवाई गई।यह सजा नए कानून लागू होने के बाद गंभीर शीर्ष में बी०एन०एस० एक्ट के तहत राज्य में प्रथम गंभीर सजा है द्य इस कार्य को लेकर 06 सितंबर 2024 को पुलिस महानिदेशक, बिहार ने सारण जिले के आलोक राज के द्वारा सजा दिलवाने में सहयोग करने वाले सभी पुलिस पदाधिकारियों, फॉरेंसिक एवं अभियोजन टीम को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गय।

बिहार के जमुई जिले के सिकंदरा प्रखण्ड निवासी, 2012 बैच के बिहार कैडर के ऊर्जावान, यशस्वी एवं कर्तव्यनिष्ठ आईपीएस डॉव कुमार आशीष किसी परिचय के मोहताज नहीं है. हाल में ही, पुलिस महानिदेशक , बिहार द्वारा सारण जिले के रसूलपुर थान्तार्गत तिहरे हत्याकांड के दोनों आरोपी को त्वरित सजा दिलवाने में सहयोग हेतु श्री आशीष, पुलिस अधीक्षक सारण एवं सहयोगी सदस्यों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. उल्लेखनीय है की सारण जिले के रसुलपुर थानान्तर्गत धानाडीह गांव में धारदार हथियार से तीन व्यक्तियों की हुई हत्या के सम्बन्ध में दर्ज रसुलपुर थाना कांड सं0-133/24 दिनां क-17.07.24 धारा-103(1)/109(1)/329(4)/3(5) बी०एन०एस० में ससमय गिरफ्तारी, अनुसंधान पूर्ण कर मात्र

14 दिनों में चार्जशीट एवं माननीय न्यायालय में स्पीडी ट्रायल का संचालन कराकर घटना के 50वें दिन यानि 5 सितम्बर को ही दोनो दोषी अभियुक्तों को आजीवन कारावास जुर्माना सहित सजा करवाई गई, जो लागू होने के बाद गंभीर शीर्ष में बी०एन०एस० एक्ट के तहत पूरे देश में गंभीर शीर्ष के काण्ड में ये प्रथम गंभीर सजा है। त्वरित न्याय का एक बेहतर उदहारण उन्होंने प्रस्तुत किया है जो वाकई काबिलेतारीफ है और इसकी प्रशंसा पूरे देश में हो रही हैं।

आशीष पुलिसिंग की अपनी कार्यकुशलता के लिए जाने जाते हैं. श्री कुमार आशीष वर्ष 2020 में बिहार के ऐसे प्रथम एसपी बनें जिनको किशनगंज में हुए एक सामूहिक बलात्कार कांड के सफल उद्भेदन, अनुश्रवन एवं ट्रायल की बाद सभी 7 आरोपियों को आजीवन कारावास दिलवाने के लिए भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री के सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान कुशलता पदक 2020 से सम्मानित किया गया। श्री आशीष को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2021 में किशनगंज में शराबबंदी को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए उत्पाद पदक से सम्मानित किया गया। उस वर्ष ये सम्मान पाने वाले वो एकमात्र एसपी थे। अपराध की नब्ज पकड़ कर उसका शर्तिया सफाया करने के लिए श्री आशीष नामचीन है। इसी वर्ष मई महीने में लोकसभा चुनाव के दौरान हुई हिन्सा के मद्देनजर छपरा जिले में बिगड़ी विधि-व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग की अनुशंसा पर बिहार सरकार ने सारण जिले के पुलिस अधीक्षक की महती जिम्मेदारी दी जिसे वो बखूबी निभा रहे हैं. विभिन्न जिलों के कप्तान के रूप में के सभी हाड्कोर अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे ध केलने और कइओं को सजा दिलाने का श्रेय इन्हें हासिल है। कड़क छवि के साथ ये अपनी न्यायप्रियता और मृदुल स्वभाव के लिए भी आम जनता में काफी मशहूर है। इनके द्वारा मध ेपुरा, नालंदा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, रेल मुजफ्फरपुर तथा वर्तमान में सारण के पुलिस अधीक्षक के तौर पर पुलिसिंग के कई प्रयोग किये गए जिनकी व्यापक रूप से प्रशंसा हुई है और सामुदायिक पुलिसिंग के क्षेत्र में मील के पत्थर सिद्ध हुई है।

कुमार आशीष एसपी के द्वारा आम जन लोगों एवं युवाओं के बीच पुलिसिंग व्यवस्था कायम करने के लिए निम्नलिखित कार्य किया गया है :-

बिहार पुलिस में सर्वप्रथम फेसबुक पेज और व्हात्सप्प ग्रुप द्वारा आम जनता से सीध ा संपर्क बनाने का श्रेय, इन्होने ये प्रयोग आईपीएस प्रशिक्षु के रूप में मोतिहारी जिले से सन 2014 में किया था.

☞ **कॉफी विथ एसपी :-** ये प्रोग्राम नालंदा जिले से शुरू किया गया था जिसमें युवाओं पर फोकस करते हुए उनकी समस्याओं पर तुरंत कारवाई की जाती है साथ ही, पुलिस और प्रशासन की क्या युवाओं से क्या आशाएं है, कैसे युवा अच्छे नागरिक बन कर देश हित में अपना योगदान कर सकते हैं, इन विषयों पर उनकी पुलिस टीम के द्वारा व्यापक चर्चा की जाती है. युवाओं से जुडने का ये खास प्रोग्राम काफी सफल रहा है। इसके माध्यम से शराबबंदी और पूर्ण नशामुक्ति का संदेश भी दिया जाता है।

☞ **पिंक पेट्रोलिंग :-** शहरों में छेड़खानी और यौन उत्पीडन की घटना पर रोकथाम के लिए एक स्पेशल दस्ता का गठन जो निर्धारित समय और स्थानों पर गतिशील रह कर मनचलों की गतिविधियों पर विधिसम्मत करवाई करता है. इसकी शुरुआत जुलाई २०१६ में की गयी थी.

☞ **मिशन वस्त्रदान :-** गरीब और साधनहीन जनता से जुड़ने के लिए लोगों की सहायता से नए-पुराने गर्म वस्त्र इक्कट्ठा कर पुलिस द्वारा उन्हें वितरित किया जाता है. पुलिस की परंपरागत दमनकारी छवि के इतर ये प्रयास जनता में बिहार पुलिस की कल्याणकारी और जनोन्मुखी छवि को परिष्कृत और पल्लवित करता है।

☞ **थाना दिवस :-** आम जनता की समस्या, सुझाव और शिकायत सीधे उनसे ही सुनकर त्वरित करवाई करने के लिए प्रत्येक सप्ताह विभिन्न थानों और सार्वजनिक जगहों पर थाना दिवस का आयोजन.

☞ **स्कूल विजिट :-** हरेक हफ्ते एक स्कूल विजिट कर वहां बच्चों से सीधा वार्तालाप, पुलिस का अज्ञात भय बच्चों के दिमाग से निकालने का प्रयास, उनकी करियर काउंसिलिंग तथा पुलिस की अच्छी छवि का निर्माण.

☞ **आवाज दो :-** महिला एवं बच्चियों की घर तथा बाहर, सभी जगहों पर व्यापक सुरक्षा हेतु उनके सॉफ्ट स्किल्स और सेल्फ डिफेन्स टेक्नीक की ट्रैनिंग दी आती है। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्तर पर उन्हें महिला पुलिसकर्मियों द्वारा संरक्षित और संवर्धित किया आता है। ये एक प्रोएक्टिव पुलिसींग का प्रयास है।

☞ सामुदायिक पुलिसिंग के तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जिसमें विभिन्न स्तरों पर खेल-कूद प्रतियोगिता का आयोजन, वृक्षारोपण कार्यक्रम, साहित्यिक गोष्ठी, चित्रकला आदि का नियमित आयोजन.

☞ कौमी एकता को बढ़ावा देने के लिए उर्दू मुशायरा एवं हिंदी कविता सम्मेलाओं का नियमित आयोजन.

☞ सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता से सीधा संवाद, समस्याओं का तुरंत निराकरण और पुलिस की अच्छी उपलब्धियों को जनता के बीच लाने से पुलिस की छवि में लगातार सुधार करना.

☞ **E –भरोसा :-** इस पहल को उनके द्वारा २०२१ में किशनगंज जिले में शुरू किया गया था जिसमें दूर-दराज के फरियादियों से वो सीधा संवाद ऑनलाइन माध्यम से करते हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण २४ घंटे के अन्दर किया जाता है तथा इसकी मोनिटरिंग वो स्वयं करते हैं. इसके अलावा समय समय पर अवसर अनुकूल फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से भी जनता से जुड़े रहते हैं और सीधा संवाद लाइव करते हैं.

☞ **रेल-पुलिस-पाठशाला :-** रेल एसपी मुजफ्फरपुर के तौर पर उन्होंने अपराधियों को लगातार पकड़ने के अलावा सामुदायिक पुलिसिंग के तहत रेल-पुलिस-पाठशाला को शुरू किया था जिसमें रेलवे स्टेशन और प्लेटफार्म के आसपास कूड़ा-कचरा बीनने वाले, गरीब बेसहारा और जरूरतमंद बच्चों को रेल पुलिसकर्मियों द्वारा शिक्षा दी जाती है, ताकि वे भविष्य में अपराध की ओर अग्रसर ना हों. इसमें वर्तमान में १५० से ज्यादा जरूरतमंद बच्चों के लिए पाँच स्टेशनों मुजफ्फरपुर, रकसौल, बेतिया, समस्तीपुर और दरभंगा में ये पाठशाला शुरू की गई है। इस महती प्रयास की भूरी-भूरी प्रशंसा समाज के सभी तबकों द्वारा की जा रही है.

☞ विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं एवं अखबारों में लगातार लेखन के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य, विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में दो दर्जन से ज्यादा रचनाएँ अबतक छप चुकी हैं.

☞ छठ पूजा पर विस्तृत आलेख फ्रेंच भाषा में लिखा जो 54 देशों के लोगों तक छठ पूजा की महिमा को बताने में सहायक सिद्ध हुआ है. स्वयं भी श्रछन दिल्ली से फ्रेंच भाषा में डॉक्टरेट किये हुए हैं. UPSC की परीक्षा फ्रेंच भाषा साहित्य से उतीर्ण करनेवाले ये देश के एकमात्र आईपीएस हैं.

गंगा-जमनी तहजीब के हिमायती, सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल माने जाने वाले, जनता के लिए सर्व-सुलभ, न्यायप्रिय एसपी के रूप में ख्यातिलब्ध श्री आशीष लगातार पुलिस और पब्लिक के बीच की खाई को पाटने का प्रयास करते रहते हैं। मोतिहारी, दरभंगा, बेगूसराय, मधेपुरा, नालंदा, किशनगंज, मोतिहारी तथा मुजफ्फरपुर की आवाम आज भी इन्हें बड़ी शिद्दत के साथ याद करती है. समाज में अंतिम पंक्ति पर खड़े लोगों तक त्वरित न्याय सुलभ करना ही इनका ध्येय है. नयी तकनीक के साथ पुलिसिंग को आम जनता के सुलभता के लिए किये जा रहे उनके निरंतर प्रयोग बिहार पुलिस की छवि में लगातार सुधार ला रहे हैं. ●

इंजीनियर बनने के लिये गरीबी को नहीं कोसे, दृढ़ इच्छा-शक्ति, आत्म-विश्वास से करें पढ़ाईः प्राचार्य डॉ शब्बरुद्दीन

बिहार में शिक्षा का माहौल बदल रहा है। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के प्रत्येक जिलों में राजकीय अभियंत्रण कॉलेज, पोलटेक्निक कॉलेज, गवर्मेंट आईटीआई इस बात का संकेत है की इंजीनियर बनने के लिये गरीबी को नहीं कोसे, दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्म विश्वास से करें पढ़ाई। बिहार के बांका जिले में लकड़ीकोला (गांव)स्थित राजकीय अभियंत्रण महाविधालय के विद्वान प्राचार्य डॉ शब्बरुद्दीन जी से खास मुलाकात। इन्होंने बिहार के छात्र -छात्राओं के लिये कहा की बिहार इंजिनियरिंग कॉलेज में नामांकन करा कर अपनी शैक्षणिक भविष्य को सुरक्षित करने का सुनहरा अवसर बताया है। उन्होंने कहा कि बिहार में तकनीकी शिक्षा कि अपार सम्भावनायें हैं जो यहाँ के छात्र -छात्राओं के लिये वरदान है। इससे ज्यादा फीस तो निजी विद्यालयों में प्रारम्भिक शिक्षा में लग जाती है। इस क्षेत्र में छात्र-छात्राओं को सिर्फ नौकरी के लिये ही तैयार नहीं करती बल्कि स्वावलम्बी बनाने के लिये नए मार्ग का सृजन भी करती है। उन्होंने कहा कि शिक्षित होकर ही आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं,शिक्षा प्राप्त करने वाला हर मानव शिक्षित होकर समाज को शक्तिशाली बनाता है। शिक्षा ही सही मायनों में मानव जीवन में से अज्ञानता के अंधकार को मिटाता है। शिक्षा प्राप्त करके ही समाज में सुख-समृद्धि की स्थापना की जा सकती है। स्कूल सुविचार को पढ़कर युवाओं को ज्ञान पाने की प्रेरणा मिलती है, ज्ञान को मानव के मूलभूत अधिकारों में गिनना ही सभ्य समाज की पहचान होती है। शिक्षित समाज की संरचना में हर व्यक्ति को ज्ञान अर्जित करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि शिक्षा हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। शिक्षा ही संसार में हमें श्रेष्ठ बनाती है सिर्फ किताबी ज्ञान ही शिक्षा नहीं होता, अपितु हमारा मानसिक विकास भी सफलता के लिए आवश्यक हैं। पढ़कर आप शिक्षित होने के लिए स्वयं को प्रेरित करने के साथ-साथ, समाज को शिक्षा जैसे मूल अधिकारों के लिए जागरूक कर सकते हैं। ज्ञान का दीप जलाकर अपने जीवन को सुमार्ग पर ले जाएं और समाज को शिक्षित बनने में अपना योगदान दें। शिक्षित होकर ही आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, एक छात्र की सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह हमेशा अपने अध्यापक से सवाल पूछे।" "एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की यानी जब हम कुछ नया करते है तभी गलतियां होना स्वाभाविक है।" "ज्ञान में किए गए निवेश से सबसे उत्तम लाभ प्राप्त होता है।" "एक हजार मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है।" "मुझे विश्वास है कि प्रति व्यक्ति एक प्रतिभा के साथ पैदा होता है बस हमें जरूरत होती है उस प्रतिभा को निखारने की हमें हमेशा कुछ उपयोगी चीजों को जानने और सीखने की इच्छा रखनी चाहिए।" प्रत्येक परिवार और समाज में शिक्षा, प्रगति का आधार है। मुझमें कोई विशिष्ट प्रतिभा नहीं है। मुझे केवल जुनून की हद तक उत्सुकता है। सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिये, यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप कभी भी आगे बढ़ने से नहीं घबराएंगें शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है; शिक्षा ही जीवन है शिक्षा भविष्य के लिए पासपोर्ट है जो आज इसके लिए तैयारी करते हैं।हम जितना अधिक संघर्ष कर सकते है जीत हमारी उतनी ही शानदार होगी। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है पर सीढ़िया हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती हैं! एक सपना किसी चमत्कार से सच नहीं बनता है; यह पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लेता है। शिक्षक अपने छात्रों के जीवन पर स्थायी प्रभाव डालते हैं जिससे वह अपने जीवन में सफल होते हैं। महान कार्य को करने का एक ही तरीका है जो आप कर रहे हैं उसे पसंद करें। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें पहले सूरज की तरह जलना होगा। ब्यूरो चीफ मिथिलेश कुमार से खास मुलाकात के प्रस्तुत अंश :-

✯ आप राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, बांका में कब योगदान दिये।

मैं राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, बाँका में Through BPSC, February 2022 को Join किया। 1 जुलाई 2022 को Science, Technology and Technical Education Department, Patna के द्वारा मुझे as Principal In&charge नियुक्त किया गया।

✯ यहाँ किन-किन संकायों में इंजीनियरिंग कि पढ़ाई होती है?

यहाँ B- Tech की पढ़ाई Civil, Electrical, Electronics and Communication, Mechanical, Computer Science and Computer Science (IoT) में होता है। प्रत्येक ब्राँच में 60 सीटें है।

✯ अगर आपके महाविधालय में किसी छात्र को नामांकन लेना है तो क्या करना होगा?

राज्य के विभिन्न अभियंत्रण महाविद्यालयों के अभियंत्रण पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की कॉउन्सेलिंग मनोनयन / चयन, National Testing Agency (NTA) द्वारा संचालित JEE (Main) की मेधा सूची के अनुसार मेधा-सह-विकल्पानुसार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में दो चक्रों की कॉउन्सेलिंग एवं एक समापन Mop-up कॉउन्सेलिंग होती है और इसके पश्चात् यदि सीटें रिक्त रह जाती है तो इन रिक्त सीटों पर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (BCECE) पार्षद द्वारा संचालित बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (बी.सी.ई.सी.ई.) 2023 के PCM Group के अभ्यर्थियों से मेधा सह-विकल्प के आधर पर उपलब्ध सीटों का आवंटन किया जाता है। अगर तिथि की बात करें तो JEE (Main) की परीक्षा दो सत्रों में होती है। पहला सत्र की परीक्षा जनवरी महीनों में तथा दूसरे सत्र की परीक्षा अप्रैल महीनें में होती है और इस परीक्षा के मेधा क्रम के अनुसार BCECE, UGEAC (Undergraduate Engineering Admission Counselling) के माध्यम से राज्य के विभिन्न अभियंत्रण महाविद्यालयों के अभियंत्रण पाठ्यक्रमों के सीटों को भरने हेतु

Online Counselling करवाती है और अगर सीटें रिक्त रह जाती है, तो ऐसे छात्र जो JEE (Main) की परीक्षा में नहीं बैठ पाये वो BCECE, परीक्षा दे कर इन रिक्त सिटों को प्राप्त कर सकते है, जिसका आवेदन छात्र BCECE के वेबसाईट पर कर सकते है। Counselling/आवेदन करने का समय की जानकारी, छात्र BCECE के वेबसाईट से ले सकते हैं।

✯ डिप्लोमा में पढ़ रहे छात्र यदि B. Tech करना चाहते हैं तो वे Admission कैसे ले सकते हैं ?

जैसा कि मैंने आपको बताया कि छात्रों को प्रथम वर्ष में नामांकन के लिए BCECE के वेबसाईट पर जाना होता है, इसके लिए भी छात्रों को BCECE के वेबसाईट पर जाना होगा। छात्रों को B-Tech में नामांकन लेने के लिए BCECE Lateral Entry (BCECE [LE]) की परीक्षा देनी होती है। इस परीक्षा के अंतर्गत उर्तीण छात्रों को डिग्री अभियंत्रण के 3 तक Semester के किसी भी शाखा में प्रवेश मेघा एवं विकल्प के आधार पर मिल सकता है।

✯ आपके महाविधालय में विभिन्न संकायों में वार्षिक फीस कितनी है?

यहाँ पढ़ाई काफी सस्ती है। बिहार सरकार के सात निश्चय योजना के के तहत यह योजना क्रियान्वयन किया जा रहा है। Gen/EBC/BC/OBC Category में सालाना Fees Rs. 2630.00 है। SC/ST Category में सालाना Fees Rs. 2510.00 है। इतनी कम Fees पर कोई आर्थिक रूप से कमजोर परिवार का बच्चा भी Engineering कर सकता है। साथ ही बिहार सरकार के द्वारा समय-समय पर तरह-तरह की योजनाएँ चलायी जाती है, जिससे छात्रों को आर्थिक रूप से मदद मिलती है। इन योजनाओं में सात निश्चय योजना के तहत बिहार सरकार छात्रों को स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करती है। जिससे छात्रों को काफी मदद मिलती है। और हमारी यह कोशिश रहती है कि छात्र ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठा सके और हमारे संस्थान के अधिक से अधिक छात्र नियमानुसार इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।

✯ आपके महाविधालय क्या-क्या Facility है?

प्रत्येक ब्राँच में सिलेबस के आधार पर विभिन्न प्रयोगशाला है, Books Library और digital library with internet की सुविधा उपलब्ध है, Football, Cricket, Volleyball, Table tennis, Gym जैसी खेलकूद की सुविधाएँ है।

✯ इंजिनियरिंग कि पढ़ाई पूरी करने वाले छात्र -छात्राओं को लालसा होती है प्लेसमेंट कि तो क्या आपके यहाँ भी इसकी व्यवस्था होती है?

जी हाँ, 1st Batch में कुल 36 Offers Batch में 123 वर्मिते थे। वर्ष हम और जयादा का प्रयास कर रहे हैं। 157 offers 3rd batch में मिले थे।

✯ आपके महाविधालय में सभी संकायों में छात्र-छात्राओं के अनुपात में शिक्षक हैं?

हाँ सभी ब्राँच में शिक्षक मौजूद हैं और सभी शिक्षकों ने देश के उँचे संस्थानों से अपनी डिग्रियाँ भी पुरी की हैं और काफी ऊर्जावान हैं।

✯ भविष्य में आपका कॉलेज को लेकर क्या च्संद है ? आपके हिसाब से और क्या -क्या समस्याएं हैं, जिसका समाधान अगर हो जाती हैं तो यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी?

हमारी टीम, लैब को और विकसित कर रही है। हम रिर्सच पर भी ध्यान दे रहे हैं। यहाँ के Faculty के अलग-अलग Journals में Research Papers Publish होते रहते हैं। हम भविष्य में M. Tech की पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, ताकि हमारा कॉलेज रिर्सच के क्षेत्र में भी राज्य तथा देश को योगदान दे सके। हाँ, थोड़ी बहुत समस्याएं छात्रावास को लेकर थी. लेकिन उसका भी निदान जल्द ही हो जाएगा क्योंकि छात्रावास निर्माण के लिये भूमि को चिन्हित कर लिया गया है आने वाले कुछ दिनों में इस पर कार्य भी प्रारम्भ होने कि संभावना है जैसा कि विभागीय जानकारी है।

✯ आज से पाँच साल के बाद आप कॉलेज को कहाँ देखते हैं?

हमारा प्रयास रहेगा कि GEC Banka बिहार के ज्वच के कालेजों में गिना जाए, और पूरे बिहार से बच्चे यहाँ नामांकन लें। इसके अतिरिक्त हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि संस्थान के बच्चे GRE, TOEFL, और IELTS जैसे परीक्षाओं के लिए भी जागरूक हो, जिनमें बच्चे अच्छे अंक ला कर देश के बाहर भी शिक्षा ग्रहण करने जा सके।

✯ आपका कॉलेज आस-पास के लोगों के लिए कोई सामाजिक, रचनात्मक कार्य भी करती है क्या?

हाँ, विभाग द्वारा 'पहल कार्यक्रम' चलाया जा रहा है। इसमें संस्थान के Faculty स्कूल के बच्चों को प्रति दिन मुफ्त में शिक्षा देतें हैं। इस कार्यक्रम से हम आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

✯ किसी भी संस्थान के लिये अनुशाशन महत्वपूर्ण होती है, आपके संस्थान में अनुशासन की क्या स्थिति है?

कॉलेज में अनुशासन की अच्छी व्यवस्था है। हमारे जिला अधि

कारी जो खुद भी एक Engineer हैं, समय-समय पर संस्थान आते रहते हैं और संस्थान के बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे संस्थान परिसर में अच्छा वातावरण बना रहता है। वैसे छात्र जो महाविधालय के नियमानुकूल नहीं कार्य करते हैं और अनुशासनहीन होते हैं उन्हें महाविद्यालय प्रशासन उनके ऊपर लगाए गए आरोपों की जाँच करते हैं, दोषी पाए जाने पर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।

✯ आपके महाविद्यालय की मॉनिटरिंग कहाँ से होती हैं?

इसका संचालन निदेशक एवं सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, पटना, बिहार के दिशा निर्देश पर अनुपालन होता है। संस्थान बिहार इंजिनियरिंग विश्वविद्यालय, पटना (BEU Patna) से स्वीकृत है तथा AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त है। अत: Exam और Syllabus (BEU Patna) के द्वारा निदेशित होता है। समय-समय पर मंत्री, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, पटना के सचिव और निदेशक की अध्यक्षता में मिटिंग्स भी होते रहते हैं, जिसमें समस्याओं और आगे की रणनिति पर विचार होता है।

✯ छात्रावास में रहने वाले छात्रों को मिलने वाली भोजन में कभी -कभी शिकायतें मिलती हैं, उस पर आप क्या कहेंगे?

आपका सवाल जायज है मेरा प्रयास हमेशा बेहतर करने का होता है। चुंकि यह काम अलग विंग के द्वारा किया जाता है। मेरे संज्ञान में आने के बाद शिकायतों को दूर कर जिम्मेवार लोगों को चेतावनी के साथ अनुशाशनिक कारवाई भी किया जाता है।

✯ आखिरी सवाल। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? आपने तकनीकी शिक्षा को अपने करियर के रूप में क्यों चुना? आप इसके पूर्व कहाँ नियुक्त थे?

देखिये, मैं भी बिहार का ही हुँ। नालंदा जिला अंतर्गत हरगामा गावं मेरा घर है, लेकिन मेरी शिक्षा दीक्षा रांची में हुई है। विभिन्न स्कूलों और कॉलेजो में अध्ययन करने के बाद मैंने विश्वेश्वरैया टेक्नोलोजिकल यूनिवर्सिटी कर्नाटक से बीटेक करने के बाद एम टेक और पीएचडी मनिपाल से किया। मेरे पिता भी अभियंता थे। घर में पूर्व से ही इस क्षेत्र के बारे में समझने का मौका मिलता रहा, इसलिए मैंने इस क्षेत्र को प्राथमिकता दिया। बिहार इंजिनियरिंग कॉलेज को ज्वाइन करने के पूर्व 11 वर्षो तक मनीपाल में कार्यरत था। चुंकि बिहार में अब इंजिनियरिंग कॉलेज खुलने से हमलोग जैसे लोगों को अपने राज्य के छात्रों के लिये कुछ करने का अवसर मिला है जिसे मैं चूकना नहीं चाहता था। मैंने यहाँ बीपीएससी के माध्यम से 2022 बांका स्थित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में योगदान दिया।

✯ आप मेरे माध्यम से छात्रों, अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?

देखिये, सबसे बड़ी बात यह है की मैं स्वंय इस बात का साक्षी हुँ की मेरे समय में बिहार में मात्र दो इंजिनियरिंग कॉलेजों मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर में पढ़ाई होती थी। अब तो राज्य के सभी 38 जिलों में तकनीकी शिक्षा गवर्मेंट कॉलेज में प्रारम्भ हो गयी है और मेरा मानना है की जो छात्र-छात्राएं सचमुच में इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनके लिये इससे बेहतर विकल्प कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि राजकीय अभियंत्रण महाविधालय में सिर्फ बिहार के ही छात्र-छात्राओं की पढ़ाई होती है जो एक अवसर है। इस अवसर को चुकने की जरूरत नहीं हैं। चार वर्षो तक जो छात्र-छात्राएं कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से अनुशासित होकर एकाग्रचित मन से शिक्षा ग्रहण करेंगे, उन्हें अगले चालीस वर्षो तक कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी शुभकामनायें सभी बच्चों के साथ है।

कोचगांव पंचायत मुखिया ने मनरेगा योजना की खोली कलई

● **मिथिलेश कुमार**

नवादा जिले के विभिन्न प्रखंडो के विभिन्न गावं में चल रहे केंद्र सरकार की अति महत्वपूर्ण महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना को लेकर वारिसलीगंज प्रखंड अंतर्गत कोंचगांव पंचायत के मुखिया नीतू देवी ने प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, जेई एवं पीआरएस तथा पीटीए पर गंभीर आरोप लगाया है। मुखिया नीतू देवी ने जिलाधिकारी को दिए गए आवेदन में कहा की कोचगाँव पंचायत के विभिन्न गाँवो में मनरेगा योजना के तहत जनहित में कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। पंचायत में विकास कार्यों एवं मजदूरों को रोजगार देने के लिये कई योजनाएं संचालित की गयी थी। योजना क्रियान्वयन एवं मजदूरों की मजदूरी की राशि एवं अन्य सामाग्री के बकाये राशि के भुगतान के पूर्व से ही P.TA-रामानंद कुमार, कनीय अभियंता संगीता कुमारी के द्वारा योजना की तकनीकि स्वीकृति के लिये सभी योजनाओं में नाजायज

राशि ली गयी थी, मैनें पंचायत के विकास एवं मजदूरों के को रोकने की प्राथमिकता के साथ मनरेगा कर्मियों के हर मांग को पूरा किया गया। कुछ योजनाओं में कुछ राशि का भुगतान भी किया गया परन्तु संचालित योजनाओं के अनुरूप पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कार्यक्रम पदाधिकारी पंकज कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा की बकाये राशि के भुगतान के लिये नाजायज राशि की मांग की जाती है। जिसके कारण योजना को संचालित करने में काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने डीएम एवं सबंधित वरीय अधिकारियो से राशि भुगतान कराने एवं योजनाओं की समीक्षा एवं जाँच करने की मांग किया है। इस सबंध में मनरेगा प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी पंकज कुमार ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा की प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में मनरेगा का कार्य सुचारू रूप से संचालित हो रहा है कहीं कोई शिकायत नहीं है। जेई संगीता कुमारी ने भी आरोपों को निराधार बताया है। बहरहाल मामला जो हो लेकिन मनरेगा योजना में लूट की खुली छूट है। सबंधित अधिकारी के द्वारा योजनाओं को संचालित कराने के एवज में कमीशन के तौर पर मोटी रकम बसूली जाती है। जनप्रतिनिधि खुलकर सामने आना नहीं चाहते लेकिन मुखिया नीतू देवी ने मनरेगा योजना की सच्चाई को सामने लाकर योजनाओं में हो रही लूट पर अंकुश लगाने की मांग की है।●

डॉ. के.पी. सिंह के नेतृत्व में वन्दे भारत यात्रा ऐतिहासिक रहा : डॉ. प्रेम कुमार

● अमित कुमार सिंह

अखिल भारतीय मूल अतिपिछड़ा बुद्धिजीवी मंच के तत्वावधान में जिलास्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर केपी सिंह ने की। इस अवसर पर विभिन्न मुद्धों पर प्रकाश डाला गया, वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश स्तर पर इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद मूल अतिपिछड़ा परिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजनैतिक स्तर पर अत्यंतत्र पिछड़े हैं, हम काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, वक्ताओं ने यह भी कहा कि समाज को इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से उभरना है, तो सड़क से सदन तक अपने संवैधानिक हक-अधिकार को लेकर चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम कर अतिपिछड़ा परिवार को जगाना होगा। सभा को संबोधित करते हुए मूल अतिपिछड़ा बुद्धिजीवि मंच के अध्यक्ष डॉ केपी सिंह ने कहा कि 15 अगस्त को शहर में वंदे मातरम् पदयात्रा कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में लोगों से काफी संख्या में जुड़ने की अपील की। साथ ही मूल अतिपिछड़ा बुद्धिजीवी मंच ने सरकार से सेखोदेवरा आश्रम में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, रोहिणी आयोग कमीशन की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर लागू करने, अतिपिछड़ा वर्ग से तीन समृद्ध जातियों को बाहर करने, 33 प्रतिशत मूल अतिपिछड़ा महिलाओं का वर्गीकरण कर आरक्षण सुनिश्चित करने, एससी-एसटी के तर्ज पर लोकसभा विधानसभा व पंचायती राज में आरक्षण के साथ-साथ पिछड़ा वर्ग के लिए थाने की स्थापना करने जैसी मुख्य मुद्धे हैं मुल अतिपिछड़ा बुद्धिजीवी मंच के तत्वाधान में 15 अगस्त के अवसर पर नवादा शहर में बन्दे मातरम पद यात्रा निकाली गयी सुबे के वन एवं पर्यावरण मंत्री सह सहाकारिता मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री डॉ प्रेम कुमार और पूर्व एम. एल. सी. डॉ रामबली सिंह ने हरी झंडी दिखा कर पद यात्रा रवाना किया पुराने रेलवे स्ट्रेशन परिसर से 500 मीटर लम्बी तिरंगे को हाथ में थाम कर मंच के सदस्यो ने पुरे उत्साह के साथ पद यात्रा में भाग लिया मंच. के अध्यक्ष और प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ के. पी. सी. के नेतृत्व में पद यात्रा निकाली गयी थी कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री डॉ प्रेम कुमार समाज सेवी संध्या सिंह समेत अन्नय लोगों ने शिरकत मंत्री डॉ प्रेम ने मंच के अध्यक्ष डॉ के. पी. सिंह कि इस पहल के लिये बधाई दी उन्होने कहा कि कार्यक्रम काफी बढ़िया रहा प्रभारी मंत्री ने कहा राज्य सरकार न्याय के साथ विकास कर रही है।

डॉ के. पी. सी. ने कहा समाजिक समरसता सद्धभावना और चट्टानी एकता का संदेश लेकर मूल अति पिछड़ा बुद्धि जीवी मंच परिवार कि ओर से यह पद यात्रा निकाली गई जिसका मुख्य उद्देश्य मूल अतिपिछड़ो के द्वारा' संगठित होकर देश भक्ति का परिचय देना है उन्होने कहा कि आजादी के 77 वर्षो बाद भी मूल अतिपिछड़ो दलित बंचित, आरोपित, पिडित, वहिस्कृत समाज को राजनितिक आर्थिक और शैक्षनिक रूप में भागीदारी प्राप्त करने के लिए जन जागरूक करना कार्यक्रम का उद्देश्य है। उन्होंने एस. सी. एस. टी. एक्ट के तर्ज पर मुल अतिपिछड़ा उत्पीड़न निषेध अधिनियम बनाने कि माँग कि ईस लोकतंत्र में सबसे बड़ी आबादी लगभग 45 प्रतिशत होने के बावजूद भी आजादी से लेकर अव तक राज्य कि समाजिक आर्थिक

ताती ततवा से मूल अतिपिछड़ा का आरक्षण हुआ शून्य : डॉ. राम वली सिंह

तेली, तमोली, (चौरसिया) दाँगी के बाद ताती ततवा पर नया खेला शुरू किया जिससे चलते मूल अति पिछड़ा का आरक्षण शून्य हुआ जिससे चलती है। सरकार नीतीश कुमार ने मूल अति पिछड़ा के आरक्षण को किया दर किनार कैसे होगा मूल अति पिछड़ा का विकास डॉ राम वली सिंह एवं किशोरी दास दोनो का मानना है कि नीतीश कुमार जाती पाती के खेल में मूल अति पिछड़ो पर कहर ढाह रही है प्रो0 राम वली सिह चन्द्रवंशी के अनुशार तेली, तमोली (चौरसिया) दांगी को शामिल करने से पहले से ही सभी जगह खासकर नौकरी राजनीति में पिछले पायदान पर आ गया है। इधर ताती, ततवा ओर लोहर के फिर से जुड जाने मूल अति पिछड़ा वर्ग की आवादी तो बढ़ी लेकिन उसके आवादी के अनुपात में आरक्षण नही वढ़ाया गया। यह मूल अति पिछड़ा वर्ग को दवाये रखने का शातिराना खेल खेली जार रही ह। तातीत्र ततवा प्रकरण में किशोरी दास का खतरा जाती टकराव पैदा होने का महसुस हो रहा है। इस आंशंकित खतरे को वह इस रूप में व्यारवया करते हैं ताती ततवा से सम्बधित मामले में सर्वोच्च अदालत ने अनु जातति के रूप में नौकरी पाये इस जाति के लोगो को मूल अति पिछडा वर्ग के कोटे में समायोजित करने का कहा है श्री दास कहते है कि समायोजन में 10 से 15 वर्ष लग जा सकते है। इस लम्बे अन्तराल में मूल अति पिछड़ा को शायद ही मौका मिल जायेगा तो क्या मूल अति पिछड़ा इसने दिनों तक दंश झेल पायेगी। यही जाति टकराव का कारण बनेगा। इसका परिणाम बहुत बुरा होगा डॉ के0 पी0 के विशेश आग्रह पर पूर्व एम. एल. सी. डॉ राम वली चन्दवंशी का आगमन बंदे मातरम यात्रा में हुआ।

अतिपिछड़ा आरक्षण बचाओ नीतीश भगाओ। आजादी के 77 साल बीत जाने के बाद भी मूल अतिपिछड़ो की राजनीतिक दशा और दिशा मे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सरकार कहती है जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी राजनीतिक भागीदारी नेताजी चुनाव के समय मिठी-मिठी बाते करती है जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती तो सभी मनाते है लेकिन उनकी राजनीतिक भागदारी की कोई बात नहीं करता है। आज मूल अतिपिछड़ी की राजनीतिक भागीदारी इतनी बढ़ी आबादी रहते हुये भी हासिल पर है। मुठी भर लोग शासन कर रहे है। माल मालिक ने मिर्जा खेले होली-सरकारी नौकरी में थोड़ी भागीदारी छोड़कर सता की मुख्य धारा से अति पिछड़ा समाज अभी भी पूरी तरह कोसो दूर है। अतिपिछड़ो के लिए जिला परिषद की आरक्षित 8 सीटो मे सात नगर निगम तीनो महा पौर (मेयर) की सीट को नीतीश कुमार के अतिपिछड़ो सिर्फ (तेली) ने हड़प लिया है। कुछ यही हाल मुखिया, वार्ड, जिला परिषद, पंचायत समिति का यही हाल है। विधान सभा का 2020 में 110 अतिपिछड़ी जातियो की भागीदारी लगभग 5 से 6 प्रतिशत और इन तेली तमोली दांगी इन तीनों जातियो की भागीदारी 4 प्रतिशत है। इन तीन जातियो को मूल अतिपिछड़ा की श्रेणी से नही हटाया गया तो 110 मूल अतिपिछड़ा जातियो का अस्तित्व धीरे-धीरे समाप्त हो जायेगा। तेली तमोली (चौरसिया) दांगी (कोयरी) को मूल अति पिछड़ी जाति की श्रेणी से अलग किया जाय एवं प्रथम ग्रुप बनाकर इनको समानुपातिक आरक्षण मिले। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक हो ताकि मंडल कमीशन के लागु होने के 32 साल वाद यह पता चल सके कि इसका लाभ कुछ ही जातिया उठा रही है। 95% जातिया वंचित है। इसलिए केन्द्रीय सेवाओ मे अतिपिछड़ी जातियों के लिए 18% आरक्षण का प्रावधान किया जाय। साथ ही सम्मानित अब्दुल क्यूम अंसारी एवं पर्वत पुरूष दशरथ मांझी को मरणोपरान्त भारत रत्न से सम्मानित करे। 1951 सर्वे के अनुसार बिहार में 79 अतिपिछड़ी जातिया थी मुर्गरी लाल आयोग की रिपोर्ट मे 94 और अब यह बढ़कर 113 पहुँच गई है। राजनीति और अन्य कारणो से सम्पन्न तीन जातियाँ तेली तमोली दांगी को अतिपिछड़ा श्रेणी मे शामिल कर लेने से मूल अतिपिछड़ी जातिया की औसत 80 से 90 तथा कही-कही सौ फीसदी तक हकमारी हुई। बिहार में अतिपिछड़ा हिन्दु 34% व मुसलमान 11% की आबादी लगभग 45 फिसदी है। अगर सरकार इन्हे MLA 243 में 45% 109 सीट MLC 75 में 34 सीट 45% ससंद 16 का 45% = 7 सीट सांसद 40 का 45% = 18 सीट की भागीदारी होती। अगर सरकार 36% भागीदारी देती है। तो विधान सभा के 243 में 88 विधायक लोक सभा के 40 में 15 सांसद तथा राज्य सभा 16 मे 6 सांसद तथा विधान परिषद के 75 में 27 विधान परिषद अतिपिछड़ा समाज के बनेगें। लेकिन वर्तमान मे 243 मे 19, विधान सभा सदस्य है विधान परिषद के 75 मे 4 राज्य सभा के 16 मे 2 तथा लोक सभा सदस्य के 40 मे 7 है। मूल अतिपिछड़ा समाज शैक्षणिक, राजनैतिक एवं आर्थिक विकास से वंचित है।

शिवनाथ सिंह चन्द्रवंशी नेता ने कहा कि अतिपिछड़ो से साथ सरकार ऑख मिचौली का खेल 2015 से नीतीश कुमार खेल रहे है। अतिपिछड़ा की आवादी 45% को 36.5% दिखाकर 9% कम दिखाया वही चन्द्रवंशी की आवादी 89 लाख को 22 लाख पचास हजार दिखाया। चन्द्रवंशी दबंग जाति को देखकर नीतीश और लालू घबराकर ये कदम उठाया है। उन्होने कहा कि अतिपिछड़ा और दलित मिल जाय तो 45+20=65% फिसदी आवादी से कभी सरकार बना सकती है। आने वाला विधान सभा मे नीतीश को अतिपिछड़ा बता देगा कि क्या है। मूल अतिपिछड़ा की वोट की ताकत इस बार लोक सभा चुनाव मे भी मूल अतिपिछड़ा के हिस्सेदारी लगभग नगन्य रहा है। कार्यक्रम में वक्त के तौर पर महासचिव प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, उपाध्यक्ष कमलेश सैनी, कोषाध्यक्ष सुनील कुमार पंडित के साथ-साथ व्यवस्थापक के रूप में समीम उद्धीन, मिलन सिंह, रेखा कुमारी, अनवर भटट, भोला सिंह, अनिल कुमार, चांद मुखिया, अरविंद अदरखी, डॉ नाज आजमी, राजकुमार शर्मा, कैलाश विश्वकर्मा, पंकज शर्मा, चंद्रिका, भगवान प्रसाद, डॉ गनौरी पंडित, चंद्रिका प्रसाद, मनोज कोटा, उमेश पाल, अजय कुमार, संतोष कुमार, धर्मेन्द्र कुमार, पन्नालाल सिंह, बंटी शर्मा, नंदकिशोर चंद्रवंशी, सुनील पंडित, उमेश शर्मा, उपेन्द्र शर्मा, प्रमोद चंद्रवंशी, पंकज शर्मा, अरविंद अदरखी, अनिल मंडल, प्रमोद चंद्रवंशी, पप्पू कानू, पवन चंद्रवंशी, राजकुमार मालाकार, भोला मिस्त्री, प्रभाकांत शर्मा समेत अन्य लोग भी मौजूद थे।

और राजनैतिक सभी दृष्टिकोण से हम सभी हासिये पर है। इसका मुल कारण है हमारे हक हकुक और मौलिक अधिकार से बंचित किया जाना जन नायक कपूरी ठाकूर के आरक्षण के चोरी सत्तारूढ़ और विपक्षियों के द्वारा बार बार कि गई है। अतिपिछड़ा वर्ग में समृद्ध जातिया तेली, चौरसिया, दांगी को सामिल कर मुल अतिपिछड़ा को राजनितिक हत्या कि गई इसके लिए मुल अतिपिछड़ा को एक जुट होकर अपने अधिकार की लड़ने के लिये मौके पर आना होगा मौके पर लव कुश कुमार युवा नेता चन्दन कुमार समेप बड़ी संख्या में हजारो कि संख्या में कार्यक्रम में हिस्सा लिया ।

पद यात्रा में महापुरूषो कि झाँकियां निकाली गई राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी स्वतंत्रता सेनानि सुखदेव राजगुरू भगत सिंह सुभाष चन्द्रबोस नथुनि सिंह वीर कुवर सिंह समेत अन्य महापुरूशो कि झाकिया निकाली गई समाज सेवी संध्या सिंह ने कहा 15 अगस्त का दिन आजादी में प्राण न्योछावर करने वाले वीर सपूतो को याद करने का दिन है। अनगिनत लोगो ने देश कि आजादी में अपना सर्वस्व न्याछाबर कर दिया। मंच के सदस्य पुरे उत्साह के साथ पद यात्रा में शामिल हुये बड़ी संख्या में लोग ने इस कार्यक्रम शिरकत की हाथों में 500 मीटर लंबी तिरंगा लेकर मूल अतिपिछड़ा बुद्धिजीवी मंच के कार्यकर्ताओं ने शहर का भम्रण किया इस दौरान वंदे मातरम् के जयघोष शहर गुंज उठा जिले के तमाम प्रखण्डों से कायकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया पुरने रेलबे परिषद से निकली पद यात्रा स्टेशन रोड़ स्पताल रोड़ प्रजांतत्र चौक शहीद, भगत सिंह चौक थाना रोड़ लाल चौक सदभावना चौक से सोनार पट्टी होते हुये पुरानी रेलवे स्टेशन तक यात्रा समाप्त किया गया इस दौरान वंदे मातरम् और भारत माता कि जाय नारे बुलंद होते रहें।●

किशोर न्याय परिषद् में न्यायिक दंडाधिकारी ने तिरंगे को दी सलामी

● मनीष कमलिया

देश के 78 वें स्वतन्त्रता दिवस पर किशोर न्याय परिषद के प्रांगण में जिला सत्र न्यायाधीश आशुतोष झा ने तिरंगे को सलामी देकर झंडोतोलन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में किशोर न्याय परिषद अभिरक्षा में विधि निरुद्ध किशोरों ने अपनी विभिन्न प्रस्तुति भी दिया. समारोह का संचालन शिक्षक विजय शंकर पाठक ने किया समारोह में व्यवहार न्यायालय से उपस्थित न्यायिक दंडाधिकारी ने शामिल बच्चो की प्रस्तुति पर हौसला अफजाई करते हुए राष्ट्र के प्रति अपनी भावना एवं प्रेम बनाये रखने के साथ देश के नव निर्माण में अहम योगदान देने की नसीहत भी दिया। इस अवसर पर कई किशोरों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। मौके पर जिला सत्र न्यायाधीश आशुतोष झा, एडीजे 1 उपेंद्र कुमार, एडीजे 5 चंदन कुमार, एडीजे 7 विवेक विशाल, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राहुल किशोर, न्यायिक दंडाधिकारी कृति कुमारी, अनामिका कुमारी, एसीजीएम आशीष रंजन एवं पेशकार विवेक कुमार, अजित मिश्रा, अमिताभ कुमार, राकेश कुमार, रवि कुमार, पिंकी कुमारी, हॉउस फादर रंजीत कुमार सहित किशोर न्याय परिषद के सभी सदस्य मौजूद थे।●

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल सच पत्रिका के साथ जुड़े। खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769/8340360961

ई-मेल:- editor.kstimes@rediffmail.com पर भेजें।